



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2023-2024

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2023-2024



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

ई-500, टॉवर ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029
E-500, Tower E, 5th Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 में निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप के अनुरूप है।

नोट — हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में संदेह, विसंगति या विवाद की स्थिति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
 Note: - In case of any conflict between the Hindi version and the English version, the English version will prevail.



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

Dr. Deepak Mohanty
Chairperson

प्रेषण पत्र

फाइल सं. पीएफआरडीए - 09/02/0001/2024-वार्षिक रिपोर्ट विभाग

दिनांक - 15 अक्टूबर, 2024

सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
संसद मार्ग, जीवनदीप भवन
नई दिल्ली - 110001

विषय : वित्त वर्ष 2023-24 हेतु पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट।

महोदय,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 46(2) के प्रावधान के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण में हुए कामकाज पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों को प्रेषित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,

दीपक मोहन्ती
(डॉ. दीपक महान्ती)

विषय सूची

विषयवस्तु तालिका

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य	11
उद्देश्य	11
परिकल्पना	11
अध्यक्ष महोदय का संदेश	13
बोर्ड के सदस्य	15
अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और कार्यकारी निदेशक	16
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण	17
संक्षिप्तियाँ	18
भाग — I	21
नीतियाँ एवं कार्यक्रम	
1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य	22
1.1.1 वैश्विक मुद्रास्फीति	23
1.1.2 वैश्विक वस्तु मूल्य	23
1.1.3 वैश्विक आर्थिक परिवेश	24
1.1.4 वैश्विक बॉन्ड और शेयर (इक्विटी) बाज़ार	24
1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था	25
1.2.1 भारत में वृहद आर्थिक विकास	25
1.2.2 घरेलू मुद्रास्फीति	27
1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन	27
1.3 भारतीय वित्तीय बाज़ार	28
1.3.1 जी-सेक बाज़ार	29
1.3.2 कॉर्पोरेट बांड बाज़ार	29
1.3.3 इक्विटी बाज़ार	30
1.4 वैश्विक पेंशन बाज़ारों की समीक्षा	31
1.4.1 ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि परिसंपत्तियाँ	34
1.4.2 निवेश रुझान	35
1.5 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा	36
1.6 भारतीय पेंशन परिदृश्य	37
1.7 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा का विवरण	40
1.8 एनपीएस के तहत मध्यवर्ती इकाइयाँ	41
1.8.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं से संबंधित मध्यवर्ती और अन्य इकाइयाँ	41
1.8.2 खाते के प्रकार	43
1.8.3 लोकसंपर्क	43

भाग — II		44
एनपीएस के तहत निधियों का निवेश		
2.1	पेंशन निधियाँ	44
2.1.1	पेंशन निधियों के कार्य	44
2.1.2	सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकार), एनपीएस-स्वावलंबन तथा एपीवाई हेतु पेंशन निधियों की सूची	45
2.1.3	निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों की सूची	45
2.2	योजनायें	46
2.3	पेंशन निधियों से जुड़ी विनियम, अधिसूचनाएं, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र / दिशानिर्देश	55
2.4	निरीक्षण	55
भाग — III		56
प्राधिकरण के कार्य		
3.1	मध्यवर्ती इकाइयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरणों का निलम्बन, निरसन तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यवर्तियों की गतिविधियों का विनियमन	56
3.2	योजनाओं, उनके नियमों और शर्तों का अनुमोदन	58
3.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास	59
3.3.1	पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 तथा उसमें हुए संशोधन	59
3.3.2	एनपीएस के तहत आंशिक निकासी	61
3.4	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए की गयी गतिविधियाँ	73
3.5	अभिदाताओं हेतु शिकायत निवारण तंत्र तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु संचालित गतिविधियाँ	75
3.5.1	वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या	80
3.5.2	वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में राज्यवार प्राप्त शिकायतें	81
3.5.3	लोक शिकायत निस्तारण	81
3.6	सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन प्रोग्राम	84
3.7	प्राधिकरण तथा मध्यवर्तियों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है	85
3.8	पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यवर्ती इकाइयों के प्रशिक्षण का विवरण	85
3.8.1	पेंशन संबंधी वित्तीय साक्षरता	85
3.8.2	सेवानिवृत्ति नियोजक योजना	85
3.8.3	वित्तीय तथा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय हेतु कार्यक्रम	85
3.8.4	मीडिया, संचार तथा एनपीएस/एपीवाई जागरूकता पर पीएफआरडीए के प्रयास	86

3.8.5	सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए	89
3.8.6	जनसंपर्क और संचार	89
3.8.7	प्रशिक्षण	90
3.8.8	एनपीएस तथा एपीवाई सूचना सहायता पटल (हेल्प डेस्क)	90
3.9	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित सम्मेलन/बैठकें और अन्य पहल	90
3.9.1	केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन	90
3.9.2	सरकारी क्षेत्र/गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम	108
3.9.3	गैर-सरकारी क्षेत्र में एनपीएस	114
3.9.4	कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत सम्मेलन/संगोष्ठियां	115
3.9.5	अटल पेंशन योजना	116
3.10	पेंशन निधियों का प्रदर्शन	124
3.11	विनियमित आस्तियां	137
3.12	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संग्रहित शुल्क और अन्य प्रभार	137
3.13	पेंशन निधि से जुड़े मध्यवर्ती और अन्य संस्थाओं या संगठनों की लेखापरीक्षा सहित मांगी गई सूचना, निरीक्षण, पूछताछ और जांच	140
3.13.1	जांच और अन्वेषण	140
3.13.2	निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा	140
3.13.3	अधिनिर्णयन	141
3.13.4	आंतरिक लेखापरीक्षा	141
3.14	अन्य	142
3.14.1	अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिल अभिदाता (श्रेणीवार)	142
3.14.2	उपस्थिति अस्तित्व	145
3.14.3	प्रबंधन के अंतर्गत योजनावार परिसंपत्तियां	147
3.14.4	केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	149
3.14.5	पेंशन निधि	152
3.14.6	न्यासी बैंक	155
3.14.7	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक	159
3.14.8	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास	161
3.14.9	सेवानिवृत्ति सलाहकार	163
3.14.10	प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य कार्य	163
भाग — IV		165
4.1	पेंशन सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली	165
4.2	बनाए गए या संशोधित किए गए विनियम	166
4.3	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति का गठन	168

भाग – V		169
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मुद्दे		
5.1	पीएफआरडीए बोर्ड का गठन	169
5.2	प्राधिकरण की बैठकें	169
5.3	पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	170
5.4	पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ का कामकाज	170
5.5	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु समिति	171
5.6	कर्मचारी कल्याण समिति	171
5.7	कर्मचारियों के कल्याण के लिए की गई पहल	171
5.8	पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण	176
5.9	राजभाषा का प्रसार	176
5.10	सूचना का अधिकार	178
5.11	संसदीय प्रश्न	180
5.12	पीएफआरडीए के खाते	180
भाग – VI		181
अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र		
6.1	सक्रिय विनियम का अभाव, सरकारी नोडल अधिकारियों हेतु बाधा	181
6.2	सांविधिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया है:- 'न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना (मार्स)	181
6.3	कर्मचारी के वेतन के 10% से ऊपर नियोक्ता के अंशदान पर कराधान	181
6.4	नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान की कर देयता	182
6.5	साइबर खतरे	182
भाग – VII		183
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा किये गए अन्य उपाय		
7.1	अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की गयी अन्य पहल	183
अनुलग्नक की सूची		
अनुलग्नक I		
पेंशन सलाहकार समिति का गठन		186
अनुलग्नक II		
सक्रिय पीओपी-एसपी की राज्यवार कुल संख्या		187
अनुलग्नक III		
वार्षिक लेखा और अनुसूचियां		189

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46 के साथ पठित पीएफआरडीए (रिपोर्ट्स, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 के नियम 7 और 9 के अंतर्गत।

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में निम्नानुसार दिए गए हैं :-

“पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करना, पेंशन निधियों की योजनाओं और उनसे संबंधित तथा प्रासंगिक मामलों में अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना।”

परिकल्पना

संगठित पेंशन प्रणाली के संवर्धन और विकास के लिए मॉडल विनियामक बनना ताकि लोगों की वृद्धावस्था आय संबंधी जरूरतों को स्थायी आधार पर पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय का संदेश

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान निरंतर प्रगति की है। यह निवेश विकल्पों में अभिदाताओं को लचीलापन (तन्यता) प्रदान करती है तथा इसके खाते की निरंतरता अभिदाता रोजगार की स्थिति पर निर्भर नहीं होती।

एनपीएस की स्थापना वर्ष 2004 में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए की गई थी, जिसका विस्तार वर्ष 2009 में निजी क्षेत्र के लिए भी किया गया। यह उत्साहजनक बात है कि निजी क्षेत्र के लिए एनपीएस में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। मार्च 2024 के अंत तक, निजी क्षेत्र के अभिदाताओं की संख्या 55 लाख को पार कर गई है। एनपीएस सहित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत सक्रिय अभिदाताओं की संख्या 7.4 करोड़ थी तथा कुल राशि 11.73 लाख करोड़ रुपये थी जो मार्च 2024 के अंत में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का लगभग 4 प्रतिशत है।

एनपीएस के तहत निवेश योजनाओं ने प्रतिस्पर्धी रिटर्न प्रदान की है। इक्विटी योजना ने स्थापना के बाद से 13.5 प्रतिशत की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) प्रदान किया है और इसका पिछले वर्ष 35 प्रतिशत का रिटर्न था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऋण और इक्विटी मिश्रीत योजनाओं ने स्थापना के बाद से प्रति वर्ष 9.5 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए समग्र योजना ने स्थापना के बाद से प्रति वर्ष 9.4 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं एपीवाई योजना, स्थापना के बाद से प्रति वर्ष 9.11 प्रतिशत का रिटर्न दे रही है।

विश्व भर में, पेंशन आस्तियाँ वित्तीय बाजारों की स्थिरता और आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। भारत में बढ़ती पेंशन आस्तियां न केवल वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि आधारभूत संरचना के लिए दीर्घकालिक पूंजी भी प्रदान करती हैं।

प्राधिकरण ने एनपीएस संचालन के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं:— जैसे विनियमों की व्यापक समीक्षा जिसमें डिजिटल मोड पर अधिक ध्यान देते हुए मध्यवर्तियों की अनुपालन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाया गया है, साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों को ठोस बनाया गया है, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए नोडल कार्यालयों के लिए 'आधार'—आधारित प्रक्रिया शुरू की गई है, व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) तंत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत अभिदाता उच्च रिटर्न का लाभ उठाने के लिए एनपीएस में निवेश कर संचित कोष के 60 प्रतिशत से मासिक राशि प्राप्त कर सकता है। हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए मंच प्रदान करने हेतु 'चिंतन शिविर' का भी आयोजन किया गया था।

पीएफआरडीए न केवल इस क्षेत्र को विनियमित करके बल्कि इसे प्रोन्नत करके भी वितरण चैनलों के सशक्तीकरण और पेंशन कवरेज का विस्तार करने एवं उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजिटल पहलों के माध्यम से पेंशन पारिस्थिति की तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हितधारकों से बेहतर संपर्क बनाने और उपयोगकर्ताओं को सहज एवं सुलभ सेवा का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थापत्य (टार्च) परियोजना लागू कर संगठन की तकनीकी आधारभूत संरचना का भी विस्तार किया जा रहा है। पेंशनयुक्त समाज के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एनपीएस में विस्तार की काफी संभावना है क्योंकि भारत सदी के मध्य तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा सहित एक उच्च मध्यम आय वाले देश में परिवर्तित हो रहा है।

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

बोर्ड के सदस्य



डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष



डॉ. मनोज आनंद
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त)



श्रीमती ममता शंकर
पूर्णकालिक सदस्य— अर्थशास्त्र



श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए और एएस 1988)
विशेष सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग
12.12.2014 से 31.10.2023 तक



श्रीमती परमा सेन
(आईए और एएसए 1994),
अपर सचिव, व्यय विभाग
11.12.2023 से अब तक



श्री राहुल सिंह (आईएस 1996)
अपर सचिव (एस एंड वी)
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(डीओपीटी) 15.07.2022 से
26.03.2024 तक



श्री पंकज शर्मा (आईसीएस 2000),
संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग,
वित्त मंत्रालय 27.05.2022 से अब तक

अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और कार्यकारी निदेशक



(बाएं से दाएं)

श्री अनंत गोपाल दास, कार्यकारी निदेशक

श्री वेंकटेश्वरलु पेरी, कार्यकारी निदेशक

श्री अशोक कुमार सोनी, कार्यकारी निदेशक

श्रीमती ममता शंकर, पूर्णकालिक सदस्य— अर्थशास्त्र

डॉ. दीपक महान्ती, माननीय अध्यक्ष

डॉ. मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त)

श्रीमती ममता रोहित, कार्यकारी निदेशक

श्रीमती सुमीत कौर कपूर, कार्यकारी निदेशक

श्री राहुल रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण (मार्च 31, 2024 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री अनंत गोपाल दास
श्रीमती ममता रोहित
श्री अशोक कुमार सोनी
श्री वेंकटेश्वरलु पेरी
श्रीमती सुमीत कौर कपूर
श्री राहुल रविन्द्रन

मुख्य महाप्रबंधक

श्री आशीष कुमार
श्री के. मोहन गांधी
श्री मोनो मोहोन गोगोई फुकन
श्री अखिलेश कुमार
श्री प्रवेश कुमार
श्री विकास कुमार सिंह
श्री सुमित कुमार
श्री पी. अरुमुगारंगाराजन

महाप्रबंधक

श्री सचिन जोनेजा
श्री आशीष कुमार भारती
श्रीमती गुरमिंदर कौर
डॉ. पूर्णिमा शर्मा
श्रीमती मंजू भल्ला
डॉ. अल्पना वत्स
श्री के.आर. दौलत अली खान

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सुशील कुमार

लोकपाल

श्री नरेन्द्र कुमार भोला

वार्षिक रिपोर्ट दल
श्री वेंकटेश्वरलु पेरी (कार्यकारी निदेशक)
श्री सचिन जोनेजा (महाप्रबंधक)
श्री सिद्धांत मोहापात्रा (सहायक प्रबंधक)

संक्षिप्तियां

एई	विकसित अर्थव्यवस्थाएं
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एपीवाई-एसपी	एपीवाई-सेवाप्रदाता
एसोचौम	एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एएसपी	वार्षिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति
बीएसई	बम्बई शेयर बाजार
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीबीओ	कॉर्पोरेट शाखा ऑफिस
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजी	केंद्र सरकार
सीजीएमएस	केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीएचओ	कॉर्पोरेट मुख्य कार्यालय
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरए	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
सीएसजीएल	ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही
डीबी	परिभाषित लाभ
डीडीओ	आहरण और संवितरण कार्यालय
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीटीए	खजाना और लेखा निदेशालय
डीटीओ	जिला कोष कार्यालय
ईएमडीई	उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस	कर्मचारी पेंशन योजना
ईआरएम	त्रुटि संशोधन मोड्यूल

एफएक्यू	अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
फिन-टेक	वित्तीय तकनीक
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जी सेक	सरकारी प्रतिभूति
एच वन	वर्ष की पहली छमाही
एच टू	वर्ष की दूसरी छमाही
आईएमएफ	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओएस	आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम
आईपिन	इन्टरनेट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन संख्या
टीपिन	टेलीफोनिक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर
आईआरडीएआइ	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
मोबाइल एप	मोबाइल एपलिकेशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एनएवी	कुल आस्ति मूल्य
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनआईएसएम	राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान
एनएलएओ	एनपीएस लाइट खाता कार्यालय
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएससीएएन	एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क
एनपीएसटी	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओपीजीएम	ऑनलाइन प्रान जेनरेशन माड्यूल
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड

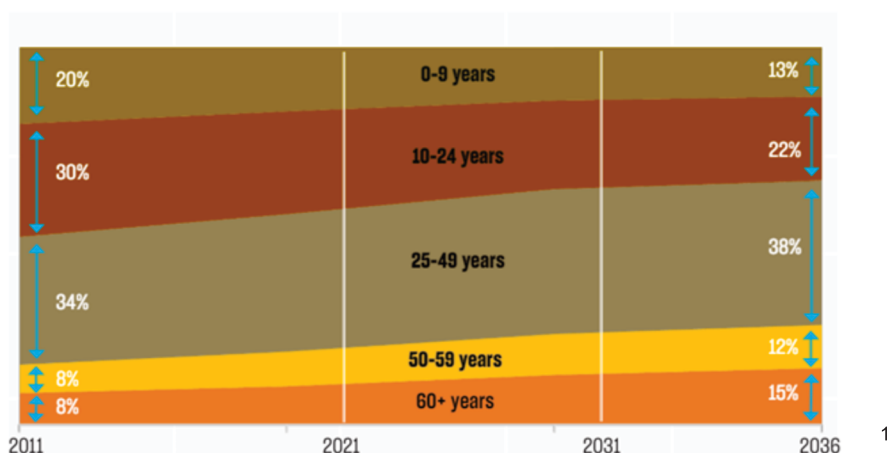
पीएसी	पेंशन सलाहकार समिति
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय
पीआरएओ	प्रधान लेखा कार्यालय
पीएफ	पेंशन निधि
पीएफएम	पेंशन निधि प्रबंधक
पीएचडीसीसीआई	वाणिज्य और उद्योग का पीएचडी चौम्बर
पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकांक
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीओपी-एसई	उपस्थिति अस्तित्व उप इकाई
पीओपी-एसपी	उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता
प्रान	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
क्यूआर कोड	त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्विक रेस्पोंस कोड)
आरए	सेवानिवृत्त सलाहकार
आरई	विनियमित संस्थाएं
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससीएफ	अभिदाता अंशदान फाइल
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
एसजी	राज्य सरकार
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसओटी	संव्यवहार प्रकथन
एसटीएस	सर्वर से सर्वर
टीबी	न्यासी बैंक
टीजीएफआईएफएल	वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह
यूओएस	असंगठित क्षेत्र
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डबल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

भाग I नीतियाँ और कार्यक्रम

भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के तीसरे चरण में है और घटती जन्म दर के बावजूद, जनसंख्या की गति के कारण इसकी जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। 24 वर्ष और उससे कम आयु के लोगों की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में कुल आबादी (50 प्रतिशत) के आधे से घटकर 2036 में लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) होने की आशा है। परिणामस्वरूप, भारत की जनसंख्या के बढ़ने की उम्मीद है जब तक कि यह 2036 के मध्य तक 1.67 अरब तक अधिकतम नहीं पहुंच

जाती। हालांकि, प्रजनन दर में कमी सहित युवाओं की हिस्सेदारी उत्तरोत्तर कम होगी, और अंततः संक्रमण की प्राकृतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जनसंख्या में गिरावट आएगी। इसलिए जनसांख्यिकी में बदलाव और घटते जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण वृद्धावस्था आय के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है और इसीलिए पेंशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

Population age structure transition



भारत में एनपीएस की शुरुआत ने परिभाषित लाभ से परिभाषित अंशदान प्रणाली में परिवर्तन के माध्यम से एक आदर्श बदलाव को दर्शाया है। एनपीएस भारत के नागरिकों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है, जिसे वृद्धावस्था में पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना अन्य बातों के साथ-साथ भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करती है, क्योंकि देश की जनसांख्यिकी में बदलाव की आशा है। यह एक डीसी अर्थात् परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लचीले निवेश विकल्प प्रदान कर अभिदाता के कार्यकाल के दौरान पेंशन कोष के संचय की सुविधा प्रदान करती है। आरंभ में यह योजना 2004 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए अपनाया गया। तदुपरांत, एनपीएस को 2009 में भारत के सभी नागरिकों के लिए और 2011 में कॉर्पोरेट क्षेत्र में विस्तारित किया गया था। एनपीएस में 18-70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय

नागरिक शामिल हो सकता है और किसी भी नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में अपनाया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस अभिदाताओं की संख्या 12.1 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़कर 1.31 करोड़ से 1.47 करोड़ हो गई है। एनपीएस और एपीवाई के तहत एयूएम के जीडीपी का अनुपात (वर्तमान कीमतों पर) मार्च 2023 के अंत में 3.29 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 4.0 प्रतिशत हो गया है। निजी क्षेत्र के अभिदाताओं की वृद्धि दर 18.8 प्रतिशत रही है। एनपीएस का एयूएम 30.5 प्रतिशत की सीएजीआर पर 8.66 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 11.31 लाख करोड़ रु. हो गया है। निजी क्षेत्र के एयूएम की वृद्धि दर 43 प्रतिशत थी। एपीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित आय प्रदान करना है, जिसमें उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो असंगठित क्षेत्र में हैं और गरीब हैं। इस योजना के तहत गारंटीकृत पेंशन का लाभ उठाने के लिए उन्हें 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से बचत करनी है। एपीवाई के तहत 31 मार्च, 2024 तक

स्रोत:- भारत की जनसंख्या वृद्धि और नीति कार्यान्वयन, यूएनएफपीए, दिसंबर 2023

नामांकन की संख्या 6.43 करोड़ से अधिक हो गई है, जिनमें वित्त वर्ष 2023-24 में 1.22 करोड़ से अधिक नए अभिदाता पंजीकृत किए गए थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है और इस योजना ने सकल नामांकन में 24 प्रतिशत की उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। सुसंगत और वित्तीय रूप से टिकाऊ पेंशन प्रणाली तैयार कर इसे लागू करने के लिए एनपीएस को प्रणालीगत दृष्टिकोण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पीएफआरडीए ने अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने, इसके उपयोग की सहजता में सुधार करने के साथ-साथ आर ई के लिए अनुपालन को तर्कसंगत और सरल बनाने हेतु विभिन्न पहल और सुधार किए हैं। कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:— पैरा 99 और 100 में निहित माननीय वित्त मंत्री की बजट घोषणा के संबंध में विनियमों की समीक्षा, एकमुश्त और वार्षिकी के समानांतर प्रसंस्करण के माध्यम से एनपीएस से निकासी की शर्तों को आसान बनाना ताकि निर्बाध निकास सुनिश्चित किया जा सके जिससे अभिदाता का संचय चरण से वार्षिकी चरण में स्थानांतरण संभव, आरई के लिए व्यावसायिक कार्यनीति, जोखिम मूल्यांकन और विनियामक अनुपालन के आधार पर क्लाउड सेवा अपनाने का आकलन करने हेतु दिशानिर्देश जारी करना, सीडीएसएल और एनएसडीएल द्वारा जारी सीएसएस के साथ एनपीएस एसओटी का एकीकरण, वृद्धावस्था आय लाभों को अनुकूलित करने के लिए प्रणालीगत एकमुश्त निकासी की शुरुआत, संगठन के साथ मानव संसाधन, प्रशासन, आईटी, वित्त और लेखा एवं कानूनों का डिजिटलीकरण तथा उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आगामी पीएफआरडीए इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से आंतरिक डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना आदि।

पेंशन क्षेत्र, वैश्विक और घरेलू विकास द्वारा प्रभावित होता है। साथ ही, पेंशन आस्तियां पूंजी बाज़ार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं। वैश्विक और घरेलू विकास आर्थिक संवृद्धि, मुद्रास्फीति, वस्तुओं की कीमतों के साथ-साथ मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं में परिलक्षित होते हैं और यह वित्तीय बाज़ार के सभी क्षेत्रों, फिर चाहे वह इक्विटी बाज़ार हों, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार हों, या कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार हों, को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट के इस भाग में, वैश्विक और घरेलू पेंशन बाज़ारों के घटनाक्रमों पर ध्यान देने से पहले वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त समीक्षा की गई है।

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक विकास जो कि 2023 में 3.2 प्रतिशत था को 2024

और 2025 में समान गति बनाए रखने की आशा की गई है। यह प्रक्षेपवक्र उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास में मामूली वृद्धि की ओर इंगित करता है जो वर्ष 2023 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 1.7 प्रतिशत हो गया है और 2025 में इसके 1.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। यद्यपि, इस वृद्धि को ईएमडीई में मामूली गिरावट से संतुलित कर 2023 में विकास 4.3 प्रतिशत से 2024 और 2025, दोनों में 4.2 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है। विशेष रूप से, पांच वर्षों में वैश्विक विकास का पूर्वानुमान 3.1 प्रतिशत है जो पिछले दशकों में सबसे कम स्तर पर है।¹

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में धीरे-धीरे सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि मंदी की चिंताएं कम हो रही हैं। जबकि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं लचीलापन (तन्यता) दिखा रही हैं और मजबूत विकास का अनुभव कर रही हैं, कई अन्य पिछड़ रहे हैं, जिससे दुनिया भर में अलग-अलग विकास के पथ बन रहे हैं। विशेष रूप से, जापान एक महत्वपूर्ण पलटाव के दौर से गुजर रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में मजबूत विकास गति जारी है। हालांकि, यूरोजोन और चीन में आर्थिक गतिविधि मंद बनी हुई है, फिर भी सुधार के संकेत स्पष्ट हैं। अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को संशोधित कर बढ़ाया है।

प्रमुख संकेतक, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान का भी संकेत देते हैं। वैश्विक समग्र पीएमआई ने मार्च 2024 में वृद्धि दर्शाई है, जो विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्रों में तेजी से विस्तार का संकेत देती है। मार्च 2024 में वैश्विक विनिर्माण पीएमआई 21 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सुधार को दर्शाता है और सरकारों और व्यवसायों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है।²

मूल्य स्थिरता को बहाल करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में पर्याप्त बढ़ोतरी के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने आश्चर्यजनक लचीलापन (तन्यता) प्रदर्शित किया है, जो विकास प्रक्षेप पथ को बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्थाओं की ऐसे उपायों का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है।³

संयुक्त राज्य अमेरिका में, चालू वर्ष 23 की अंतिम तिमाही में जीडीपी 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर पर विस्तारित हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान जापान की वृद्धि में 1.2 प्रतिशत तक सुधार हुआ। ब्रिटेन की मासिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में फरवरी 2024 में 0.1

¹स्रोत:— World Economic Outlook, अप्रैल 2024

²स्रोत:— DEA Monthly Economic Review, मार्च 2024

³स्रोत:— World Economic Outlook, अप्रैल 2024

प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि जनवरी 2024 में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो मुख्य रूप से विनिर्माण विस्तार से प्रेरित होगी। इसके अतिरिक्त, वैश्विक विनिर्माण पीएमआई बढ़कर 50.6 प्रतिशत हो गया, जो जून 2022 के बाद से अपनी सबसे तेज गति तक पहुंच गया है, जिसे नए ऑर्डर प्रवाह में मजबूती से बढ़ावा मिला है। इंडोनेशिया, रूस और ब्राजील सहित विभिन्न ई एम डी ई में मजबूत वृद्धि देखी गई, तथा विनिर्माण पीएमआई संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में क्रमशः बाईस और दस महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। वैश्विक सेवा पीएमआई में भी पिछले वर्ष जुलाई से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से वित्तीय सेवा प्रदाताओं के भीतर, मार्च 2024 में नौ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा, समग्र आर्थिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक समग्र पी एम आई 52.3 पर रहा, जो जून 2023 के बाद से सबसे अधिक है। कुल नये ऑर्डर और नये निर्यात ऑर्डर दोनों में वृद्धि हुई है, जबकि व्यापारिक आशावाद नौ महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए संघर्ष के बावजूद, भू-राजनीतिक तनाव से उत्पन्न अस्थिरता और अनिश्चितता कम होती दिख रही है। भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक, जो मार्च 2023 से बढ़ रहा था, फरवरी 2024 में गिर गया, जो जोखिम धारणाओं में कमी का संकेत देता है और विकास के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप तार्किक चुनौतियों में भी कमी आई है। भविष्योन्मुखी संकेतक आशावाद और भावनाओं में सुधार की तस्वीर पेश करते हैं, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अनुकूल दृष्टिकोण का संकेत देते हैं।⁵

1.1.1 वैश्विक मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति के संदर्भ में स्थिर गिरावट का अनुमान है, वैश्विक मुद्रास्फीति के 2023 में 6.8 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के ईएमडीई की तुलना में शीघ्र ही मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर लौटने का अनुमान है। मुख्य मुद्रास्फीति में आम तौर पर तीव्र क्रमिक गति से कमी होने का अनुमान है।

मार्च 2024 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले इसी महीने की तुलना में बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो 0.4 प्रतिशत की लगातार तीसरी मासिक वृद्धि को दर्शाती है। यह उछाल मुख्य रूप से आश्रय और ऊर्जा घटकों के कारण हुआ, जिनका सामूहिक योगदान माह-दर-माह मुख्य लाभ में आधे से अधिक रहा। इसी

तरह, यूनाइटेड किंगडम में सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2024 में साल-दर-साल बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें महीने-दर-महीने 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आवास और घरेलू सेवाओं के ऊपर दबाव से प्रेरित थी।

मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद, बाजार में इस बात की प्रबल संभावना बनी हुई है कि वर्ष के अंत में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लिया जाएगा। यह मनोभाव अप्रैल 2024 में आयोजित फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक से प्राप्त संकेतों और एफओएमसी प्रतिभागियों द्वारा उचित मौद्रिक नीति के आकलन के अनुरूप है, जो 2024 में कुल 75 आधार अंकों की ब्याज दर में कटौती का अनुमान लगाने वाले डॉट प्लॉट में परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के अंत में श्रम बाजार में पुनः संतुलन, मजदूरी में कमी तथा मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं। अप्रैल 2024 में अपनी नवीनतम बैठक में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने भी दर में कटौती का संकेत दिया क्योंकि यूरोजोन मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है, जो कि उदार मौद्रिक नीति उपायों के प्रति व्यापक वैश्विक रुझान को रेखांकित करता है।⁶

1.1.2 वैश्विक वस्तु मूल्य

मार्च 2024 में, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई, जो ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों वस्तुओं के कारण हुई। दिसंबर 2023 से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ओपेक देशों द्वारा 2024 के मध्य तक आपूर्ति बाधाओं को बनाए रखने के निर्णय को दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका में सुदृढ़ विकास संभावनाओं और चीन में सुधार के संकेतों से कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही, सात महीने की गिरावट के बाद मार्च में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी तेजी देखी गई, जिसका मुख्य कारण वनस्पति तेलों की बढ़ती कीमतें थीं। खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि का कारण, प्रमुख उत्पादक देशों में उत्पादन में मौसमी गिरावट है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में मजबूत मांग के साथ मेल खाती है।

वैश्विक वस्तु मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो ऊर्जा में 2 प्रतिशत तथा गैर-ऊर्जा वस्तुओं में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित है। कच्चे तेल की कीमतें 83.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई, जो पिछले महीने की तुलना में 3.7 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट के बाद, मार्च 2024 में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण वनस्पति तेल की कीमतों में 8 प्रतिशत की वृद्धि थी। ये रुझान

⁵स्रोत— World Economic Outlook, अप्रैल 2024

⁶स्रोत— DEA Monthly Economic Review, मार्च 2024

भू-राजनीतिक गतिशीलता, आपूर्ति बाधाओं और वैश्विक वस्तु बाजारों को आकार देने वाले मांग-पक्ष कारकों के जटिल आपसी प्रभाव को दर्शाते हैं।⁷

1.1.3 वैश्विक आर्थिक परिवेश

वर्तमान आर्थिक परिवेश में वैश्विक आर्थिक नरमी की उम्मीदें तथा मुद्रास्फीति में निरन्तर कमी की संभावना है, जिससे परिवारों और व्यवसायों को उच्च ब्याज दरों के बावजूद कम लागत पर वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की बैंकिंग उथल-पुथल को नियंत्रित करने से भी आश्वासन मिला है। ऐतिहासिक मानकों के अनुसार, यह स्थिति असामान्य है, तथा यह उन पिछले उदाहरणों के विपरीत है, जहां मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए मौद्रिक नीति को काफी कठोर करने से मंदी और सख्त वित्तीय स्थिति पैदा हुई थी। यद्यपि, मुद्रास्फीति के लक्ष्य स्तर पर लौटने के साथ ही बाजार में लचीली और मामूली वृद्धि की उम्मीद है।

इस आशावाद के बावजूद, तेजी से आस्तियों के पुनर्मूल्यन निर्धारण की संभावना बनी हुई है, जिसमें नीतिगत बदलाव, भू-राजनीतिक तनाव और वस्तुओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान शामिल हैं, जो मुद्रास्फीति की गति और मौद्रिक नीति के संबंध में अपेक्षाओं में बदलाव लाने में सक्षम हैं। नतीजतन, वित्तीय स्थिति अचानक कड़ी हो सकती है, जिससे निवेशकों की धारणा में कटुता आ सकती है और आस्ति मूल्य सहसंबंधों में गिरावट आ सकती है। कम अनुकूल वित्तीय वातावरण, चुनौतीपूर्ण पुनर्वित्त स्थितियों का सामना कर रहे वाणिज्यिक रियल एस्टेट के कुछ क्षेत्रों में मौजूदा दुर्बलताओं को विशेष रूप से बढ़ा सकता है।

वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के सख्त होने से उभरते बाजारों पर पूंजी बहिर्वाह का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मुद्रा और अन्य आस्तियों का मूल्यह्रास हो सकता है। यद्यपि प्रमुख उभरते बाजारों ने हाल के वर्षों में ब्याज दरों में वृद्धि के प्रति लचीलापन (तन्यता) प्रदर्शित किया है, फिर भी कमजोर संप्रभु देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण स्रोतों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मध्यम अवधि में, आसान वित्तीय स्थितियां वित्तीय दुर्बलताओं के संचय में योगदान दे सकती हैं, जिसमें सरकारों और निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं द्वारा अत्यधिक ऋण उपयोग भी शामिल है। निजी ऋण बाजारों की अपारदर्शिता, विशेष रूप से हाल के वर्षों में, निजी ऋण में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त चिंताएं प्रस्तुत करती है।

नीतिगत उपायों से इन जोखिमों और दुर्बलताओं को कम किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत मुद्रास्फीति की उम्मीदों और मौद्रिक नीति में ढील के प्रति सतर्क दृष्टिकोण

से की जा सकती है। वित्तीय विनियामक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थाएं तनाव परीक्षण, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाई और उन्नत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के माध्यम से, विशेष रूप से निजी ऋण बाजार जैसे क्षेत्रों में, चूक और अन्य जोखिमों का सामना कर सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विवेकपूर्ण मानकों का कार्यान्वयन, जैसे कि बेसल-III और वसूली और समाधान ढांचे पर प्रगति कमजोर संस्थानों से गिरावट को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राजकोषीय समेकन सहित ऋण दुर्बलताओं को नियंत्रित करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से उभरते बाजारों के लिए तथा पूंजी बहिर्वाह और वित्त पोषण की कमी को न्यून करने के लिए सीमांत अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। जबकि वैश्विक वृहद वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण में वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ सुधार हुआ है, अतः नीति निर्माताओं को सतर्क रहना चाहिए और प्रतिकूल परिदृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अनुभव किए गए प्रतिकूलताओं की श्रृंखला को देखते हुए संभावित भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत उपाय और तत्परता आवश्यक है।⁸

1.1.4 वैश्विक बॉन्ड और इक्विटी बाजार

वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सहज होने से अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और निम्न आय वाले देशों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे अत्यधिक फल-प्रदायी संप्रभुता प्रसार ने 2023 में ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद हाल ही में निवेश-ग्रेड प्रसार से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह प्रवृत्ति कई देशों में अगले दो वर्षों में परिपक्व होने वाली हार्ड करेंसी बॉन्ड की बड़ी संख्या के बीच हो रही है। स्थानीय बैंकिंग संस्थानों ने संप्रभु ऋण की अपनी हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि कर दी है, जिससे बाह्य बाजारों तक पहले से सीमित पहुंच के कारण संप्रभु बैंक गठजोड़ से संभावित जोखिम पैदा हुए हैं।

केंद्रीय बैंकों जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर मात्रात्मक रूप से सख्त प्रयासों ने सरकारी बांड के लिए खरीदार आधार को स्थानांतरित कर दिया है। बचाव निधि सहित नए सीमांत खरीदारों के उद्भव से मूल्य संवेदनशीलता बढ़ी है और ऋण स्थिरता पर ध्यान दिया गया है, जो बॉन्ड बाजारों में मध्यम अवधि के उतार-चढ़ाव में संभावित रूप से योगदान कर सकता है। कुछ देशों को बकाया सॉवरेन ऋण की पूर्ति करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मौजूदा ऋण संबंधी मुद्दे बढ़ सकते हैं।

⁷स्रोत:— DEA Monthly Economic Review, मार्च 2024

⁸स्रोत:— Global Financial Stability Report (GFSR), अप्रैल 2024

अधिकांश बैंकों ने मार्च 2023 की उथल-पुथल के दौरान लचीलापन (तन्यता) प्रदर्शित किया है, फिर भी प्रमुख जोखिम संकेतक बताते हैं कि बैंकों का एक उपसमूह असुरक्षित बना हुआ है, जिसमें विशेष रूप से चीनी और अमेरिकी बैंक शामिल हैं। हाल के वर्षों में गैर-बैंकों, विशेष रूप से असीमित अवधि वाली निधियों में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, जिससे वैश्विक वित्तीय संकट से पहले देखी गई तरलता परिवर्तनों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

बढ़ते डिजिटलीकरण और भू-राजनीतिक तनाव के साथ, दुर्भावनापूर्ण इरादे से की जाने वाली साइबर घटनाएं वृहद-वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। केंद्रीय बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे समय से पहले मौद्रिक नीति में ढील देने से बचें तथा नीतिगत दरों में कटौती के लिए बाज़ार की अति आशावादी अपेक्षाओं के विपरीत कदम उठाएं, तथा इसके बजाय अधिक तटस्थ नीतिगत रुख की ओर क्रमिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित करें। बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों में लचीलापन (तन्यता) सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी और विनियामक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उभरते बाज़ारों में ऋण संबंधी दुर्बलताओं को रोकने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

वैश्विक इक्विटी बाज़ारों ने जापान और अमेरिका में सबसे बड़े लाभ के साथ व्यापक स्तर पर परिवर्तन का अनुभव किया है। बाज़ार में नरमी के प्रति आशावाद ने आस्ति की कीमतों को समर्थन दिया है, विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र में, जो सकारात्मक आय संभावनाओं और निवेशक आशावाद से प्रेरित है। वित्तीय स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जबकि उभरते बाज़ारों में विनिमय दरों में मामूली उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी वित्तपोषण जोखिम कम हुआ है। कुछ राहत के बावजूद, चीन में वित्तीय स्थिति विकास और संपत्ति क्षेत्र की समस्याओं के कारण कुछ हद तक कठिन बनी हुई है।⁹

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

वैश्विक परिदृश्य के सतर्क मूल्यांकन के विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास सहित सशक्त आर्थिक प्रदर्शन जारी रखा है। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो आगामी कुछ वर्षों में एशिया के विकास पथ को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। आरबीआई ने अपनी नवीनतम एमपीसी बैठक (अप्रैल 2024) में अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास की गति को स्वीकार करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए 7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है जिसे

सशक्त निवेश गतिविधि द्वारा रेखांकित किया गया है। इस वृद्धि से ग्रामीण माँग में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर गति के प्रेरित होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूईओ ने वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत और 2025-26 में 6.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो घरेलू माँग में निरंतर वृद्धि और कामकाजी उम्र की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी दर वृद्धि सहित एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, ताकि मुद्रास्फीति विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ क्रमिक रूप से संरेखन सुनिश्चित किया जा सके।¹⁰

उपभोक्ता और निवेशक धारणा में भी विकास की संभावनाओं के प्रति आशावाद स्पष्ट है। नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार संभावनाओं के बारे में परिवारिक भावनाओं में वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 दोनों के लिए काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र अपनी गति बनाए रखने के लिए तैयार है, जिसे सतत लाभप्रदता और ग्रामीण माँग में वृद्धि का समर्थन प्राप्त है।¹¹

पिछले दशक के दौरान, भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन का अनुभव किया है और विश्व में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2014 से 2024 तक के संरचनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ, जिससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली जी-20 अर्थव्यवस्था बन गया। अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत (वित्त वर्ष 22) और 7.2 प्रतिशत (वित्त वर्ष 23) महामारी के बाद मजबूत सुधार को दर्शाती है।¹²

प्रमुख उपलब्धियों में शहरी बेरोजगारी में कमी, रिकार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि (विशेष रूप से लड़कियों के लिए), तथा कच्चे तेल की कीमतों का सफल प्रबंधन शामिल हैं। यूक्रेन में संघर्ष और मध्य पूर्व में तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और आर्थिक सुधारों ने भारत की उन्नति में सहायता की है। राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने से राज्यों द्वारा सतत आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजीगत व्यय में योगदान मिला है।¹³

1.2.1 भारत में वृहद-आर्थिक विकास

पिछले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि व्यापक सुधारों और

⁹स्रोत:— Global Financial Stability Report (GFSR), अप्रैल 2024

¹⁰स्रोत:— RBI MPC Report, अप्रैल 2024

¹¹स्रोत:— RBI Monthly Bulletin, मार्च 2024

¹²स्रोत:— The Indian Economy - A Review (DEA)

¹³स्रोत:— RBI Monthly Bulletin, मार्च 2024

नीतियों से प्रेरित रही है। सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के पुनरुत्थान, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से विकास क्षमता को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत, तथा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का कार्यान्वयन, ने तुलन-पत्र को पारदर्शी करने तथा नागरिकों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ कम करने में मदद की है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और जीएसटी जैसे कर नीति सुधारों सहित विनियामक ढांचे के सरलीकरण से पारदर्शिता लाने, काला धन परिसंचरण कम करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है। सरकार ने विकास में सहभागी के रूप में निजी क्षेत्र को भी सफलतापूर्वक शामिल किया है तथा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों जैसी पहल शुरू की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लघु आर्थिक अपराधों के गैर-अपराधीकरण से कारोबार करने में आसानी हुई और एम एस एम ई पर लक्षित सुधारों से छोटे व्यवसायों को समर्थन मिला है। सड़कों, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे और हवाई अड्डों के विद्युतीकरण सहित बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि ने लंबे समय से चली आ रही अड़चनों को दूर किया है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों ने भारत के विकास, औपचारिकीकरण, वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव तथा कुशल कार्यबल की आवश्यकता शामिल हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे प्रयास जैसे सरकारी पहल से चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

भारत का विकास परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, जिसे व्यापक आर्थिक स्थिरता, उद्यमशीलता अनुकूल नीतियों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रयासों से समर्थन मिल रहा है। वैश्विक मंचों, अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी अपनाने में देश की उपलब्धियां विश्व मंच पर इसके बढ़ते महत्त्व को दर्शाते हैं।

भारत की आर्थिक तन्मयता (लचीलापन), जिसे रिकवर करने और बढ़ने की अपनी क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 21 में महामारी के कारण संकुचन के बाद स्पष्ट हुआ है। भारतीय

अर्थव्यवस्था ने लगातार दो वर्षों तक 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है तथा वित्त वर्ष 2024 में तीसरे वर्ष भी इसे दोहराने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही की तुलना में वास्तविक रूप से 7.6% की वृद्धि हुई है। यह लचीलापन (तन्मयता) आर्थिक विकास से भी आगे तक फैला हुआ है, जैसा कि बेरोजगारी दरों में गिरावट और उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में देखा गया है।

लचीला खपत आधार पीएफसीई (निजी अंतिम उपभोग व्यय) में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ, जो टिकाऊ वस्तुओं, अर्ध-टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं में संतुलित है। संरचनात्मक सुधारों, डिजिटलीकरण और समावेशी नीतियों ने आर्थिक विकास में और अधिक योगदान दिया है। सरकार के कल्याणकारी दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलों ने ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम कर दिया है, जिससे ग्रामीण आबादी की आकांक्षाओं और व्यय शक्ति में वृद्धि हुई है। इससे समग्र आर्थिक लचीलापन (तन्मयता) जारी रहने की उम्मीद है, तथा इससे जिसे सकारात्मक विकास परिदृश्य, बुनियादी ढांचा निवेश और मौजूदा नीतिगत सुधारों से समर्थन मिलेगा।

भारत में निवेश का माहौल हाल के वर्षों में बदल गया है और निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण वाहक बन गया है। निवेश दर, जिसे सहस्राब्दि के दूसरे दशक में अनिश्चित ऋण प्रथाओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, फिर से इसमें पिछले तीन वर्षों में उछाल आया है। सुधारों और तुलन-पत्र को सुदृढ़ीकरण करने सहित सरकार के प्रयासों ने सकारात्मक आर्थिक परिणामों में योगदान दिया है।

पिछले तीन वर्षों में निवेश दर में उछाल आया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वित्त वर्ष 2016 के स्तर से अधिक है। गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि में उछाल आया है, जो वित्त वर्ष 23 में 13 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2015 में 5.6 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 18.6 लाख करोड़ हो गया। सकल नियत पूंजी निर्माण में सबसे बड़ा हिस्सा घरेलू क्षेत्र के निवेश का है, जिसने निवेश दर की वृद्धि में योगदान दिया है।

बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण वृद्धि के साथ लचीलापन (तन्मयता) दिखाया है, जिससे जमा वृद्धि में तेजी आई है। बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार का श्रेय आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) और आईबीसी जैसे सुधारों को दिया गया है। पुनर्पूँजीकरण, विनियामक उपायों और ईसीएलजीएस जैसी पहलों ने ऋण सृजन का समर्थन किया है। एनपीए में गिरावट आई है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आस्तियों

और इक्विटी पर निवल ब्याज मार्जिन और प्रतिलाभ (रिटर्न) में सुधार देखा है।

बॉन्ड के क्षेत्र में, 10 साल के अमेरिकी राजकोषीय प्रतिलाभ और भारत के 10 साल के सार्वभौमिक बॉन्ड प्रतिलाभ के बीच प्रसार की स्थिरता, सरकार के राजकोषीय अनुशासन और आरबीआई के प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन के कारण, भारत के मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे में योगदान दिया है। कॉरपोरेट बांड बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में जारी बांड वित्त वर्ष 2014 की तुलना में 2.9 गुना अधिक थे। वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 23 के बीच बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड में 12.8 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई, और बाजार के वित्त वर्ष 24 में 43 लाख करोड़ से दोगुना होकर वित्त वर्ष 30 में 100–120 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है।

आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इनविट, रीट्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए सेबी के नियम और बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य ऋण प्रतिभूतियों जारी करने जैसी पहलों ने बॉन्ड बाजार के विस्तार और गहनता में योगदान दिया है। इस बात से निवेशकों का हित स्पष्ट है, कि भारत के सॉवरेन बांड को जे. पी. मॉर्गन ने अपने व्यापक रूप से ट्रैक किए जा रहे उभरते बाजार सरकारी बांड सूचकांक में शामिल किया है, जिससे अधिक निवेश आकर्षित होने और सरकारी ऋण लागत में कमी आने की उम्मीद है।

भारत के वित्तीय बाजारों में देश की पूंजी निवेश जरूरतों के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इन बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से निवेश में विविधता लाने और बचत में अधिक सुरक्षित वृद्धि करने में व्यापक निवेशक आधार सक्षम होगा। हालांकि, वित्तीय आस्तियों में निवेश के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर जोर देना आवश्यक है।

सामाजिक सक्षमकर्ताओं के संदर्भ में, बाल टीकाकरण और स्वच्छता में निवेश ने समाज के सबसे कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को लाभान्वित करते हुए सकारात्मक बाह्यता प्राप्त की है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है, जिसमें दिसंबर 2023 में अटल पेंशन योजना का अभिदाता आधार 6.1 करोड़ तक पहुंच गया है।¹⁴

1.2.2 घरेलू मुद्रास्फीति

मार्च 2024 में, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर फरवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट मुख्य रूप से ईंधन की कीमतों में महीने-दर-महीने

2.6 प्रतिशत की कमी के कारण हुई थी, जो खाद्य और मुख्य क्षेत्र (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) दोनों समूहों में मामूली वृद्धि की भरपाई करती थी। खाद्य मुद्रास्फीति भी फरवरी में 7.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 7.7 प्रतिशत हो गई, जिसमें फलों, सब्जियों, दालों और मसालों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। इसके विपरीत, अनाज, मांस और मछली की कीमतों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जबकि तेल और वसा में अपस्फीति संकुचित हो गई। ईंधन और प्रकाश समूह की कीमतों में अपस्फीति फरवरी के -0.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में -3.2 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण एल.पी.जी. की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट थी। मार्च में मूल मुद्रास्फीति और घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे कम है, तथा व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव, तथा मनोरंजन और आमोद-प्रमोद को छोड़कर विभिन्न उप-समूहों में मुद्रास्फीति में नरमी आई है। क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई। उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आंकड़ों ने अनाज की कीमतों में मामूली गिरावट का संकेत दिया है, जबकि दालों की कीमतों में वृद्धि जारी रही। खाद्य तेल की कीमतों, जो लगातार घट रही थीं, स्थिर हो गईं। मार्च 2024 के पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में वृद्धि दिखाई, जिसमें सेवा फर्मों ने साढ़े छह वर्षों में सबसे तेज मूल्य वृद्धि का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के नवीनतम मुद्रास्फीति सर्वेक्षण से पता चला है कि तीन महीने और एक वर्ष की अवधि के लिए परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में 20 आधार अंकों की कमी आई है।¹⁵

1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन

एमपीसी की अक्टूबर 2023 की बैठक के दौरान, वैश्विक विकास और व्यापार में गति कम होती देखी गई, जबकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही, हालांकि इसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों और वित्तीय स्थितियों पर उनके प्रभाव के बारे में चिंताओं के बावजूद, जुलाई 2023 में सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण घरेलू हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ गई, हालांकि मूल मुद्रास्फीति में नरमी आई। एमपीसी ने सब्जियों की कीमतों में वृद्धि की क्षणिक प्रकृति की आशंका को देखते हुए 2023–24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। बाह्य चुनौतियों के बावजूद, घरेलू आर्थिक गतिविधि ने लचीलापन (तन्यता) प्रदर्शित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2023–24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बना रहा। एमपीसी ने खाद्य कीमतों में वृद्धि से

¹⁴स्रोत:— The Indian Economy - A Review (DEA)

¹⁵स्रोत:— RBI State of the Economy, मार्च 2024

मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की तथा सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया, जिसमें 5-1 के बहुमत से विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया।

दिसंबर 2023 की बैठक तक, घटती वैश्विक मुद्रास्फीति ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मौद्रिक नीति चक्र में उलटफेर की उम्मीदों को बढ़ावा दिया है। सॉवरेन बांड प्रतिफल में गिरावट, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी तथा वैश्विक इक्विटी बाजारों में मजबूती के साथ-साथ बाजार की धारणा में सुधार देखा गया। भारत में, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई, जो पिछली तिमाही में औसतन 6.4 प्रतिशत थी। एमपीसी ने 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 7.0 प्रतिशत कर दिया, जबकि मुद्रास्फीति अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा। खाद्य कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बावजूद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया, ताकि समायोजन वापस लेने का रुख जारी रखा जा सके।

फरवरी 2024 की बैठक में, सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण दिसंबर 2023 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गई, जबकि मूल मुद्रास्फीति चार साल के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। एमपीसी ने सामान्य मानसून मानते हुए 2024-25 में सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एनएसओ द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत रखी गई, जबकि 2024-25 के लिए 7.0 प्रतिशत का अनुमान है। एमपीसी ने 5-1 के बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि समायोजन वापस लेने का रुख बरकरार रखा। वैश्विक विकास में लचीलापन (तन्यता), भूराजनीतिक तनाव और मौद्रिक नीति के बारे में अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक वित्तीय बाजारों पर प्रभाव जारी है। ईएमडीई में वृद्धि की संभावनाएं आशाजनक बनी हुई हैं, हालांकि कमजोर वैश्विक मांग, व्यापार बाधाओं, अस्थिर पूंजी प्रवाह और कठिन वित्तीय स्थितियों के कारण इसमें गिरावट का जोखिम बना हुआ है। केंद्रीय बैंकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी मौद्रिक नीतियों में सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करें, ताकि मुद्रास्फीति को लक्ष्य स्तर तक लाने में सहायता मिले तथा विकास में सुधार को बढ़ावा दिया जा सके।¹⁶

चरम मौसम की घटनाएं बढ़ने के कारण वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के ठोस आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को दृष्टिगोचर करता है। यह मौद्रिक नीति को भी प्रभावित करता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन विभिन्न माध्यमों से प्रकट होता है। सबसे पहले, यह प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित करता है। दूसरे, बढ़ते तापमान और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि से उत्पन्न विकसित जलवायु गतिशीलता ब्याज की प्राकृतिक दर और उत्पादकता के साथ-साथ संभावित उत्पादन को भी कम कर सकती है। तीसरे, जलवायु परिवर्तन के बाद परिवारों और फर्मों के लिए वित्तपोषण परिदृश्य को आकार देने में मौद्रिक नीति कार्यों की प्रभावकारिता में कमी आ सकती है। इसलिए, केंद्रीय बैंक जलवायु जोखिमों के स्पष्ट विचारों को अपने विश्लेषणात्मक ढांचे में तेजी से एकीकृत कर रहे हैं।

सक्रिय जलवायु शमन उपायों की अनुपस्थिति में, दीर्घकालिक उत्पादन के प्रक्षेपक्रम में जलवायु परिवर्तन से वंचित परिदृश्य की तुलना में 2050 तक लगभग 9 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है जिसमें अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के भौतिक जोखिमों का पूर्ण हस्तांतरण है। साथ ही, मुद्रास्फीति और इसकी अस्थिरता दोनों में समय के साथ वृद्धि हो सकती है। उत्पादकता में गिरावट से ब्याज की प्राकृतिक दर में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त, बार-बार होने वाले मुद्रास्फीति संबंधी झटकों के कारण ब्याज की घटती प्राकृतिक दर के लिए भी अधिक सख्त मौद्रिक नीति रवैया अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, यदि मुद्रास्फीति का उन्माद बढ़ जाता है, तो मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं में कमी आ सकती है।¹⁷

1.3 भारतीय वित्तीय बाजार

वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच भारत में घरेलू वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहे। मुद्रा बाजार की दरों को तरलता में परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया गया, जबकि घरेलू घटनाक्रमों के अनुरूप दीर्घकालिक सरकारी बांडों पर प्रतिफल में कमी की गई। वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में निवेशकों ने मौद्रिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया अतः वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता प्रदर्शित हुई। अक्टूबर 2023 से सॉवरेन बांड प्रतिफल में शुरुआत में कमी आई, लेकिन जनवरी 2024 से इसमें पुनः बढ़त होने लगी।

इसके बावजूद, कई उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक इक्विटी बाजारों में उछाल बरकरार रहा। मुद्रा बाजारों में, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में कड़ी श्रम बाजार स्थितियों, मुद्रास्फीति में कमी,

¹⁶स्रोत— RBI MPC Report, अप्रैल 2024

¹⁷स्रोत— RBI MPC Report, अप्रैल 2024

मजबूत आर्थिक विकास तथा फेडरल रिजर्व की नीतिगत रुख के संबंध में तीखी टिप्पणियों के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। नतीजतन, पूंजी प्रवाह में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के बीच उभरते बाज़ार की मुद्राओं में अस्थिरता देखी गई। इसके विपरीत, इस अवधि के दौरान घरेलू वित्तीय बाज़ार अपेक्षाकृत स्थिर रहे। मुद्रा बाज़ार की दरों को चलनिधि में परिवर्तन के अनुरूप समायोजित किया गया, जबकि घरेलू कारकों के कारण दीर्घकालिक सरकारी बांडों पर प्रतिफल में कमी आई। इक्विटी बाज़ारों में कभी-कभार सुधार के साथ लचीलापन (तन्यता) दिखा और प्रमुख उभरते बाज़ारों की मुद्राओं के बीच भारतीय रुपये में सबसे कम अस्थिरता देखी गई। इसके अतिरिक्त, बैंक ऋण में वृद्धि ऋण बाज़ार में जमा विस्तार से आगे निकल गई, जो उधार गतिविधियों में मजबूती का संकेत है।¹⁸

1.3.1 जी-सेक बाज़ार

वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्रतिफल में नरमी का रुख देखने को मिला, जो घरेलू और वैश्विक कारकों के संयोजन से प्रभावित था। प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में, प्रतिफल में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन बाद में इसमें नरमी आई, जिसके पीछे अक्टूबर और नवंबर के लिए अपेक्षा से कम घरेलू सीपीआई प्रिंट, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, प्रमुख वैश्विक उभरते बाज़ार सूचकांक में भारतीय सरकार के बांडों को प्रस्तावित रूप से शामिल किए जाने तथा अमेरिकी प्रतिफल में गिरावट जैसे कारक जिम्मेदार थे। विशेष रूप से 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल तीसरी तिमाही में 2 आधार अंक (बीपीएस) की गिरावट के साथ 7.20 प्रतिशत पर बंद हुआ। अंतरिम बजट 2024-25 में सकल बाज़ार उधारी में कमी की घोषणा के बाद फरवरी 2024 के प्रतिफल और ढील के साथ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की अनुमानित आपूर्ति में कमी के कारण यह कमी जनवरी 2024 तक जारी रही। कुल मिलाकर, 10-वर्षीय जी-सेक का प्रतिफल चौथी तिमाही में 13 आधार अंक घटकर 7.07 प्रतिशत रह गया, जो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 15 आधार अंक की संचयी गिरावट को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, चलनिधि की तंगी की स्थिति के बीच राजकोष बिल (टी-बिल) की प्राप्ति के सभी परिपक्वता काल में मजबूती का रुख देखा गया। इसके बावजूद, वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़ गई, जो कि प्रतिफल में नरमी को दर्शाती है। जी-सेक के लिए कारोबारी परिपक्वता पर भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में 11 बीपीएस की गिरावट आई, जबकि

टी-बिल पर वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में 31 बीपीएस की वृद्धि हुई। प्रतिफल में यह नरमी सम्पूर्ण परिपक्वता काल में परिलक्षित हुई, जैसा कि वक्र के नीचे की ओर खिसकने से संकेत मिलता है, जिसमें प्रतिफल के औसत स्तर में 22 बीपीएस की नरमी तथा ढलान में 37 बीपीएस की समतलता देखी गई।¹⁹

1.3.2 कॉर्पोरेट बांड बाज़ार

वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में सामान्य कसावट देखी गई, जबकि स्प्रेड में वृद्धि हुई, जो कि तरलता संबंधी बाधाओं और उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण को प्रभावित करने वाले विनियामक उपायों से प्रभावित था। उल्लेखनीय रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा जारी एए-रेटेड 3-वर्षीय बांडों पर औसत प्रतिफल में 2 आधार अंकों की कमी (7.63 प्रतिशत) आई, जो सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी को दर्शाता है। इसके विपरीत, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बॉन्ड पर प्रतिफल सितंबर 2023 की तुलना में मार्च 2024 में क्रमशः 14 आधार अंक (7.98 प्रतिशत) और 12 आधार अंक (7.95 प्रतिशत) बढ़ गया, जो एनबीएफसी पर सख्त नियमों का संकेत है। जोखिम प्रीमियम, जिसे 3-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल पर प्रसार के रूप में मापा जाता है, सभी क्षेत्रों में बढ़ गया, जिसमें पीएसयू, एफआई और बैंकों में वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान क्रमशः 33 आधार अंकों से 44 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई, एनबीएफसी में 51 आधार अंकों से 80 आधार अंकों की वृद्धि हुई, और कॉर्पोरेट में 51 आधार अंकों से 77 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (फरवरी 2024 तक) के दौरान सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बांडों का प्राथमिक निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹ 3.9 लाख करोड़ से घटकर ₹ 3.6 लाख करोड़ हो गया। हालाँकि, विदेशी निर्गमों में वृद्धि देखी गई। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में लगभग सभी संसाधन जुटाना (97.9 प्रतिशत) निजी प्लेसमेंट मार्ग (फरवरी 2024 तक) के माध्यम से हुआ। एफ पी आई ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने निवेश को मामूली रूप से बढ़ाकर मार्च 2024 के अंत तक ₹ 1.08 लाख करोड़ कर दिया, जो सितंबर 2023 के अंत तक ₹ 1.03 लाख करोड़ था, साथ ही स्वीकृत सीमा का उपयोग 15.4 प्रतिशत से बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया। वैश्विक बांड सूचकांकों में भारत के शामिल होने से पहले सॉवरेन ऋण खंड में एफपीआई प्रवाह बढ़ने के बावजूद, इस रुझान का कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। द्वितीयक बाज़ार गतिविधि में मामूली वृद्धि देखी गई, वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (फरवरी 2024 के अंत तक) के दौरान दैनिक औसत व्यापार मात्रा 5,500 करोड़ तक पहुंच गई, जो

¹⁸स्रोत: RBI Monthly Bulletin, मार्च 2024

¹⁹स्रोत: RBI MPC Report, अप्रैल 2024

²⁰स्रोत: RBI MPC Report, अप्रैल 2024

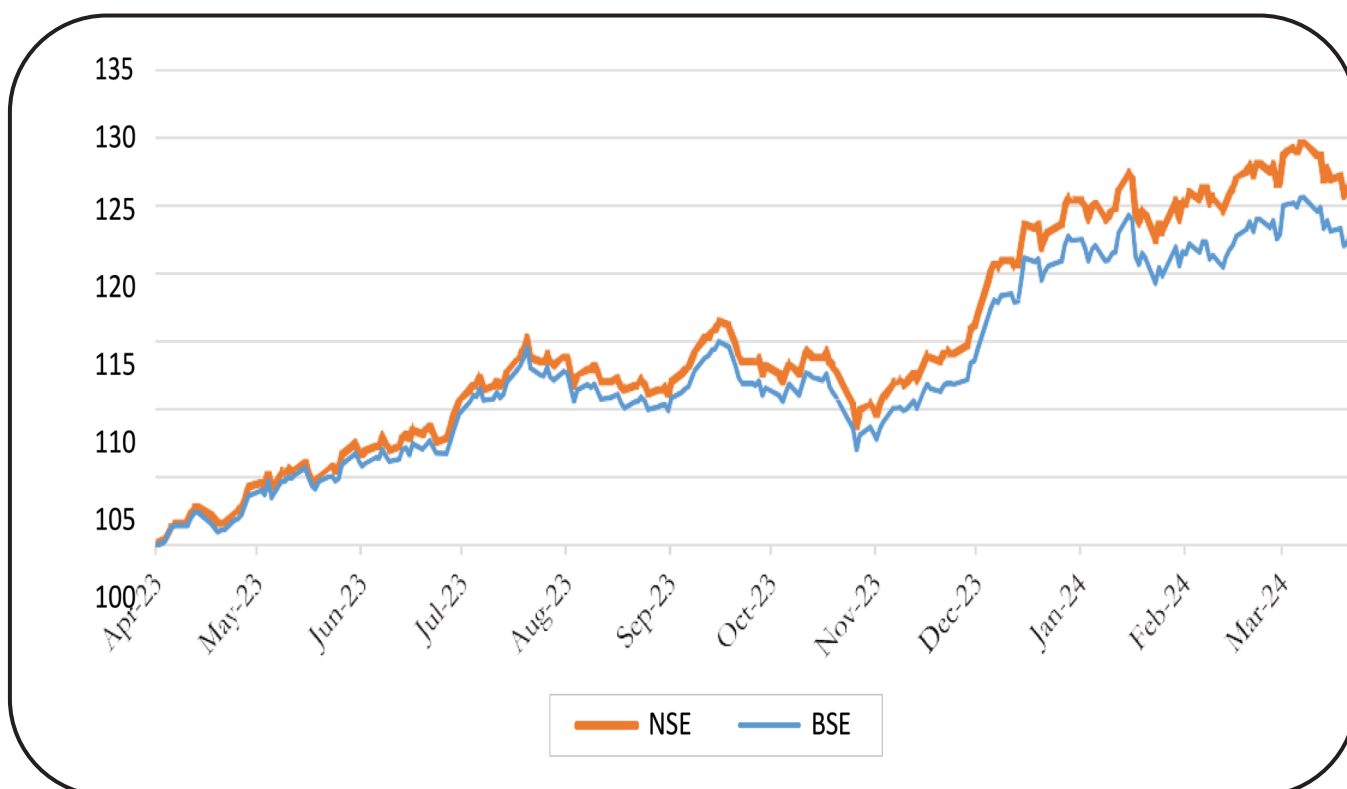
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि है।²⁰

1.3.3 इक्विटी बाज़ार

इक्विटी बाज़ारों में किंचित सुधार के साथ उछाल देखा गया और भारतीय रुपये (आईएनआर) ने प्रमुख उभरती बाज़ार मुद्राओं के बीच सबसे कम अस्थिरता का प्रदर्शन किया। बैंक ऋण वृद्धि ने ऋण बाज़ार में जमा विस्तार को गति दी है। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी का पी/ई अनुपात पिछले महीने की तुलना में मार्च 2024 में क्रमशः 25.0 और 22.9 हो गया।²¹ 2023-24 की दूसरी छमाही में, ओवरनाइट मुद्रा बाज़ार दरों ने शुरुआत में सीमांत स्थायी सुविधा दर को प्रतिबिंबित किया, जो उच्च सरकारी नकदी शेष और बढ़ी हुई मुद्रा मांग के कारण कठिन चलनिधि की स्थिति को दर्शाती हैं। भू-राजनीतिक तनावों के कारण शुरुआती गिरावट के बावजूद, सकारात्मक कॉर्पोरेट आय और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण घरेलू इक्विटी बाज़ारों में उछाल आया। यद्यपि वैश्विक शिपिंग चैनलों में व्यवधान और केंद्रीय बैंकों की

सतर्क टिप्पणियों ने बाज़ार की धारणा को थोड़े समय के लिए प्रभावित किया, लेकिन घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति में नरमी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने फरवरी और मार्च 2024 की शुरुआत में घरेलू इक्विटी बाज़ारों में तेजी बनाए रखी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नरम टिप्पणियों के बाद विनियामकीय चिंताओं के बीच मार्च में भारतीय शेयर बाज़ारों में रुक-रुक कर सुधार हुआ। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान 11.9 प्रतिशत बढ़कर 73,651 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 21.6 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत बढ़ गए। एफपीआई के उतार-चढ़ाव के बावजूद इस अवधि के दौरान विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक शेयरों में शुद्ध खरीदार बने रहे। म्यूचुअल फंड के माध्यम से एसआईपी योगदान प्रत्येक माह नई ऊंचाई पर पहुंचता रहा। 2023 की दूसरी छमाही के दौरान इक्विटी बाज़ारों में प्राथमिक बाज़ार संसाधन जुटाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में एसएमई आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से जुटाई गई निधि में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।²²

चार्ट 1.1 इक्विटी सूचकांकों में उतार-चढ़ाव
एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 का उतार चढ़ाव



स्रोत: बीएसई और एनएसई

नोट: दोनों सूचकांकों को 31 मार्च 2023 तक 100 पर अनुक्रमित किया गया है।

²¹स्रोत:— SEBI Monthly Bulletin, मार्च 2024

²²स्रोत:— RBI MPC Report, अप्रैल 2024

1.4 वैश्विक पेंशन बाजारों की समीक्षा

ओईसीडी देशों में, 18 प्रतिशत जनसंख्या 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की थी, जिसके वर्ष 2050 तक 27 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। ऐतिहासिक रूप से, नीति निर्माताओं ने वृद्धावस्था और वृद्धावस्था सुरक्षा के वित्तपोषण के वित्तीय प्रभावों पर ध्यान केंद्रित कर वित्तीय एवं सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन सुधार लागू किए हैं। कई ओईसीडी देशों ने पूरक निजी वित्त पोषित पेंशन की शुरुआत कर इसे बढ़ावा देकर प्रणालीगत अंशदान बढ़ाने और भुगतान को कम करने के लिए सेवाकाल का विस्तार करने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है।

पिछले एक दशक में वृद्ध श्रमिकों के रोजगार और रोजगारदेयता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह प्राथमिकता व्यापक श्रम की कमी के कारण कोविड के बाद तेज हो गई है। आर्थिक मंदी के बावजूद, वर्ष 2023 में

नौकरियां बढ़ गई हैं। प्रत्युत्तर में कई ओईसीडी देशों ने वैधानिक सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि कर शीघ्र सेवानिवृत्ति पर अंकुश लगाया है और लंबे सेवाकाल के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है। इन उपायों का समर्थन जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से किया जाता है जो 1970 के बाद से काफी बढ़ गई है।

चुनौतीपूर्ण वर्ष 2022 के बाद, 2023 में पेंशन आस्तियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि ओईसीडी देशों में पेंशन आस्तियों में 8.6 प्रतिशत (नाममात्र वृद्धि) गैर-ओईसीडी क्षेत्राधिकार में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बांड और इक्विटी बाजारों से सकारात्मक निवेश प्रतिफल के साथ-साथ कुछ देशों में मुद्रास्फीति और मजदूरी वृद्धि के कारण हुई। इस वसूली के बावजूद, ओईसीडी में कुल पेंशन आस्तियां 2022 में हुए भारी नुकसान के कारण उनके 2021 के स्तर से 7 प्रतिशत कम हैं।²³

चार्ट 1.2 2023 के अंत में आस्ति आधारित पेंशन व्यवस्थाओं में आस्तियां

OECD countries	% change since: end-2021	end-2022	in USD million	% of GDP	data coverage	Selected other jurisdictions	% change since: end-2021	end-2022	in USD million	% of GDP	data coverage
Australia	6.1	8.9	2,168,862	127.6	all available plans	Albania	46.9	18.2	72	0.3	all system
Austria	-5.2	6.9	36,542	6.9	all available plans	Angola	51.6	27.5	1,132	1.5	all available plans
Belgium	..	13.4	49,302	7.6	24% of available plans	Armenia	65.5	42.2	1,975	8.4	all available plans
Canada	-4.8	0.6	1,601,107	75.7	51% of available plans	Botswana	15.7	17.9	10,360	50.0	all system
Chile	14.9	10.1	191,109	59.2	all available plans	Brazil	29.2	14.6	301,459	13.4	54% of system
Colombia	11.8	15.8	104,600	25.4	all system	Bulgaria	17.4	19.4	13,010	12.5	all system
Costa Rica	14.5	14.7	35,000	38.9	all system	Croatia	15.3	15.6	24,263	28.9	all system
Czechia	7.5	3.0	27,621	8.4	all system	Dominican Republic	26.0	13.9	17,361	15.1	all system
Denmark	-4.6	4.2	825,625	200.0	all system	Egypt	22.7	10.0	4,506	1.4	all system
Estonia	13.1	23.5	6,436	15.5	all system	Georgia	122.2	47.6	1,636	5.5	all system
Finland	-1.5	5.3	168,466	54.9	91% of available plans	Ghana	81.0	43.5	4,268	6.0	all system
France	-12.1	7.4	269,576	8.7	82% of system	Guyana	21.7	-2.2	518	3.0	all system
Germany	-8.4	4.7	290,659	6.4	all available plans	Hong Kong (China)	-7.4	2.2	183,202	48.5	all system
Greece	21.3	22.4	2,465	1.0	all available plans	India	56.2	27.9	131,365	3.7	28% of available plans
Hungary	16.5	19.7	9,690	4.5	all available plans	Jamaica	4.5	6.1	4,834	25.5	all system
Iceland	9.2	9.6	56,673	180.4	all system	Kazakhstan	32.3	21.8	39,317	15.0	all system
Ireland (1)	..	..	129,467	23.2	all available plans	Kenya	11.5	9.5	11,028	11.4	all system
Israel	6.8	10.7	330,231	64.1	all available plans	Kosovo*	14.8	12.1	2,997	28.0	all system
Italy	4.7	9.0	260,041	11.3	all system	Lesotho	..	21.0	869	37.8	all available plans
Japan	1.5	2.6	1,206,513	28.9	all available plans	Macau (China)	7.5	9.4	5,272	11.2	all system
Korea	13.8	8.7	577,043	33.3	all system	Malawi	92.2	48.1	1,445	16.0	all available plans
Latvia	16.9	23.8	8,711	19.5	all system	Maldives	24.7	12.1	1,424	21.3	all system
Lithuania	21.0	27.0	8,199	10.3	all system	Morocco	15.8	10.3	8,197	5.6	all system
Luxembourg	-30.1	-15.7	1,491	1.7	all available plans	Namibia	11.4	15.3	12,704	103.6	all system
Mexico	13.6	13.8	351,375	18.7	89% of available plans	Nigeria	36.7	22.4	20,398	7.8	all system
Netherlands	-14.2	8.9	1,741,575	152.4	all available plans	North Macedonia	27.8	18.7	2,495	16.5	all system
New Zealand	3.6	10.4	86,651	33.1	all system	Papua New Guinea	..	11.7	4,828	16.4	all system
Norway	4.1	9.4	46,759	9.3	all available plans	Peru	-7.9	16.0	33,110	12.3	all system
Poland	9.4	32.6	53,083	6.1	76% of system	Romania	42.1	31.4	29,246	8.3	all system
Portugal	-22.2	-9.3	36,173	12.3	91% of available plans	Serbia	9.5	11.5	508	0.7	all system
Slovak Republic	14.7	17.3	19,545	14.4	all system	Suriname	65.7	-15.7	308	8.2	all available plans
Slovenia	8.8	11.9	4,908	7.0	all system	Uruguay	14.0	12.9	22,655	29.5	all system
Spain	-5.5	4.7	179,355	11.1	all system	Zambia	33.1	25.3	643	2.9	all available plans
Sweden	25.8	17.1	27,236	4.3	4% of available plans	Total (3)	18.3	14.3	897,406	10.2	62% of available plans
Switzerland	-2.1	5.4	1,329,905	140.5	88% of system						
Türkiye	210.5	73.3	25,729	2.8	all available plans						
United Kingdom (2)	-29.1	-3.0	2,426,318	74.5	all available plans						
United States	-4.4	9.5	38,380,279	140.3	all system						
Total (3)	-6.9	8.6	53,074,322	82.4	95% of available plans						

Note: "*" means not available. See the end of this factsheet for methodological notes and details for some jurisdictions.

Source: OECD Global Pension Statistics; National Bank of Belgium; Bank of Japan; EIOPA (for Sweden); Swiss Occupational Pension Supervisory Commission.

²³स्रोत:— Pension Markets in Focus - Preliminary 2023 Data, जून 2024

लगभग सभी पेंशन योजनाओं ने 2023 में सकारात्मक निवेश रिटर्न सूचित किया है। इक्विटी मूल्यांकन में वृद्धि, ब्याज दरों में कटौती और बैंक जमा पर अधिकाधिक आय ने इस सकारात्मक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उच्च मजदूरी और मुद्रास्फीति दरों ने विभिन्न देशों में वेतन आधारित अंशदान में वृद्धि की। कुछ देशों ने अपनी पेंशन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पेंशन योजनाओं और स्वचालित नामांकन कार्यक्रमों में अनिवार्य भागीदारी जैसी कुछ नीतियों को लागू किया है।

(सार्वजनिक वित्त के लिए महंगा होने के बावजूद) वेतन सूचकांक की तुलना में पेंशनभोगियों के लिए मूल्य सूचकांक अब अधिक अनुकूल होने के साथ-साथ '2023 में मुद्रास्फीति में हालिया तेजी ने पेंशन सूचकांक को जटिल बना दिया है,। आधे से अधिक ओईसीडी देश पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए अक्सर पेंशन को अनुक्रमित करते हैं। हालांकि, इन समायोजनों से वित्तीय तनाव बढ़ गए हैं जिनके कारण इस संबंध में वाद-विवाद भी बढ़ गया है कि क्या उच्च आय वाले पेंशनभोगियों को बोझ साझा करना चाहिए अथवा नहीं। जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी आई क्योंकि मुद्रास्फीति वेतन वृद्धि को पार कर गई जिससे पेंशन घाटा और व्यापक स्तर पर सार्वजनिक वित्त मुद्दे बढ़ गए। इस प्रकार, राजकोषीय स्थिरता के साथ पेंशन पर्याप्तता को संतुलित करना महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

अधिकांश ओईसीडी देशों में सार्वजनिक पेंशन खर्च में वृद्धि

हुई है और सकल घरेलू उत्पाद में इसके 2020-23 में 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 2050 तक 10.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। जबकि व्यावसायिक और व्यक्तिगत पेंशन योजनाएं सह-अस्तित्व में हैं और प्रायः परिभाषित लाभ योजनाओं की तुलना में परिभाषित अंशदान योजनाओं का महत्व बढ़ गया है।²⁴

वर्ष 2022 में उच्च ब्याज दरों और गिरते इक्विटी मूल्यांकन के कारण व्यापक निवेश घाटा देखा गया। बांड और इक्विटी कीमतों में एक साथ गिरावट, सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो के महत्वपूर्ण घटकों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मामूली निवेश घाटा हुआ। उच्च मुद्रास्फीति दरों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके कारण कई देशों में वास्तविक प्रतिफल दर नकारात्मक हो गई। इन चुनौतियों के बावजूद, पिछले वर्षों के सकारात्मक मूल्यांकन लाभ ने आर्स्टि समर्थित पेंशन प्रणाली के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक रिटर्न के प्रभाव को कम करने में मदद की। उच्च रोजगार दर और नाममात्र मजदूरी ने पेंशन योजनाओं और अंशदान में भागीदारी बढ़ाने में भूमिका निभाई। बेहतर रोजगार दरों के कारण पेंशन योजनाओं द्वारा कवर की गई कामकाजी उम्र की आबादी का अधिक अनुपात होता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो अनिवार्य श्रमिक भागीदारी वाले होते हैं। वेतन में वृद्धि के साथ, इसने अधिकांश क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं की समग्र वृद्धि में योगदान दिया है। हालांकि, स्वैच्छिक प्रणालियों में, उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव से कुछ व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

चार्ट 1.3 आर्स्टि आधारित पेंशन व्यवस्थाओं के रिटर्न की निवेश दरें।

Selected OECD countries	2022	2023	Selected other jurisdictions	2022	2023
Australia	-1.9	7.8	Albania	3.8	3.8
Austria	-10.2	6.4	Angola	9.0	10.2
Belgium	-14.8	9.8	Armenia	-7.9	15.3
Chile	3.0	7.5	Brazil	0.4	0.7
Colombia	-4.2	13.6	Bulgaria	-10.3	8.9
Costa Rica	-3.4	10.0	Croatia	-5.2	9.6
Czechia	0.4	4.7	Dominican Republic	5.4	8.4
Denmark	-14.2	7.0	Egypt	11.3	10.9
Estonia	-9.2	10.6	Georgia	7.4	11.7
Finland	-5.1	5.9	Ghana	17.7	26.2
Greece	-8.8	8.8	Guyana	19.3	5.1
Hungary	-7.1	19.2	Hong Kong (China)	-15.4	3.4
Iceland	-3.3	8.2	India	3.6	9.3
Israel	-3.8	9.7	Kazakhstan	6.3	9.6
Italy	-7.3	6.7	Kenya	2.6	4.6
Korea	0.2	5.3	Kosovo*	-5.4	3.1
Latvia	-15.0	11.3	Lesotho	11.8	3.2
Lithuania	-14.7	12.6	Macau (China)	-8.2	4.2
Mexico	-4.1	8.3	Malawi	19.6	36.8
Netherlands	-21.1	8.8	Maldives	4.3	3.8
Norway	-5.7	7.9	Morocco	1.5	5.0
Poland	-16.1	30.2	Namibia	-0.9	16.0
Portugal	-10.5	7.8	Nigeria	8.2	15.0
Slovak Republic	-10.6	9.1	North Macedonia	-2.4	7.3
Slovenia	-7.3	5.5	Papua New Guinea	2.7	3.8
Spain	-9.0	9.0	Peru	-8.2	9.3
Türkiye	49.6	46.0	Romania	-3.1	16.8
United States	-12.8	10.0	Serbia	-1.2	7.7
			Suriname	19.7	13.6
			Zambia	12.7	21.4

स्रोत:— Pension Markets in Focus, 2023

²⁴ स्रोत:— Pensions at a Glance, अद्यतित फरवरी 2024

वर्ष 2022 में, आस्ति-समर्थित पेंशन प्रणालियों को बढ़ती ब्याज दरों के कारण बांड और इक्विटी की कीमतों में एक साथ गिरावट का सामना करना पड़ा। ब्याज दरों में गिरावट के कारण पेंशन पोर्टफोलियो में बांड का अवमूल्यन हुआ, जबकि वैश्विक इक्विटी बाजारों में भी गिरावट देखी गई। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं के लिए नाममात्र की शर्तों में रिटर्न की कुल नकारात्मक दरें हुईं। घाटा केवल इक्विटी और बांड तक ही सीमित नहीं था। ब्याज दर व्युत्पन्न और रियल एस्टेट निवेश सहित अन्य वित्तीय साधनों ने भी नकारात्मक रिटर्न में योगदान दिया।

हालांकि, विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव से कुछ देशों में पेंशन योजनाओं को लाभ हुआ। अमेरिका में ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि ने अमेरिकी डॉलर को आकर्षक बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य मुद्राओं की बिक्री करने वाले निवेशकों के लिए विदेशी मुद्रा लाभ हुआ। इससे कुछ निवेश घाटे की भरपाई हो गई तथा कुछ देशों में सकारात्मक रिटर्न भी प्राप्त हुआ। आस्तियों के मूल्यांकन की विधि ने निवेश निष्पादन परिणामों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, प्रभावी ब्याज दरों के आधार पर परिशोधित लागत पद्धति का उपयोग करने वाले पेंशन निधियों की ब्याज दरों में वृद्धि के बाद बांड धारिता के मूल्य पर बहुत कम प्रभाव डाला। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति ने नाममात्र लाभ को वास्तविक घाटे में बदल

चार्ट 1.4 पिछले 5, 10, 15 और 20 वर्षों में वार्षिक वास्तविक निवेश दरों का ज्यामितीय औसत

In per cent

Pension plans

Selected OECD countries	5-yr average	10-yr average	15-yr average	20-yr average
Australia	3.3	5.4	2.8	4.0
Austria	-2.9	0.2	-0.3	0.8
Canada	1.7	3.9	3.6	4.1
Chile	0.1	2.0	1.4	3.1
Colombia	0.2	1.4	3.8	4.8
Costa Rica	3.8	5.1	3.7	..
Czechia	-4.7	-2.4	-1.7	-1.0
Denmark	-0.8	1.9	2.6	3.3
Estonia	-4.1	-1.0	-2.2	-1.1
Finland	1.6	3.6	..	..
Germany	-0.6	1.2	1.6	1.9
Greece	-0.7	..	..	..
Hungary	-6.3	-0.3	..	..
Iceland	3.6	4.2	1.7	3.3
Ireland	1.1	..	..	..
Israel	3.5	4.7	3.8	..
Italy	-2.5	0.2	0.3	0.9
Latvia	-6.3	-2.2	-1.8	-1.9
Lithuania	-4.6	-0.5	..	..
Luxembourg	-3.2	-0.2	-0.2	..
Mexico	0.3	0.5	1.4	..
Netherlands	-3.2	1.3	1.8	3.1
Norway	0.2	2.4	2.2	3.5
Poland	-7.2	..	..	..
Portugal	-1.8	0.8	0.0	1.6
Slovak Republic	-4.4	-1.4	-1.7	..
Slovenia	-2.6	1.2	2.0	..
Spain	-1.8	1.1	0.6	..
Switzerland	0.8	2.9	2.3	2.8
Türkiye	-3.5	-2.2	-0.3	..
United States	-1.4	1.4	-0.1	1.0

दिया, जिससे अधिकांश ओईसीडी और गैर-ओईसीडी देशों में पेंशन योजनाओं के लिए प्रतिफल की वास्तविक दरें नकारात्मक हो गईं।

वर्ष 2022 में चुनौतियों के बावजूद, पिछले वर्षों में मजबूत निवेश लाभ ने कई क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई में मदद की। हालांकि, कुछ देश रुढ़िवादी निवेश रणनीतियों के कारण पिछले 20 वर्षों में मुद्रास्फीति से ऊपर सकारात्मक संचयी रिटर्न उत्पन्न करने में विफल रहे। अनिश्चितताओं के चलते, कई देशों ने 2022 में इक्विटी में निवेश की जाने वाली पेंशन आस्तियों के अनुपात को कम कर दिया है। यह बदलाव उन देशों में भी हुआ जिन्होंने अपने निवेश चूक रणनीतियों में जोखिम लेने को प्रोत्साहित किया। पेंशन योजनाओं द्वारा संचित आस्तियों की मात्रा निवेश आय, योगदान और भुगतान पर निर्भर करती है।

Selected other jurisdictions	5-yr average	10-yr average	15-yr average	20-yr average
Albania	0.7	2.0	2.7	..
Armenia	0.1	..	..	..
Botswana	0.6	..	..	..
Bulgaria	-5.8	-0.7	-2.2	-0.8
Croatia	-1.6	..	..	..
Dominican Republic	3.3	5.8	6.3	..
Egypt	2.4	..	..	..
Guyana	-0.9	..	..	..
Hong Kong (China)	-2.6	-0.1	..	..
Indonesia	3.3	3.6	..	..
Kazakhstan	-0.4	..	..	..
Kosovo*	-2.4	1.2	..	..
Liechtenstein	-0.4	2.6	1.7	..
Malawi	3.5	3.4	..	..
Maldives	4.4	4.9	..	..
Nigeria	-4.0	-2.2	..	..
North Macedonia	-0.7	2.4	1.9	..
Pakistan	-6.0	..	..	..
Peru	-1.7	0.3	0.1	3.3
Romania	-2.1	1.6	..	..
Serbia	-1.8	2.9	1.1	..
Suriname	-14.5	..	..	..
Uruguay	-0.2	2.1	3.9	..
Zambia	0.1	2.4	3.0	..

Selected OECD public pension reserve funds

Selected reserve funds	5-yr average	10-yr average	15-yr average	20-yr average
Australia's Future Fund	3.9	6.3	4.9	..
Canada's CPP reserves	4.6	7.4	5.7	6.5
Canada's QPP reserves	2.5	6.0	..	..
Chile's Pension Reserve F	1.5	2.9	2.2	..
Finland's Keva	1.3	3.9	2.9	..
Finland's VER	1.1	3.4	2.7	3.8
France's FRR	-2.1	1.5	0.5	..
Japan's GPIF	4.1	4.4	3.9	3.9
Korea's GEPF	1.7	..	..	..
Korea's NPF	1.9	2.9	2.9	..
Luxembourg's FDC	0.2	2.5	2.3	..
New Zealand Superannua	4.8	8.6	7.2	7.2
Norway's GPFN	2.3	5.2	4.3	5.6
Poland's Demographic Re	-5.0	-1.3	-0.6	1.3
Spain's Social Security Re	-4.7	-0.4	0.4	0.3
Sweden AP1	2.6	5.7	4.2	..
Sweden AP2	1.1	5.0	3.7	5.6
Sweden AP3	3.9	6.8	4.7	..
Sweden AP4	2.8	6.7	5.2	6.3
Sweden AP6	12.2	10.4	6.6	7.3
Switzerland's AHV Centra	-0.8	2.1	..	..
US OASI Trust Fund	-1.1	0.4	1.2	1.5

स्रोत:— Pension Markets in Focus, 2023

योगदान और भुगतान पर निर्भर करती है।²⁵

1.4.1 ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि परिसंपत्तियां

उच्च मुद्रास्फीति ने वास्तविक घाटे में मामूली निवेश लाभ को बदल दिया और वास्तविक रूप में मामूली घाटे की मात्रा को बढ़ा दिया। सभी ओईसीडी देशों तथा लगभग सभी गैर-ओईसीडी क्षेत्राधिकारों में पेंशन योजनाओं के लिए वास्तविक रिटर्न दरें नकारात्मक थीं। विशेष रूप से हंगरी, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2022 तक 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक दरों के साथ, वास्तविक रिटर्न की दरें विशेष रूप से कम थीं।

इक्विटी, बांड और नकदी से परे निवेश के लिए आवंटित परिसंपत्तियों का अनुपात (जब व्यक्तिगत परिसंपत्ति दृश्यता सीमित हो तो सामूहिक निवेश योजनाओं सहित) 35 रिपोर्टिंग ओईसीडी देशों में से 30 में वृद्धि हुई, 38 गैर-ओईसीडी क्षेत्रों में से 27 और 20 चयनित ओईसीडी सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधियों में से 12 में बढ़ गया।

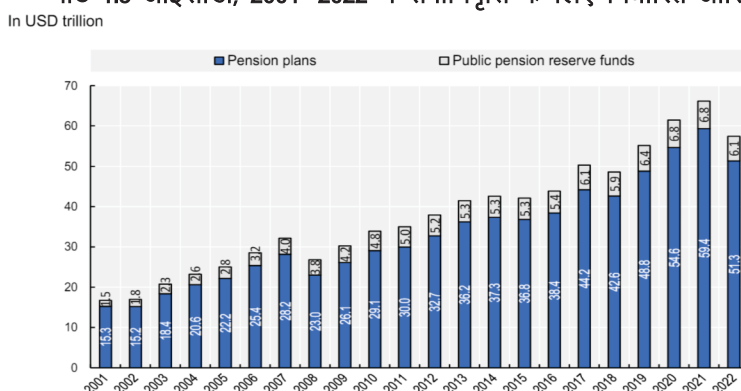
2022 का व्यापक आर्थिक परिदृश्य, जिसमें बढ़ी हुई रोजगार दरों और नाममात्र मजदूरी के साथ-साथ उच्च मुद्रास्फीति भी शामिल है, ने संभवतः सार्वजनिक भंडार का समर्थन करने वाले राजस्व प्रवाह को प्रभावित किया है। सार्वजनिक पे-एज-यू-गो (PAYG) पेंशन व्यवस्था, पेंशन योजनाओं से वित्तपोषण संरचना में भिन्न होती है, क्योंकि वे किसी विशिष्ट सदस्य आधार को पूरा नहीं करती हैं, जिनसे अंशदान एकत्रित किया जाता है और जिन्हें लाभ वितरित किया जाता है। सार्वजनिक आरक्षित निधि विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्त करती है, जिसमें सार्वजनिक (PAYG) योजना से प्राप्त लाभ भुगतान से अधिक योगदान, निजीकरण आय, निर्धारित अंशदान, कर, विशेष या एकमुश्त योगदान और राजकोषीय हस्तांतरण शामिल हैं। राजस्व पर वृहद आर्थिक विकास का प्रभाव (PAYG) योगदान और लाभ संवितरण पर उनके प्रभाव पर निर्भर करता है।

ओईसीडी क्षेत्र में, सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित परिसंपत्तियों के मूल्य में 2022 में गिरावट आई, जो हाल के दशकों में देखी गई दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत है। ओईसीडी में पेंशन योजना परिसंपत्तियों में 14 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2021 के अंत में 59 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2022 के अंत में 51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट है, जब परिसंपत्तियों में 18 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसी तरह वर्ष 2022 में सार्वजनिक भंडार में 10 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2008 के संकट के दौरान 4 प्रतिशत की गिरावट से अधिक है।

वर्ष 2022 में कुल परिसंपत्तियों में यह समग्र गिरावट मुख्य रूप से सबसे बड़े पेंशन बाजारों में नुकसान के कारण हुई। 2022 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पेंशन योजना परिसंपत्तियों की सबसे अधिक मात्रा (35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) थी, उसके बाद कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और जापान का स्थान है, जहां परिसंपत्तियां 1 से 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच थीं।

इन प्रमुख बाजारों में, राष्ट्रीय मुद्राओं में मूल्यांकित परिसंपत्ति मूल्यों में गिरावट आई, जो कनाडा में 6 प्रतिशत से लेकर यूनाइटेड किंगडम में 24 प्रतिशत तक थी। इसी प्रकार, 2022 में सबसे बड़े सार्वजनिक भंडार में गिरावट देखी गई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ओल्ड-एज एंड सर्वाइवर्स इंश्योरेंस (OASI) ट्रस्ट निधि में 1 प्रतिशत की कमी, जापान के सरकारी पेंशन निवेश कोष (GPIF) में 5 प्रतिशत की कमी, और सरकारी कर्मचारी पेंशन निधि (GEPPF) और राष्ट्रीय पेंशन निधि (NPF) में कोरिया के भंडार में 6 प्रतिशत की कमी आई। ये गिरावटें वर्तमान अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किए जाने पर और भी अधिक स्पष्ट थीं, जो 2022 में कई प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की बढ़त को दर्शाती हैं।

चार्ट 1.5 ओईसीडी, 2001–2022 में सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आस्तियां



स्रोत:— Pension Markets in Focus, 2023

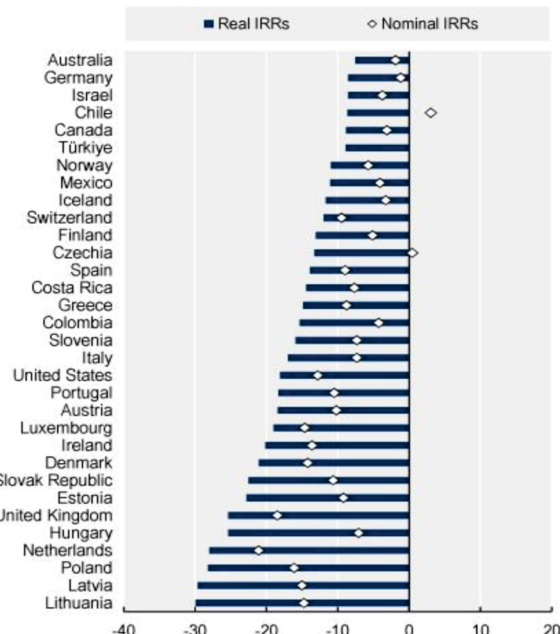
²⁵ स्रोत:— Pension Markets in Focus, 2023

चार्ट 1.6 : आस्ति आधारित पेंशन प्रणाली का सामान्य और वास्तविक आईआरआर (दिसंबर 2021–दिसंबर 2022)

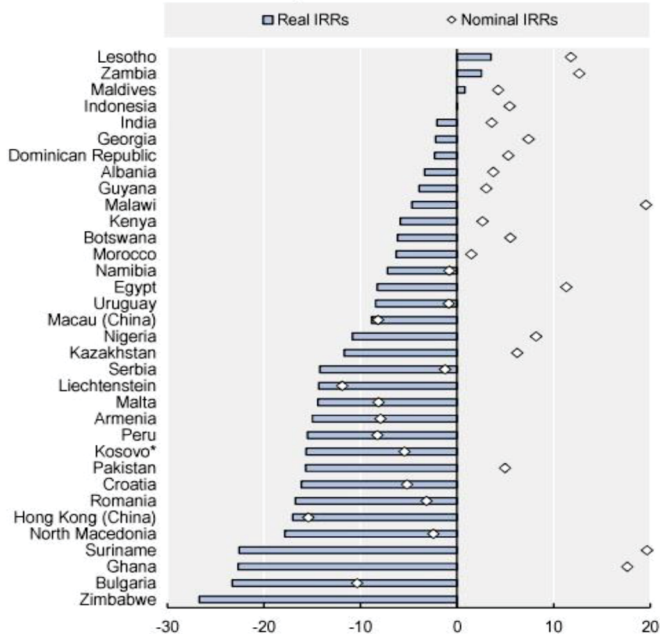
In per cent

Pension plans

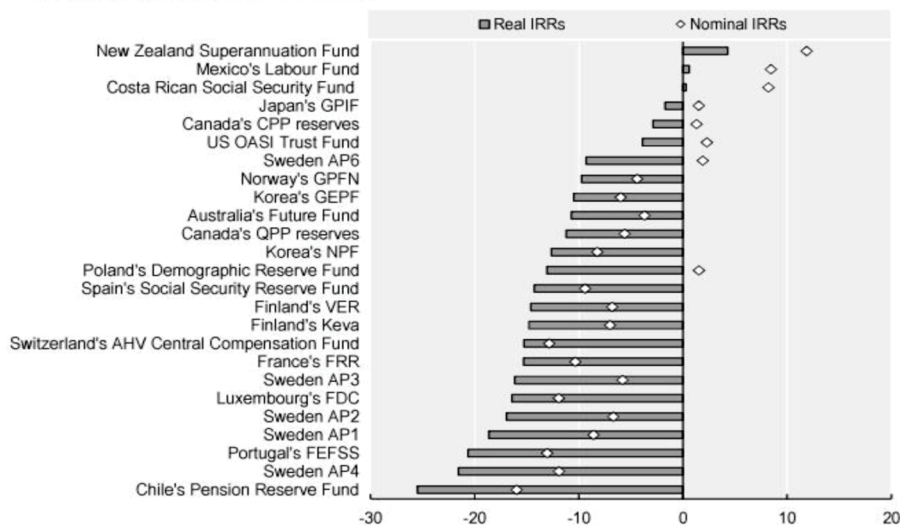
Selected OECD countries



Selected other jurisdictions



Selected OECD public pension reserve funds



1.4.2 निवेश रुझान

सेवानिवृत्ति के लिए नामित आस्तियों को मुख्य रूप से बांड और इक्विटी में आवंटित किया जाता है, जिसमें 2021 के अंत तक पेंशन योजना निवेश का 70 प्रतिशत से अधिक और सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधि का लगभग 90 प्रतिशत शामिल है। आस्तियों का वितरण क्षेत्राधिकारों के बीच भिन्न होता है। बांडों, विशेष रूप से सरकारी बांडों के प्रति वरीयता, उनकी कथित आय स्थिरता, अन्य साधनों की

तुलना में कम जोखिम प्रोफाइल, सीमित घरेलू निवेश अवसरों, गारंटियों, या हाल ही में शुरू की गई पेंशन योजना के कारण हो सकती है। कुछ विनियमनों में न्यूनतम बांड आवंटन अनिवार्य किया जा सकता है, जैसे कि न्यूनतम सीमा वाले बहु-निधि ढांचे का उपयोग करना या सरकारी बांडों में पूर्ण निवेश की आवश्यकता, जैसा कि यू.एस. ओल्ड-एज एंड सर्वाइवर्स इंश्योरेंस ट्रस्ट निधि में देखा गया है।

अधिक इक्विटी आवंटन वाले निवेशक जोखिम बढ़ने के बावजूद अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आस्ति मूल्यांकन की विधि निवेश प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि सरकारी बॉन्ड मूल्यों पर ब्याज दरों में वृद्धि के न्यूनतम प्रभाव से प्रमाणित होता है, जब आस्तियों का मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दरों के आधार पर परिशोधन लागत पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। यद्यपि 2022 में कई क्षेत्रों में नुकसान देखा गया, लेकिन पिछले मजबूत निवेश लाभ ने इन नुकसानों की भरपाई करने में मदद की।

पिछले कुछ दशकों में, अनेक रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में पेंशन योजनाओं ने मुद्रास्फीति से अधिक औसत वार्षिक रिटर्न हासिल किया है, जो उनके सकारात्मक निवेश प्रदर्शन को दर्शाता है। इसी प्रकार, सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधि ने भी 15 या 20 वर्षों में सकारात्मक वास्तविक-अवधि रिटर्न प्रदर्शित किया है, जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 2022 में कीमतों में गिरावट के बावजूद पोर्टफोलियो में बांड के अनुपात में वृद्धि देखी गई, जो कम ब्याज दरों की अवधि के बाद बांड की ओर संभावित बदलाव और अन्यत्र उच्च रिटर्न चाहने वाले निवेशकों का संकेत है।

इक्विटी, बॉन्ड और नकदी से परे वैकल्पिक निवेश के लिए आवंटित आस्तियों का अनुपात भी 2022 में अधिकांश रिपोर्टिंग क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं और सार्वजनिक पेंशन आरक्षित कोष दोनों के लिए बढ़ा है। वैकल्पिक निवेशों ने कम ब्याज दर के माहौल में लाभ चाहने वाले आस्ति प्रबंधकों को आकर्षित किया तथा विशेष रूप से एशिया में मुद्रास्फीति से बचाव की संभावना प्रदान की।

कुछ अधिकार क्षेत्रों ने निवेश नियमों में ढील देकर पेंशन योजनाओं द्वारा वैकल्पिक निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधि ने अपने वैकल्पिक निवेश का भी विस्तार किया, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, संपत्ति और अन्य वैकल्पिक आवंटन द्वारा संचालित है।

2021 के अंत में, रिपोर्टिंग अधिकार क्षेत्रों के बीच पेंशन आस्तियों के आवंटन में मामूली बदलाव देखा गया था। इक्विटी में निवेश की गई पेंशन आस्तियों के अनुपात में 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि बॉन्ड को आवंटित अनुपात में समान सीमा से कमी आई। यह बदलाव पोर्टफोलियो में इक्विटी के बढ़ते मूल्य या शेयर बाजारों में सुधार का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक आवंटन के कारण हो सकता है।

पिछले 10 से 20 वर्षों के दौरान बांडों में निवेश को कम करने की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है। औसतन, रिपोर्टिंग अधिकार क्षेत्रों में, पिछले दशक की तुलना में बॉन्ड में निवेश के अनुपात में 8 प्रतिशत और पिछले दो दशकों में 17

प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बांड निवेश में कमी की भरपाई हमेशा इक्विटी निवेश में समतुल्य वृद्धि से पूरी तरह नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड में, पेंशन फंडों ने 2011 से 2021 के बीच अपने बॉन्ड निवेश में 10 प्रतिशत की कमी की, जबकि इक्विटी के लिए केवल 6 प्रतिशत का आवंटन किया। कुछ पुनः आवंटित निधियां अन्य प्रकार के निवेशों की ओर निर्देशित की जा सकती हैं।

जहां एक ओर वर्ष 2023 में पर्याप्त सुधार हुए, वहीं दूसरी ओर डेनमार्क, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ सबसे बड़े पेंशन बाजारों में निवेश लाभ 2022 के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 2022 में जिन देशों में सबसे अधिक निवेश से हानि हुई, वहां पेंशन योजनाओं का प्रदर्शन पेंशन क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

1.5 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा

बढ़ती हुई और अस्थिर पेंशन देनदारियों के कारण, वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में बदलाव करने के लिए सचेत रूप से कदम उठाया। नई पेंशन योजना, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है, को सरकार द्वारा दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी और पीआर के माध्यम से शुरू किया गया था, और इसे केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य कर दिया गया था जो 1 जनवरी, 2004 से सेवा में शामिल हुए थे।

एनपीएस, जिसे शुरू में केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए पेश किया गया था, अब सभी राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर) और अधिकांश केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस को मई 2009 से स्वैच्छिक रूप से निजी और असंगठित क्षेत्रों के लिए भी विस्तारित किया गया है।

भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खातों में अपने अंशदान को 1 अप्रैल, 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते (डीए) का 10 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन प्लस डीए का 14 प्रतिशत होगा। इसके बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन निधि और निवेश के पैटर्न चुनने में अधिक स्वतंत्रता

देने के साथ-साथ एनपीएस अंशदान जमा न करने/विलंब से जमा करने पर मुआवजा देने की भी अधिसूचना जारी की गई है।

1.6 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पेंशन प्रणाली के परिदृश्य में सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), 2004 से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), जैसे पे-एज-यू-गो आधार पर अनिवार्य परिभाषित लाभ पेंशन योजना, अन्य सांविधिक भविष्य निधि जैसे कोयला खान, नाविक और असम चाय बागानों की योजनाएं, 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद अनिवार्य आधार पर शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), एनपीएस में शामिल होने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस, स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए एनपीएस जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी और स्व-नियोजित दोनों शामिल हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाने वाली सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता योजनाएं शामिल हैं।

परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली का राजकोषीय तनाव सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत का प्रमुख कारक

था। ईपीएफ (विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए) जैसी अनिवार्य योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र को शामिल करने की वित्तीय और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को भारत में पेंशन प्रावधान की व्यापकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में देखा जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अधिक कवरेज प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय यह है कि सभी नागरिकों को स्वैच्छिक रूप से एनपीएस का विस्तार किया जाए।

असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार ने सितंबर 2010 में सह-योगदान योजना एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना शुरू की थी (एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना के तहत नया नामांकन 01/04/2015 से बंद कर दिया गया है)। इसके बाद, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था, और यह योजना असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 1 जून, 2015 से लागू की जा रही है। 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होगा। एपीवाई के अंतर्गत अंशदाताओं को उनके द्वारा चुने गए अंशदान स्तर के आधार पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की सरकारी गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। एनपीएस के अंतर्गत प्रबंधन के तहत अभिदाताओं और आस्तियों की संख्या को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 1.1: एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च, 2024 तक)	वृद्धि (प्रतिशत में) (साल-दर-साल)	31 मार्च, 2024 को शेयर (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	23.97	26.07	8.76%	3.54%
राज्य सरकार	60.96	65.96	8.20%	8.97%
कॉर्पोरेट	16.82	19.48	15.81%	2.65%
सभी नागरिक	29.57	35.64	20.53%	4.85%
एनपीएस लाइट*	41.76	33.28	-	4.52%
एपीवाई	459.47	555.12	20.82%	75.47%
कुल योग	632.55	735.55	16.28%	100%

स्रोत: बाजार निगरानी, नीति अनुसंधान और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन विभाग

*01/04/2015 से नए पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं।

31 मार्च, 2024 तक एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल 735.55 लाख अभिदाता नामांकित किये गए हैं और इसमें साल-दर-साल 16.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

एपीवाई, जो एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, उसमें 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार 555.12 लाख अभिदाता थे, उनकी संख्या में साल-दर-साल 20.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 1.2: एनपीएस/एपीवाई के अंतर्गत प्रबंधन के तहत आस्तियां

क्षेत्र	एयूएम (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 तक)	एयूएम (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2024 तक)	एयूएम वृद्धि (प्रतिशत में) (साल-दर-साल)	एयूएम शेयर (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	2,57,638	3,22,215	25.07%	27.48%
राज्य सरकार	4,49,186	5,82,673	29.72%	49.69%
कॉर्पोरेट	1,17,281	1,66,729	42.16%	14.22%
सभी नागरिक	42,623	59,826	40.36%	5.10%
एनपीएस लाइट*	4,915	5,560	13.12%	0.47%
एपीवाई	26,700	35,647	33.51%	3.04%
कुल योग	8,98,343	11,72,650	30.53%	100%

स्रोत: बाजार निगरानी, नीति अनुसंधान और प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन विभाग

*01/04/2015 से नए पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं।

31 मार्च, 2024 को एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल एयूएम 11,72,650 करोड़ रुपये था और इसमें

साल-दर-साल 30.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, एपीवाई गैप निधि योजना में 885.89 करोड़ रुपये का एयूएम है।

तालिका 1.3: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/अटल पेंशन योजना के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

मानक	वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर	वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर	वृद्धि (प्रतिशत में)
सरकारी अभिदाता (लाख में)	84.93	92.03	8.36%
सभी नागरिक + कॉर्पोरेट अभिदाता (लाख में)	46.39	55.12	18.82%
एपीवाई अभिदाता (लाख में)	459.47	555.12	20.82%
पीओपी-एसपी की संख्या	2,13,271*	2,15,844*	1.21%
एपीवाई-एसपी की संख्या*	418	440	5.26%
सीएबी की संख्या [#]	663	672	1.36%
एसएबी की संख्या [#]	1,705	1,809	6.09%
कॉर्पोरेट की संख्या	12,795	14,101	10.21%

* यह ऑकड़े सीआरए के साथ पंजीकृत सक्रिय एपीवाई-एसपी की संख्या हैं

[#] जैसा कि पीएफआरडीए द्वारा संसाधित किया गया है और सीआरए के साथ पंजीकृत है।

एनपीएस को अपनाने वाले केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ सीएबी (CAB) और राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ एसएबी (SAB) को भी अनिवार्य रूप से एनपीएस के दायरे में लाना अनिवार्य है। इस वर्ष 11 नए सीएबी और 119 एसएबी को एनपीएस के अंतर्गत लाया गया है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य या स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस की पेशकश करता है। सीआरए रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 के अंत में, एनपीएस के तहत कुल 14,101 कॉर्पोरेट पंजीकृत हैं, जबकि मार्च 2023 के अंत में 12,795 कॉर्पोरेट पंजीकृत थे। अतः इसमें 10.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मार्च 2024 के अंत तक, 440 बैंक सीआरए के साथ एपीवाई सेवा प्रदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और डाक विभाग शामिल हैं।

एपीवाई के लिए कर लाभ और गारंटी के रूप में इन योजनाओं को मिल रही सरकारी सहायता से इन योजनाओं की अपील बढ़ जाती है। हालांकि, देश की विशाल आबादी को देखते हुए, बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को एनपीएस प्रदान करने में प्रमुख चुनौती संभावित अभिदाताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है। पीएफआरडीए विभिन्न मास मीडिया और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसके अलावा, एनपीएस जागरूकता के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए ने सेवा प्रदाताओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए एक समर्पित एजेंसी को शामिल करके जोर-शोर से संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यक्रमलाप शुरू किए हैं।

संभावित अभिदाताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एनपीएस तक पहुंच में आसानी के लिए, पीएफआरडीए द्वारा मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी को और अधिक बढ़ाया जा रहा है, चाहे वह ई-एनपीएस, मोबाइल ऐप या ई-केवाईसी जैसे तकनीकियाँ हो। ये चैनल दक्षता को बढ़ा रहे हैं और उन्होंने अभिदाता अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने के लिए समय को कम करने में मदद की है। ई-एनपीएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण और अंशदान कर सकता है। मौजूदा अभिदाताओं के लिए एनपीएस के तहत एक ऑनलाइन अंशदान सुविधा भी

उपलब्ध है। ई-एनपीएस, एनपीएस के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने और टीयर 1 के साथ-साथ टीयर 2/टैक्स सेवर खाते में प्रारंभिक और बाद में अंशदान ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा अभिदाताओं को प्रमाणीकरण के बाद अपने पेंशन निधि, आस्ति वर्ग, आवंटन अनुपात और योजना विकल्पों को बदलने में भी सक्षम बनाती है। एनपीएस अभिदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल और ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करके टीयर 2/टीयर 1 खातों से निकासी/आंशिक निकासी अनुरोध शुरू कर सकते हैं।

एनपीएस अभिदाताओं को शामिल करने के लिए हितधारकों को ऑनलाइन प्रान जेनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) की पेशकश की जाती है ताकि न्यूनतम दस्तावेज के साथ त्वरित प्रान सृजन किया जा सके। तथापि, ऐसे खातों को तब तक अनियमित माना जाता है जब तक कि पूर्ण सत्यापन नहीं हो जाता और केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के साथ उन्हें दर्ज नहीं कर लिया जाता। पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत मध्यस्थों को एनपीएस से संबंधित ऑनबोर्डिंग, निकास या किसी अन्य सेवा अनुरोध के लिए वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) का उपयोग करने की अनुमति है।

एनपीएस अभिदाताओं को संबद्ध नोडल कार्यालयों, पीओपी, ई-एनपीएस या एनपीएस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वैच्छिक अंशदान जमा करने के लिए विभिन्न सुविधाजनक विकल्प प्रदान किए जाते हैं। अंशदान का एक अतिरिक्त विकल्प/माध्यम के तौर पर प्रत्यक्ष विप्रेषण (डी-रेमिट) को भी शुरू किया गया है, जिसमें सरकार/सभी नागरिक मॉडल के अंतर्गत मौजूदा एनपीएस अभिदाता अपने प्रान से जुड़ी वर्चुअल आईडी बनाकर और निवेश पर उसी दिन एनएवी का प्रावधान करके अपने स्वैच्छिक अंशदान जमा कर सकते हैं। डी रेमिट के माध्यम से, न केवल एक बार का अंशदान किया जा सकता है, बल्कि आवधिक एनपीएस अंशदान को किसी भी परिभाषित राशि और अभिदाता बैंक खाते से किसी भी परिभाषित तिथि के लिए स्वचालित किया जा सकता है। डी रेमिट के माध्यम से एनपीएस में अंशदान का विकल्प एनआरआई-एनपीएस अभिदाताओं के लिए भी आरंभ किया गया है। वे अपने एनआरओ/एनआरई खातों में संचित धन से अपने एनपीएस खातों में अंशदान कर सकते हैं। निकासी/प्रत्याहरण के समय, एनपीएस की आय एनआरआई अंशदाताओं के एनआरओ/एनआरई खाते में जमा की जाएगी तथा उसका प्रत्यावर्तन तत्समय लागू फेमा

दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

1.7. वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा का विवरण

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना में, प्राधिकरण के उद्देश्यों — पेंशन निधियों की योजनाओं और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का विनियमन और विकास तथा उनसे जुड़े अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना निर्धारित करती है।

पीएफआरडीए सक्रिय रूप से एनपीएस (इसके सभी प्रकार) और अटल पेंशन योजना के संवर्धन और विकास, एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों के विनियमन और पर्यवेक्षण में संलग्न, जिसका समग्र उद्देश्य वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, इन गतिविधियों में संलग्न होने के दौरान, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों/परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है:

- कवरेज क्षेत्र का विस्तार
- सुरक्षा
- प्रभावशीलता
- पर्याप्तता
- स्थिरता

कवरेज क्षेत्र का विस्तार

सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक रहा है। जहां पीएफआरडीए अधिनियम 2013 में एनपीएस के विनियमन की व्यवस्था की गई है, वहीं आबादी के विभिन्न वर्गों को शामिल करने के लिए एनपीएस के विभिन्न घटकों अर्थात् केन्द्रिय सरकार, राज्य सरकार, कॉरपोरेट, सभी-नागरिक, एनपीएस लाइट जैसी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित भारत सरकार की एक योजना है। प्राधिकरण प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता उत्पन्न करते हुए, बैंक, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, नोडल कार्यालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एजेंसी को शामिल करने, सेवानिवृत्ति सलाहकारों आदि की नियुक्ति, ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनबोर्डिंग और लेनदेन में सुविधा प्रदान करते हुए कवरेज का विस्तार करने में लगा

हुआ है।

सुरक्षा

पीएफआरडीए ने पेंशन आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत विनियमों का एक व्यापक ढांचा तैयार किया है ताकि अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए संचित पेंशन निधि के जोखिम को कम किया जा सके। इन विनियमों में आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधि सहित सभी मध्यस्थों के चयन हेतु कठोर पात्रता मानदंड, विस्तृत कॉर्पोरेट प्रशासन रूपरेखा, उपयुक्त और उचित मानदंड, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, तथा दंड संरचनाएं शामिल की गई हैं। इन विनियमों की समय-समय पर समीक्षा की गई है तथा उन्हें सुदृढ़ भी बनाया गया है। आईटी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को अधिक मजबूत करने के लिए, पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसी क्रम में भविष्य में कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रभावशीलता

प्राधिकरण का प्रयास स्वीकार्य जोखिमों के अधीन अभिदाताओं को अधिकतम रिटर्न प्रदान करते हुए प्रणाली की दक्षता को इष्टतम बनाना है। इन रिटर्न को इष्टतम बनाने के लिए समय-समय पर निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

दक्षता का संबंध श्रम और पूंजी बाजार की दक्षता से भी है, क्योंकि दोनों ही पेंशन में प्रत्यक्ष योगदान (लंबे कार्यकाल और अंशदान, पूंजी की कम लागत या अधिक वित्तीय समावेशन के माध्यम से) के साथ-साथ नौकरियों और निवेश में अप्रत्यक्ष अंशदान के माध्यम से पेंशन प्रणाली के साथ अंतःक्रिया करते हैं। पीएफआरडीए जागरूकता सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

पूंजी बाजारों के लिए, दक्षता गैर-बैंक वित्तीय पूंजी के विकास के माध्यम से पूंजी बाजार की गहराई से संबंधित है, ताकि उत्पादक निवेश का वित्तपोषण किया जा सके और व्यापक पूंजी बाजार सुधारों के लाभों को अधिकतम किया जा सके। पीएफआरडीए की इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-विनियामक समूहों और समितियों में भागीदारी रही है।

पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि अभिदाताओं के लिए सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त पेंशन संपत्ति उपलब्ध हो अर्थात् सेवानिवृत्ति

लाभ हकदारी की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करती हो। जबकि एनपीएस, बिना किसी लाभ की गारंटी के एक परिभाषित अंशदान योजना है, लेकिन अच्छे अभ्यास के एक उपाय के रूप में, प्राधिकरण का प्रयास विभिन्न उपायों के माध्यम से पर्याप्त सेवानिवृत्ति योजना के बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना है, जिसमें कर रियायतों आदि के लिए सरकार के साथ जुड़कर रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा और उनका योगदान बढ़ाना भी शामिल हैं।

स्थिरता

स्थिरता किसी भी अंशदायी पेंशन प्रणाली के मुख्य बिंदुओं में से एक है। एनपीएस के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को पेंशन उत्पाद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो सुरक्षित वृद्धावस्था आय उपलब्ध कराने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। एनपीएस एक संस्थागत ढांचे और उत्पाद डिजाइन के साथ एक परिभाषित अंशदान योजना है, और यह लंबे समय तक खुद को बनाए रखने के लिए खुद को सशक्त बनाता है। सतत पेंशन प्रणाली के प्रयास को प्राप्त करने में निरंतर बचत की आदत और निवेश अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति बचतों/पेंशन के जागरूकता स्तर को बढ़ाने और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

1.8. एनपीएस के अंतर्गत मध्यवर्ती इकाइयां

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक असमूहीकृत स्थापत्य के तहत काम करती है, जिसमें प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र विशेष की संस्थाओं को सौंपा जाता है।

1.8.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं से संबंधित मध्यवर्ती और अन्य इकाइयां

एनपीएस संरचना में उपस्थित अस्तित्व (पीओपी), सरकारी विभाग नोडल कार्यालय, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, पेंशन निधि (पीएफ), एनपीएस न्यास, अभिरक्षक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और सेवानिवृत्ति सलाहकार शामिल हैं।

1.8.1.1 उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

एनपीएस में अभिदाताओं के पंजीकरण और सेवा के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि उपस्थिति अस्तित्व कहलाती हैं। पीओपी, अभिदाता और एनपीएस के बीच संपर्क का पहला

बिंदु होता है। पंजीकृत पीओपी में पीओपी-सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) नामक शाखाएं जमा केंद्रों के रूप में कार्य करने और अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पीओपी के कार्यों में अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता अंशदानों को संसाधित करना, व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तन, निवेश योजना/निधि प्रबंधक में परिवर्तन, अभिदाता को एक मॉडल से दूसरे मॉडल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, मुद्रित खाता विवरण जारी करना और सेवानिवृत्ति पर आहरण/प्रत्याहरण अनुरोध की प्रक्रिया आदि शामिल हैं।

1.8.1.2 सरकारी नोडल कार्यालय

(1) केंद्र सरकार के नोडल कार्यालय

पीआरएओ, पीएओ और डीडीओ

केंद्र सरकार के अधीन प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ), वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ), तथा आहरण और संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के अधीन समरूप कार्यालय जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संपर्क करते हैं।

(2) राज्य सरकार के नोडल कार्यालय

डीटीए, डीटीओ और डीडीओ

राज्य सरकारों के अधीन कोषागार एवं लेखा निदेशालय (डीटीए), जिला कोषागार कार्यालय (डीटीओ) तथा आहरण और संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के अधीन समरूप कार्यालय, जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संपर्क करते हैं।

एनपीएस के तहत विभिन्न परिचालन कार्यों के लिए सीआरए प्रणाली के तहत पंजीकृत सरकारी एजेंसियों के नोडल कार्यालय हैं। इन कार्यालयों की पहचान एक विशिष्ट संख्या अर्थात् पीआरएओ/पीएओ/डीडीओ पंजीकरण संख्या द्वारा की जाती है जो सफल पंजीकरण पर सीआरए द्वारा उन्हें आवंटित की जाती है। इन कार्यालयों की प्रमुख भूमिकाएं निम्नानुसार हैं:

- अभिदाता पंजीकरण हेतु प्रपत्र जमा करना
- अभिदाताओं को प्रान किट का वितरण
- अभिदाताओं के अंशदान को समय पर अपलोड करना
- अभिदाताओं के अंशदान के बारे में समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना

- आवश्यक कार्रवाई के लिए अभिदाताओं के अनुरोधों को अग्रेषित करना
- अभिदाताओं की शिकायतों का समाधान करना
- अभिदाताओं के अनुमोदित आहरण अनुरोधों को अग्रेषित करना।

1.8.1.3 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)

प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, के-फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस) को एनपीएस के लिए सीआरए के तौर पर नामित किया गया है। उनके मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

अभिदाता रिकॉर्ड, प्रशासन और अभिदाता सेवा कार्यों को बनाए रखना।

- प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) जारी करना, सभी पीआरएएन का डाटाबेस बनाए रखना तथा प्रत्येक पीआरएएन से संबंधित लेनदेन का रिकॉर्ड रखना।
- एनपीएस प्रणाली के विभिन्न मध्यस्थों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- इसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा अंशदान की निगरानी करना और पेंशन निधियों को इसके द्वारा प्रदत्त निर्देश और संचार शामिल हैं। समय-समय पर, वे प्रत्येक सदस्य को एक प्रान विवरणी भी भेजते हैं।
- केन्द्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना।
- निधि प्रबंधकों को समय पर निधि अंतरण से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
- वार्षिकी योजना के लिए अभिदाताओं के खाते और वार्षिकी सेवा प्रदाता को में निकासी निधि भेजने के लिए न्यासी बैंक के साथ समन्वय करना।

1.8.1.4 न्यासी बैंक

न्यासी बैंक एनपीएस के तहत विभिन्न मध्यवर्तियों के बीच धन के प्रवाह को संभालता है। वर्तमान में, एक्सिस बैंक लिमिटेड सीआरए से प्राप्त निर्देशों के आधार पर अभिदाताओं, पेंशन निधियों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के बीच निधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नामित बैंक है। न्यासी बैंक नोडल कार्यालयों / पीओपीएस / एग्रीगेटर्स से निधियां प्राप्त करता है और उनका अभिदाता अंशदान फाइल के साथ मिलान करता है। न्यासी

बैंक एनपीएस न्यास के नाम पर निधि को धारित करता है तथा अभिदाता के पास उसका हितकारी स्वामी होता है।

1.8.1.5 पेंशन निधि (पीएफ)

ये पेशेवर पेंशन निधि प्रबंधक हैं, जो प्रतिभूतियों के एक पोर्टफोलियो में पेंशन कोष का निवेश, न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में एनपीएस के तहत पेंशन निधि प्रबंधक के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। उनके कार्य निम्नानुसार हैं :-

- निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश सुनिश्चित करना।
- सीआरए द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार योजनाओं में अंशदान निवेश करना।
- योजना पोर्टफोलियो का निर्माण करना।
- बहीखातों और अभिलेखों का रखरखाव, प्राधिकरण को रिपोर्ट करना, और प्रकटीकरण करना।

1.8.1.6 प्रतिभूतियों के अभिरक्षक

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कॉर्पस से खरीदी गई प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित की जाती हैं, जो प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और स्वीकार करके प्रतिभूतियों के लेन-देन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। पीएफआरडीए ने 01 अप्रैल, 2022 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ड्यूश बैंक को अपनी प्रतिभूतियों का अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके कार्यों में शामिल हैं:-

- एनपीएस निधि से खरीदी गई एनपीएस न्यास के नाम पर धारित प्रतिभूतियों की अभिरक्षा करना।
- धारित प्रतिभूतियों का विवरण रखना।
- प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस आदि जैसे लाभों का संग्रहण करना।
- एनपीएस न्यास को (जो बदले में इसे पीएफआरडीए को रिपोर्ट करता है) प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं की उन

कार्रवाइयों के बारे में सूचित करना, जो लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।

1.8.1.7 एनपीएस न्यास

एनपीएस न्यास भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत स्थापित एक न्यास है, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की संपत्ति को धारित करता है। न्यास को निधियों का ध्यान रखने और अभिदाता के हितों की रक्षा करने की विश्वासाश्रित जिम्मेदारी है। एनपीएस न्यास, पेंशन निधियों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, अभिरक्षक और अन्य संस्थाओं जैसे अन्य मध्यवर्तियों साथ संपर्क करते हैं।

1.8.1.8 वार्षिकी सेवा प्रदाता

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां हैं। ये पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध की गई हैं। ये कंपनियां एनपीएस अभिदाताओं को उनके द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी के समूह में से वार्षिकी प्रदान करती हैं। 31 मार्च, 2024 तक पीएफआरडीए द्वारा 15 एएसपी सूचीबद्ध किए गए हैं।

1.8.1.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति, पंजीकृत भागीदारी फर्म, निगमित निकाय या किसी पंजीकृत न्यास या सोसायटी से है जो भावी/अभिदाताओं या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को पीएफआरडीए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजना पर सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होना चाहता है और पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के तहत पंजीकृत है। व्यक्तिगत और उनसे इतर सेवानिवृत्ति सलाहकारों की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर

उपलब्ध है।

1.8.2. खाते के प्रकार

एनपीएस के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं :

टियर-1 खाता: टियर-1 खाते के अंतर्गत, अभिदाता अपनी सेवानिवृत्ति/पेंशन के लिए बचत को इस आंशिक रूप से निकासी योग्य खाते में जमा करता है। आंशिक निकासी की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है।

टियर-2 खाता: यह एक स्वैच्छिक निवेश खाता है जहां अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से बचत जमा करने और निकासी करने के लिए स्वतंत्र है।

टियर 2 के तहत, टियर 2 कर बचत योजना (टीटीएस) खाता है जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन किए गए खाते का एक अन्य प्रकार है ताकि उन्हें अतिरिक्त कर लाभ मिल सके। इसकी तीन साल की लॉक-इन अवधि है।

पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के अलावा अटल पेंशन योजना का भी संचालन और विनियमन किया जाता है।

1.8.3. लोकसंपर्क

सेवानिवृत्ति के लिए बचत और सेवानिवृत्ति योजना की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु तथा पीएफआरडीए के अधिदेश को पूरा करने के लिए, पीएफआरडीए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है, जिसमें पीएफआरडीए द्वारा चयनित प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, व्यापक वित्तीय उपभोक्ता सुरक्षा नीति के एक भाग के रूप में सभी क्षेत्रों में अभिदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस/एपीवाई प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया गया और नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने 13,224 प्रतिभागियों के लिए कुल 111 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

भाग II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

यह अध्याय अधिनियम के अंतर्गत एनपीएस और अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और वक्तव्य) नियम, 2015 के परिशिष्ट 2 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों और इक्विटी सहित निवेश की विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जोखिम की सीमा से संबंधित है।

2.1 पेंशन निधियाँ

पेंशन निधि का तात्पर्य एक मध्यवर्ती इकाई से है, जिसे प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा (3) के तहत विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अंशदान प्राप्त करने, उन्हें संचित करने और अभिदाता को भुगतान करने के लिए एक पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाताओं को विभिन्न आस्ति वर्गों में और अभिदाता की पसंद के अनुसार अलग-अलग अनुपात में एक या एक से अधिक पेंशन निधि प्रबंधकों के पास अपने पेंशन अंशदान को निवेश करने का विकल्प प्रदान करती है। 31 मार्च, 2024 तक पीएफआरडीए में 11 पेंशन फंड पंजीकृत हैं जो एनपीएस संरचना के तहत स्वीकृत कुल 14 प्रकार की योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। योजना सीजी, योजना एसजी और योजना एपीवाई जैसी डिफॉल्ट सरकारी क्षेत्र की योजनाओं का प्रबंधन एसबीआई पीएफपीएल, एलआईसी पीएफएल और यूटीआई आरएसएल नामक केवल 3 पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ई, सी, जी टियर I और टियर II ए टियर I और एनपीएस-टीटीएस-II जैसी निजी क्षेत्र की योजनाओं का प्रबंधन सभी पेंशन फंडों द्वारा किया जाता है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 को 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था और पेंशन निधियों को इन विनियमों का पालन करना था।

2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन, योजना के उद्देश्य, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों,

परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास डीड के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा यथानिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।

ख) पेंशन योजनाओं का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

ग) पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उच्चतर सेवा मानकों, उचित सावधानी, विवेकशीलता, व्यावसायिक कौशल, तत्परता, शीघ्रता और सतर्कता का प्रयोग करेगी। सभी पेंशन निधियों को सट्टा निवेश या लेनदेन से बचना चाहिए।

घ) पेंशन निधि में योग्य, प्रशिक्षित व्यावसायिकों और सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। पेंशन निधि, अपने कर्मचारियों, एजेंटों या अधिकृत व्यक्तियों, जिससे सेवाएं प्राप्त की गई हैं, के कृताकृत्य के लिए जिम्मेदार होगी, और ऐसे कृताकृत्य का उत्तरदायित्व उसका होगा। पेंशन निधि का यह दायित्व पंजीकरण के प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्द होने के या ऐसी कार्रवाई जो प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की जाए के बावजूद भी बना रह सकता है।

ङ) पेंशन निधि अन्य मध्यस्थों और अनुमत संस्थाओं के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ करार करेगी, साथ ही अपने कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी।

च) पेंशन निधि, निवेश निर्णयों और पेंशन योजनाओं के संचालन से संबंधित खाता-बहियों, अभिलेखों, रजिस्ट्रों और दस्तावेजों को प्रबंधित करेगी, ताकि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और लेनदेन के लेखापरीक्षा सत्यापन को सुविधाजनक बनाया जा सके और सदैव कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत अपेक्षित, या प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा मांगे जाने पर, आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित में सूचना का लोक

प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची 5 में यथानिर्दिष्ट पद्धति और रीति से करेगी।

झ) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभिशासन पद्धतियों को अपनाएगी, अर्थात् निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगी, जिनकी संरचना, कार्य और कर्तव्य अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे तथा इसके साथ ही लेखापरीक्षा समिति, नामांकन समिति, और पारिश्रमिक समिति का भी गठन करेगी।

ज) पेंशन निधि पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उत्पन्न होने वाले संघर्ष को रोकेगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को ऐसे उदाहरणों की रिपोर्ट करेगी।

ट) पेंशन निधि, पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव से बचाव किया जाएगा तथा ऐसे मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को की जाएगी।

ठ) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों की गतिविधियों से पेंशन निधि गतिविधियों की विशिष्टता और पृथक्करण सुनिश्चित करेगी।

ड) पेंशन निधि, अभिदाताओं तथा पेंशन निधियों से जुड़ी सूचना और संबंधित कार्यकलापों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास किसी अन्य मध्यवर्ती के साथ ऐसी जानकारी साझा करेगी या अन्य कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त इसके नियंत्रणाधीन सभी सूचनाओं का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।

ढ) पेंशन निधि ऐसी अभ्यावेदन और वारंटियां प्रदान करेगी और उसी के अनुसार कार्य करेगी, जो अभिदाता के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक हो।

ण) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली फीस, प्रभार, लेवी और प्रतिभूति जमाराशि का भुगतान करेगी।

त) पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अपने परिचालन और निष्पादन की समीक्षा के अधीन होगी।

थ) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा पेंशन योजनाओं के लेखापरीक्षा के अधीन होगी।

द) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा यथा उचित समझे गए अन्य लेखापरीक्षा और निरीक्षण के अधीन होगी।

ध) पेंशन निधि, जो उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के

रूप में पंजीकृत है, को अपनी निधि प्रबंधन गतिविधियों से दूरी बनाए रखने के लिए राजस्व और व्यय के विवरण सहित पृथक बुनियादी ढांचे, जनशक्ति, खातों को बनाए रखना होगा।

न) पेंशन निधि सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक कंपनी पर लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी और अनुपालन अधिकारी इस तरह का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

न) अधिनियम की धारा (20)(2)(घ)(ख) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा योजना की अधिसूचना दिए जाने पर, पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करेगी।

प) पेंशन निधि निम्नलिखित कार्य करेगी:

(1) धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करना, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति विकसित करना और उसका पालन करना।

(2) अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रण निर्धारित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

(3) पेंशन निधि की ओर से, धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी नुकसान के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान स्थापित करना।

2.1.2 सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकार), एनपीएस-स्वावलंबन तथा एपीवाई हेतु पेंशन निधियों की सूची

- i. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- ii. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- iii. यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

2.1.3 निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ) की सूची

- i. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- ii. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- iii. यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
- iv. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

- v. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- vi. कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- vii. आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
- viii. एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- ix. टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- x. मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं का प्रबंधन करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और इसने 26 दिसंबर 2023 से अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

पीएफ द्वारा प्रबंधित एयूएम की निम्नलिखित स्लैब संरचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से निवेश प्रबंधन शुल्क को संशोधित किया गया है:

तालिका 2.1 – निवेश प्रबंधन शुल्क

स्लैब	% प्रति वर्ष
₹ 10,000 करोड़ तक	0.09*
> ₹ 10,000 करोड़ – ₹ 50,000 करोड़	0.06
> ₹ 50,000 करोड़ – ₹ 1,50,000 करोड़	0.05
₹ 1,50,000 करोड़ और उससे अधिक	0.03

* इस स्लैब के तहत यूटीआई आरएसएल 0.07 प्रतिशत शुल्क लेगा।

सरकारी क्षेत्र के तहत, 03 सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड/यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन फंडों में) अंशदान को प्रबंधित और निवेशित करेंगी।

इसके अलावा, सरकार के का. झा. सं. दिनांक 31 जनवरी, 2019 के 1/3/2016-पीआर और प्राधिकरण के 8 मई, 2019 के परिपत्र के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं:-

पेंशन निधि का विकल्प :-

जैसा कि निजी क्षेत्र में अभिदाताओं के मामले में है, उसी

2.2 योजनाएं

एनपीएस में अभिदाता निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आते हैं:

- सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार / राज्य सरकार – स्वायत्त निकायों सहित)
- सर्व नागरिक क्षेत्र/असंगठित क्षेत्र
- कॉर्पोरेट क्षेत्र
- एनपीएस लाइट/स्वावलंबन
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

एनपीएस के तहत, उपरोक्त योजनाओं के लिए निवेश, प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किया जाता है और सभी योजनाओं/वर्गों के लिए शुरुआत से ही इक्विटी एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है। एनपीएस के तहत निवेश विकल्प अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।

2.2.1 सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार जिनमें केंद्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय शामिल हैं)

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सीएबी/एसएबी सहित सरकारी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा तय की गई है:-

तालिका 2.2 – सरकारी क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित परिसंपत्ति, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

प्रकार सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र की पेंशन कोषनिधि सहित किसी एक पेंशन निधि के चयन की अनुमति दी जाएगी। वे वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियों के संयोजन का मौजूदा प्रावधान विद्यमान और नए सरकारी अभिदाताओं दोनों के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा।

निवेश प्रारूप का विकल्प : सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित निवेश विकल्प प्रदान किए जाएंगे :

I. मौजूदा योजना, जिसमें पीएफआरडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निधि प्रबंधकों के बीच धन आवंटित किया गया हो, को मौजूदा और नए अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट योजना के रूप में जारी रहेगी।

II. सरकारी कर्मचारियों जो न्यूनतम जोखिम के साथ एक निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100 प्रतिशत निवेश करने का विकल्प दिया जाएगा।

III. उच्चतर रिटर्न चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित दो जीवन-चक्र आधारित योजनाओं के विकल्प दिए जाएंगे :

क) इक्विटी में अधिकतम 25 प्रतिशत की निवेश सीमा के साथ कंजर्वेटिव जीवन चक्र निधि एलसी - 25 तक सीमित किया गया है।

ख) इक्विटी में अधिकतम 50 प्रतिशत की निवेश सीमा

के साथ मॉडरेट जीवन चक्र निधि एलसी - 50 तक सीमित किया गया है।

केंद्र सरकार के अभिदाता, एनपीएस के तहत उपरोक्त विकल्पों में से एक वित्तीय वर्ष में दो बार निवेश पैटर्न के किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए - पीएफआरडीए परिपत्र संख्या पीएफआरडीए / 2019 / 12 / संदर्भ-पीएफ / 1 दिनांक 08 मई, 2019 का संदर्भ लें।

कुछ राज्य सरकारों ने भी उपर्युक्त निवेश विकल्पों की शुरुआत की है।

2.2.2 एनपीएस-लाइट

यह अवगत कराया जाता है कि एनपीएस-लाइट के तहत नए नामांकन दिनांक 01.04.2015 से बंद हो गए हैं। हालांकि, मौजूदा एनपीएस-लाइट अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए के निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनपीएस-लाइट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है।

तालिका 2.3 - एनपीएस लाइट क्षेत्र में परिसंपत्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित परिसंपत्ति, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

एनपीएस-लाइट के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 3 पेंशन निधियां अर्थात एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड / एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड / यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन निधियों में से) अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं। इसके अलावा, एकल निजी क्षेत्र की पेंशन निधि अर्थात कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को अंशदान के प्रबंधन के लिए एग्रीगेटर्स में से एक के रूप में चुना गया है।

एनपीएस- लाइट योजना के तहत, अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया है।

2.2.3 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रति माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त

करने पर दी जाएगी जो अभिदाताओं के अंशदान पर निर्भर होगी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत, अभिदाताओं को

पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया है, क्योंकि यह एक गारंटीकृत सरकारी योजना है और इसमें एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान ही आस्ति आवंटन रखा जाता है:

तालिका 2.4 – अटल पेंशन योजना क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित परिसंपत्ति, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

अटल पेंशन योजना के तहत, 3 सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन की निधियां अर्थात एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात (तीन पेंशन निधियों के मध्य) में अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं।

2.2.4 सर्व नागरिक क्षेत्र

सर्व नागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पद्धति अर्थात 'एक्टिव चॉइस' या 'ऑटो चॉइस' का चयन कर सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है

तालिका 2.5 – सर्व नागरिकों/असंगठित क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100 तक
वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ	5 तक
अल्पाकालिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पाकालिक म्यूचुअल फंड और सावधि जमा)	10 तक

पेंशन निधि और निवेश पद्धति को बदलने का विकल्प

इसके अलावा, एक वित्तीय वर्ष में अभिदाता द्वारा पेंशन निधि को एक बार तथा निवेश विकल्प को चार बार बदला जा सकता है।

2.2.5 कॉर्पोरेट क्षेत्र

कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित अभिदाताओं के लिए, जहां नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है, निवेश विकल्पों और चयन को लचीला रखा गया है।

इस भाग के तहत दो प्रकार की योजनाएं हैं:

कॉर्पोरेट सी जी— इस योजना को बंद कर दिया गया है और यह कॉर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे कॉर्पोरेट जो पहले से ही इस योजना के तहत शामिल हैं और जिन्होंने इस योजना को नहीं बदला है, वे अभी भी इस योजना में बने हुए हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं कॉर्पोरेट केंद्र सरकार क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई हैं :

तालिका 2.6 – कॉर्पोरेट केंद्र सरकार क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित परिसंपत्ति, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

इस कॉर्पोरेट सी जी योजना के तहत, 2 पेंशन निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड अथवा एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश किया गए हैं।

अन्य योजना: (वर्तमान में कॉर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध)

इस योजना के तहत, नियोक्ता कर्मचारियों को पेंशन निधि और/या निवेश के तरीके का चुनाव करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है या नियोक्ता अपने कर्मचारियों की ओर से पेंशन निधि और/या जीवन चक्र निधि का चयन कर सकता है। एनपीएस से संबंधित ये पहलू नियोक्ता-कर्मचारी प्रबंधन का भाग बनते हैं। निवेश विकल्प के अनुसार, नियोक्ता या अभिदाता को एक पंजीकृत पेंशन निधि में से किसी एक को चुनना होगा और चार आस्ति वर्गों के बीच आस्ति आवंटन के आगे की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

- **आस्ति वर्ग ई** – इक्विटी और संबंधित उपकरण

- **आस्ति वर्ग सी** – कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग जी** – सरकारी बांड और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग ए** – सीएमबीएस, एमबीएस, रिट्स, एआईएफ, इनविट्स आदि सहित वैकल्पिक निवेश निधियां शामिल हैं।

कॉर्पोरेट केंद्र क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पद्धति अर्थात् 'एक्टिव चॉइस' या 'ऑटो चॉइस' का चयन कर सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई हैं :

तालिका 2.7 कॉर्पोरेट क्षेत्र में परिसंपत्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 तक
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	100 तक
वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ	5 तक
अल्पाकालिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पाकालिक म्यूचुअल फंड और सावधि जमा)	10 तक

पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को बदलने का विकल्प

इसके अलावा, अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि को एक बार और निवेश विकल्प को चार बार बदला जा सकता है।

2.2.6 टीयर II कर बचत योजना (टीटीएस)

यह योजना केवल केंद्र सरकार से संबंधित एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों द्वारा अंशदान उपायोजित करने की तिथि से 3 साल की लॉक-इन अवधि है। लॉक-इन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, अभिदाता की मृत्यु के मामले में, नामिती / कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निधि को प्रत्याहृत किया जा सकता है। एनपीएस से निकासी के समय टीयर – 1 खाता बंद होने की स्थिति, में एनपीएस-टीटीएस में अंशदान की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि लॉक-इन अवधि पूरी नहीं हो जाती। टीटीएस के संबंध में पेंशन निधि को निम्नलिखित निवेश सीमाएं निर्धारित की गई हैं:

तालिका 2.8 टीटीएस में आस्ति वर्ग सीमाएं

परिसंपत्ति वर्ग	सीमाएं (प्रतिशत में)
इक्विटी	10 - 25
ऋण	90 तक
नकद, मुद्रा बाजार, म्यूचुअल फंड	20 तक

पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को बदलने का विकल्प

इस योजना के तहत अभिदाताओं के पास निवेश चुनाव का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। हालांकि, टीटीएस अभिदाताओं को पृथक् रूप से अधिकतम 3 पेंशन निधियां रखने का विकल्प है। हालांकि, पेंशन निधि में बदलाव की अनुमति लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद ही दी जाएगी।

2.2.7 पेंशन निधियों का विवरण

प्रबंधन के तहत आस्तियों का योजना वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

तालिका 2.9 – प्रबंधन के तहत आस्ति का विवरण

योजना	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	पूर्ण वृद्धि	वृद्धि (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	2,50,631.18	3,03,144.54		
राज्य सरकार	4,47,114.39	5,73,527.20		
योग	6,97,745.57	8,76,671.74	1,78,926.17	25.64
एनपीएस लाइट	4,914.52	5,559.69		
एपीवाई	26,700.12	35,647.67		
एपीवाई निधि योजना	522.71	884.17		
कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	58,766.72	77,174.94		
ई-टियर I	43,261.38	76,999.16		
सी-टियर I	22,329.81	34,012.00		
जी टियर I	40,375.85	60,750.97		
ए-टियर I	271.69	411.39		
ई टियर II	1,681.16	2,573.34		
सी-टियर II	864.87	1,035.34		
जी-टियर II	1,419.11	1,797.97		
टीटीएस	12.53	17.51		
योग	2,01,120.47	2,96,864.15	95,743.68	47.61
कुल योग	8,98,866.04	11,73,535.89	2,74,669.85	30.56

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (केंद्र सरकार और राज्य सरकार) के लिए प्रबंधन के तहत आस्ति में लगभग 25.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्ति में 47.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूर्ण वृद्धि के संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में 1,78,926.17 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा इसके अलावा अन्य

योजनाओं में कुल मिलाकर 95,743.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

जैसा कि ऊपर वर्णित है कि, अलग-अलग पेंशन योजनाएं अलग-अलग पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं, इससे संबंधित पेंशन निधि के तहत विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्ति का विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.10 – 31 मार्च, 2024 तक के अनुसार पेंशन निधि वार और योजना-वार
(केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनपीएस लाइट, एपीवाई, एपीवाई निधि योजना और कॉर्पोरेट केंद्र सरकार)
प्रबंधन के तहत आस्तियां

राशि करोड़ रुपये में

पेंशन निधि / योजनाओं के नाम	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	एनपीएस लाइट	एपीवाई	एपीवाई निधि योजना	कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,05,350.61	1,96,243.24	2,251.64	12,101.61	297.92	73,294.01	3,89,539.03
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	99,208.34	1,91,513.25	1,627.00	12,027.43	311.31	3,880.93	3,08,568.26
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	98,585.59	1,85,770.71	1,594.20	11,518.63	274.94		2,97,744.07
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड			86.84				86.84
कुल	3,03,144.54	5,73,527.20	5,559.69	35,647.67	884.17	77,174.94	9,95,938.21

तालिका 2.11 – 31 मार्च, 2024 तक के अनुसार योजना-वार (ई-1, सी-1, जी-1, ए-1, ई-2, सी-2 और जी-2, टीटीएस-2) की तुलना में पेंशन निधिवार प्रबंधन के तहत आस्तियाँ

राशि - करोड़ रुपये में

पेंशन निधि / योजनाओं के नाम	योजना -ई-1	योजना -सी-1	योजना -जी-1	योजना - ई -॥	योजना -सी-॥	योजना - जी-॥	योजना -ए -॥	एनपीएस - टीटीएस - ॥	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	16,896.40	8,342.29	17,277.52	523.72	240.64	482.77	77.38	4.87	43,845.57
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	5,164.50	2,762.10	5,203.72	151.30	78.35	213.29	18.39	2.00	13,593.66
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	2,152.97	906.44	1,674.59	89.14	33.83	64.37	9.93	1.21	4,932.48

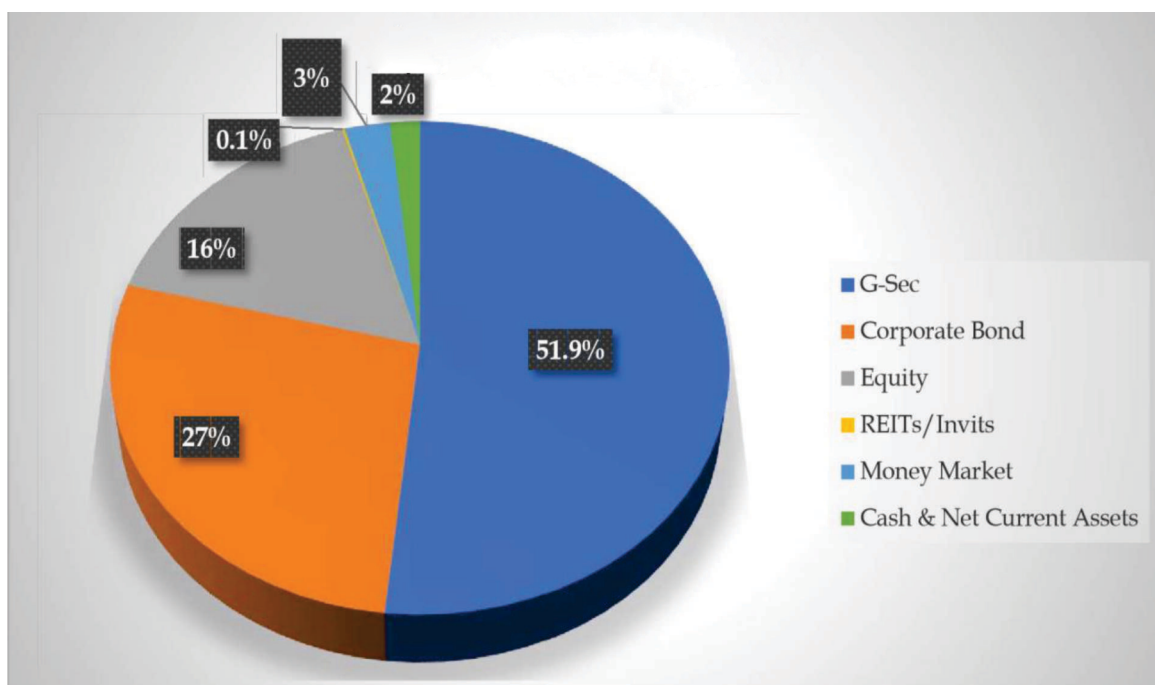
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	36,194.65	14,330.02	23,927.76	1,182.69	434.02	645.01	235.29	5.33	76,954.78
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	12,384.21	5,708.43	9,365.27	440.04	187.04	281.90	50.50	1.74	28,419.13
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	2,094.28	833.90	1,445.36	120.19	41.12	71.15	12.39	0.74	4,619.15
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	605.80	295.24	530.09	33.42	13.04	26.55	3.72	0.86	1,508.72
टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	373.49	164.38	256.89	23.98	4.65	8.64	2.15	0.53	834.71
मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	187.40	116.11	270.27	1.30	0.26	0.77	0.20	0.06	576.37
एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	897.02	527.16	759.57	6.75	2.15	3.31	1.31	0.17	2,197.45
डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	48.43	25.92	39.93	0.81	0.22	0.21	0.13	0.00	115.66
कुल	76,999.16	34,012.00	60,750.97	2,573.34	1,035.34	1,797.97	411.39	17.51	1,77,597.68

मार्च, 2023 की तुलना में मार्च, 2024 के अनुसार प्रबंधन के तहत आस्तियों का आस्तिवार वर्गवार द्विविभाजन नीचे दिया गया है:-

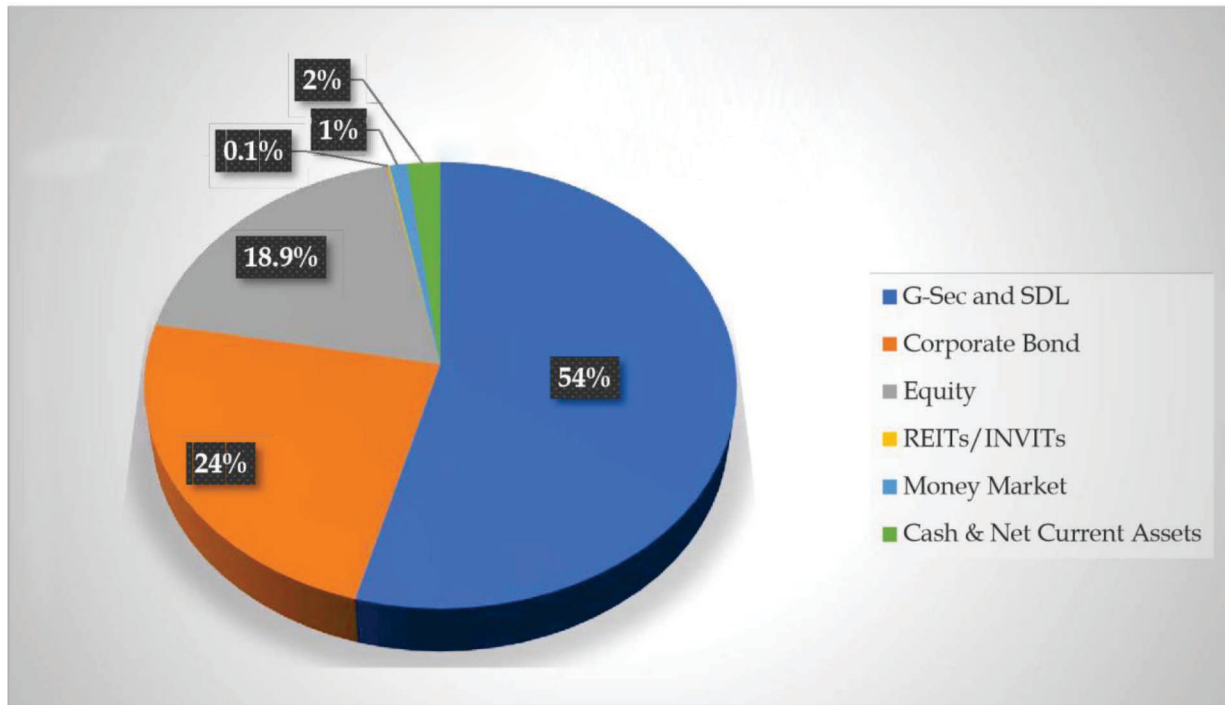
तालिका 2.12 – प्रबंधन के तहत आस्ति का आस्ति वर्गवार विभाजन

	31-मार्च-23		31-मार्च-24	
परिसंपत्ति वर्ग	राशि (करोड़ रुपये)	निवेश का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये)	निवेश का प्रतिशत
जी-सेक	4,64,297.98	51.65%	6,36,189.12	54.21%
कॉर्पोरेट बॉन्ड	2,45,896.66	27.36%	2,78,690.02	23.75%
इक्विटी	1,48,844.45	16.56%	2,21,856.39	18.90%
रिट्स/ इनविट्स	1,079.92	0.12%	1,194.76	0.10%
मुद्रा बाजार	23,362.95	2.60%	12,464.77	1.06%
नकदी और निवल चालू परिसंपत्तियां	15,384.08	1.71%	23,140.83	1.97%
कुल	8,98,866.04	100.00%	11,73,535.89	100.00%

चार्ट 2.1 – प्रबंधन के तहत आस्ति का आस्ति वर्गवार विभाजन 31 मार्च 2023



चार्ट 2.2 – प्रबंधन के तहत आस्ति का आस्ति वर्गवार विभाजन 31 मार्च 2024



2.3 पेंशन निधियों से जुड़ी विनियम, अधिसूचनाएं, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र / दिशानिर्देश

एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल (टियर-1), एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल (टियर-1) और एनपीएस टियर-2 (सभी अभिदाता) के तहत आस्ति वर्गों (वैकल्पिक आस्ति वर्ग या योजना –ए को छोड़कर) के चयन के विकल्प पर परिपत्र।

- एनपीएस के तहत रखी गई प्रतिभूतियों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देशों का परिशिष्ट।
- एनपीएस टियर-1 और टियर-2 [केंद्र/राज्य सरकार, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अलावा] के लिए निवेश दिशा निर्देशों पर मास्टर परिपत्र।
- एनपीएस/एपीवाई योजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देशों पर मास्टर परिपत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना और एपीवाई निधि योजना।

- मार्जिन आवश्यकताओं के लिए सीसीआईएल के साथ प्रतिभूतियों को मार्जिन के रूप में रखने की अनुमति पर परिपत्र।

2.4 निरीक्षण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित 8 पेंशन निधियों का निरीक्षण किया गया :

- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
- एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

भाग III प्राधिकरण के कार्य

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के संवर्धन, क्रमिक विकास तथा इस प्रणाली एवं योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्ति और कार्यों पर प्रकाश डालता है।

3.1 मध्यवर्ती इकाइयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरणों का निलम्बन, निरसन तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यवर्तियों की गतिविधियों का विनियमन

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने, विनियमित करने, बढ़ावा देने और और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं कोई अन्य पेंशन योजना जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जाती हैं, इनके संचालन में बड़ी संख्या में कई संस्थाएं शामिल होती हैं जैसे केंद्र और राज्य सरकार में वेतन और लेखा कार्यालय/ट्रेजरी कार्यालय जो एनपीएसकैन पर सरकारी कर्मचारियों की आवधिक एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण तथा अपलोड के लिए जिम्मेदार हैं, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) हैं। ये कॉर्पोरेट, निजी और असंगठित क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण तथा अपलोड में सहायता करते हैं। एग्रीगेटर्स (अब पीओपी) जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं तक अंततोगत्वा पहुंचने में मदद करते

हैं, केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), जो अभिदाताओं के प्रान अर्थात व्यक्तिगत पेंशन खातों की रिकॉर्डकीपिंग के लिए जिम्मेदार है और एनपीएस के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है। निधि तथा बैंकिंग सुविधाओं के दैनिक प्रवाह के लिए उत्तरदायी न्यासी बैंक, पेंशन निधियां (पीएफ), जिसे पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस में शामिल अभिदाताओं की पेंशन आस्तियों का निवेश और प्रबंधन करने के लिए सशक्त किया गया है और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एसपी) को अभिदाता के लिए मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

सरकारी क्षेत्र – केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकाय

स्वायत्त निकायों का पंजीकरण: केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रालयों के संबंधित वित्तीय सलाहकारों और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करके इन्हें पंजीकृत करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। पीएफआरडीए ने राज्य स्वायत्त निकाय के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में राज्य सरकारों की सहायता भी की है।

पीएफआरडीए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय के सहमति पत्र ("एलओसी") की प्रक्रिया पूर्ण करता है और पूर्व-पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एनपीएस पर आधारित संशयों के लिए भी उत्तरदायी है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी सहमति पत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) केन्द्रीय स्वायत्त निकाय – 11 (ii) राज्य स्वायत्त निकाय – 119

31 मार्च, 2024 तक, पीआरएओ/डीटीए, पीएओ/डीटीओ और डीडीओ की संख्या निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 3.1: पीआरएओ/डीटीए की संख्या, पीएओ/डीटीओ की संख्या और डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	पीआरएओ/डीटीए की संख्या	पीएओ/डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या
केंद्र सरकार	144	3,076	16,852
केंद्रीय स्वायत्त निकाय	672	2,061	4,278
कुल	815	5,137	21,130

तालिका संख्या 3.2: डीटीए/डीटीओ/डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	डीटीए की संख्या	डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या
राज्य सरकार	72	1,983	2,35,601
राज्य स्वायत्त निकाय	733	6,040	16,545
कुल	805	8,023	2,52,146

तालिका संख्या 3.3: 31 मार्च, 2024 तक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय का पंजीकरण

31 मार्च, 2023 की स्थिति	कुल पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	कुल पंजीकृत राज्य स्वायत्त निकाय	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के कुल नामित अभिदाता	राज्य स्वायत्त निकाय के कुल नामित अभिदाता
	672	1,809	2,85,470	10,23,255

तालिका संख्या 3.4: वित्तीय वर्षवार नए पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय

वित्त वर्ष के अनुसार प्रदर्शन	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
नए पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	18	25	25	24	27	22	12	11
नए पंजीकृत राज्य स्वायत्त निकाय	179	272	107	133	141	120	158	119

स्रोत: पर्यवेक्षण (केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय) व प्रचार और विकास (केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय)

31 मार्च, 2024 तक एनपीएस के तहत 1,809 राज्य स्वायत्त निकाय और 672 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 तक 363 उपस्थिति अस्तित्व (सीआरए में पंजीकृत), तीन केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, एक न्यासी बैंक, ग्यारह पेंशन निधियां और पंद्रह वार्षिकी सेवा प्रदाता हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की एनपीएस संबंधी प्रोत्साहन तथा विकास गतिविधियां:

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय द्वारा संचालित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:-

एनपीएस कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की निम्नलिखित श्रेणियों में सहभागिता:-

- केंद्र सरकार/राज्य सरकार अधिसूचना के अनुसार, ऐसे सभी पात्र केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकायों का पंजीकरण, जिन्होंने अभी तक एनपीएस के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
- गैर-पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की लंबित पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना।
- एनपीएस के तहत पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय व राज्य स्वायत्त निकाय के पात्र कर्मचारियों का नामांकन।
- पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय के नामित कर्मचारियों के लिए नियमित और विरासत/बकाया एनपीएस अंशदान का हस्तांतरण।

- संभावित केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय के पंजीकरण हेतु केंद्र सरकार मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ समन्वय।
- एसएचजी तथा एसएबी के लिए एनपीएस अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहभागिता।

3.2 पेंशन निधियों के कोष प्रबंधन के लिए मानदंडों और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देशों सहित योजनाओं की स्वीकृति, नियम और शर्तें

भारत सरकार की अधिसूचना एफ. सं. 1/3/2016-पीआर दिनांक 31.01.2019 के संदर्भ में, डिफॉल्ट योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की वृद्धिशील एनपीएस सदस्यता का आवंटन 03 पेंशन निधियों में उनके पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर निम्नानुसार किया गया था:

तालिका सं 3.5 : सीजी योजना का आवंटन

सीजी योजना	आवंटन (%)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	34.5
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	32.0
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	33.5

तालिका सं 3.6 : एसजी योजना का आवंटन

एसजी योजना	आवंटन (%)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	34
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	32
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	34

एपीवाई योजना और एपीवाई निधि योजना के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धिशील निधियों का आवंटन 03 पेंशन निधियों में उनके पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर निम्नानुसार किया गया था :

तालिका सं 3.7 : एपीवाई योजना का आवंटन

एपीवाई योजना / एपीवाई फंड योजना	आवंटन (%)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	34
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	31
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	35

वित्त वर्ष 2023-24 में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एनपीएस टियर- II समग्र योजना के लिए, 03 पेंशन निधियों में धन का आवंटन केंद्र और राज्य सरकार के अभिदाताओं के लिए लागू अनुपात के अनुसार था जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का निकास

3.3.1 पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 तथा उसमें हुए संशोधन

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार, निम्न प्रत्याहरण श्रेणियां लागू हैं :

तालिका संख्या 3.8: पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और संशोधन

क्रम संख्या	निकासी श्रेणियाँ	सरकारी क्षेत्र में शर्तें	गैर-सरकारी क्षेत्र में शर्तें
1	सामान्य सेवानिवृत्ति पर	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 40 प्रतिशत, अभिदाता द्वारा मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त के रूप में भुगतान की जानी चाहिए। यदि प्रान में संचित पेंशन राशि 5 लाख या उससे कम है, तो अभिदाता के पास वार्षिकी खरीदे बिना समस्त संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।	सरकारी क्षेत्र के समान
2.	मृत्यु होने पर	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत पति/पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए और शेष राशि का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त के रूप में किया जाता है। डिफॉल्ट वार्षिकी अभिदाता के जीवनसाथी के लिए आजीवन वार्षिकी प्रदान करती है और यदि पति/पत्नी जीवित नहीं हैं, तो इसका भुगतान अभिदाता के जीवित आश्रित माता-पिता को किया जाता है, और यदि वे जीवित नहीं हैं, तो इसका भुगतान अभिदाता के जीवित कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाता है। यदि उनकी मृत्यु के समय प्रान में संचित पेंशन संपत्ति 5 लाख या उससे कम है, तो नामित या कानूनी उत्तराधिकारियों के पास वार्षिकी को खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।	यदि अभिदाता की मृत्यु 60 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति प्राप्त करने से पहले हो जाती है, तो अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन संपत्ति का भुगतान नामित व्यक्ति अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। मृतक अभिदाता के नामित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के पास यदि वे चाहें तो बाहर निकलने पर दी जा रही किसी भी वार्षिकी को खरीदने का विकल्प होगा।
3	समयपूर्व निकास	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत, अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए और शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त के रूप में किया जाता है। यदि प्रान में संचित पेंशन संपत्ति 2.5 लाख या उससे कम है, तो ऐसे अभिदाता के पास किसी भी वार्षिकी को खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।	इस प्रकार उपयोग किए गए विकल्प की अनुमति केवल ऐसे अभिदाता को दी जाएगी जिसने कम से कम दस साल की न्यूनतम अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली हो। अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए और शेष राशि का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त के रूप में किया जाता है। यदि प्रान में संचित पेंशन संपत्ति 2.5 लाख के बराबर या उससे कम है, तो ऐसे अभिदाता के पास किसी भी वार्षिकी को खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।

इसके अतिरिक्त, अभिदाता (75 वर्ष तक) एनपीएस में निवेश करने का निर्णय ले सकता है या एनपीएस से निकासी कर बाहर निकल सकता है। एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:—

- एनपीएस खाते की निरंतरता:— अभिदाता सेवानिवृत्ति (75 वर्ष तक) के बाद भी एनपीएस खाते में अंशदान देना जारी रख सकता है और अंशदान पर अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- प्रत्याहरण में विलम्बन:— अभिदाता अपने आहरण को विलंबित कर सकता है और 75 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेश कर सकता है। अभिदाता केवल एकमुश्त निकासी, वार्षिकी को स्थगित कर सकता है, अथवा दोनों को स्थगित कर सकता है।
- अपनी पेंशन शुरू करना:— यदि अभिदाता एनपीएस खाते को जारी/स्थगित नहीं रखना चाहता है, तो वह एनपीएस से निकासी कर सकता है। वह ऑनलाइन

निकासी अनुरोध प्रस्तुत कर एनपीएस निकासी दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना आरंभ कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति “अभिदाता द्वारा ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया” के माध्यम से “एनएसडीएल की पाठशाला” चैनल के लिए सब्सक्राइब करते हुए समर्पित यूट्यूब चैनल “एनएसडीएल की पाठशाला” पर निरंतरता और विलंब प्रक्रिया का वीडियो क्रमशः <https://bit.ly/2ZLzTkB> और <https://bit.ly/2vyuhfK> चैनल पर देख सकता है।

एनपीएस से निकासी के लिए अभिदाताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और परिभाषित किया गया है:

(i) सरकारी क्षेत्र, (ii) कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित सभी नागरिक और (iii) एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर।

निर्दिष्ट निकासी विनियम अभिदाता की श्रेणी पर लागू होंगे।

तालिका सं. 3.9: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सूचित आंशिक निकासी और निपटान

क्रम सं.	क्षेत्र	सूचित	निपटान
1	केंद्र सरकार	36,225	36,126
2	राज्य सरकार	1,34,167	1,32,851
3	सर्व नागरिक / असंगठित	7,965	7,806
4	कॉर्पोरेट	22,961	22,843
5	एनपीएस लाइट	6	6
	कुल	2,01,324	1,99,632

(आंकड़ा स्रोत: पर्यवेक्षण—सीआरए, टीबी, एएसपी और निकासी)

तालिका सं. 3.10: 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 को निकासी के बकाया मामले

क्रम सं.	क्षेत्र	लंबित ऑनलाइन निकासी	
		मार्च 31, 2023 तक	मार्च 31, 2024 तक
1	केंद्र सरकार	524	722
2	राज्य सरकार	2,852	3,285
3	असंगठित	219	471
4	कॉर्पोरेट	111	200
5	एनपीएस लाइट	516	239
	कुल	4,222	4,917

(आंकड़ा स्रोत: एनएसडीएल—सीआरए और केफिन टेक्नोलॉजिज—सीआरए)

यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में निकासी आवेदनों को संसाधित करने में विलंब के कारण अभिदाताओं या नोडल कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत गुम/अपर्याप्त दस्तावेज होते हैं।

3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक निकासी

एनपीएस अभिदाता आंशिक निकासी कर सकते हैं जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है। नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान, यदि कोई है, को छोड़कर, किसी भी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी विनियम और शर्तों, उद्देश्य, आवृत्ति और निम्नलिखित निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन है:

(क) प्रयोजन : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी से पहले किसी भी समय आहरण फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को अभिदाता को अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में किए गए अंशदान के आंशिक निकासी की अनुमति होगी जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति तथा सीमाओं के अधीन होगी:

- अभिदाता के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जिसमें वैधरूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं।
- वैध रूप से दत्तक बच्चों सहित अपने स्वयं के बच्चों के विवाह के लिए।
- अपने नाम पर या वैध विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त नाम पर आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए। यदि अभिदाता पहले से ही व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से पैतृक संपत्ति के अलावा किसी आवासीय घर या फ्लैट का मालिक है, तो इन नियमों के तहत किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए: यदि अभिदाता उसके वैध विवाहित पति/पत्नी, बच्चे, जिसमें वैध दत्तक बच्चा या आश्रित माता-पिता शामिल हैं, किसी निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें निम्नलिखित बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होना और उपचार शामिल होगा:

- कैंसर
- गुर्दा खराब होना (अंतिम अवस्था में गुर्दे की विफलता)
- प्राथमिक फुफुसीय धमनी उच्च रक्तचाप
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस बनाम प्रमुख अंग प्रत्यारोपण
- कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट
- एओर्टा ग्राफ्ट सर्जरी
- हृदय वाल्व सर्जरी

- आघात
- मायोकार्डियल इन्फेक्शन
- कोमा
- पूर्ण अंधापन
- पक्षाघात
- गंभीर/जानलेवा प्रकृति की दुर्घटना
- प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशा-निर्देशों या अधिसूचनाओं में निर्धारित
 - खतरनाक प्रकृति की कोई अन्य गंभीर बीमारी। कोविड-19 को भी इस श्रेणी में शामिल हैं।
 - अभिदाता को हुई अक्षमता या इससे उत्पन्न चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु।
 - अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल विकास या किसी अन्य स्व-विकास गतिविधियों के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए जैसा प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी कर अनुमति दी जा सकती है।
 - अभिदाता द्वारा स्वयं का उद्यम या किसी स्टार्ट-अप की स्थापना हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए जैसा प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी कर अनुमति दी जा सकती है।

(ख) **सीमाएं:** अनुमत निकासी की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब लाभ प्राप्त करने के लिए अभिदाताओं द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंड और सीमा का अनुपालन किया जाता है:

- अभिदाता पंजीकरण की तिथि से कम से कम तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो।
- आहरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक संचयी राशि के आहरण की अनुमति दी जाएगी जो उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में उसके नाम पर की जाएगी

(ग) **आवृत्ति:** अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदान की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार ही निकासी करने की अनुमति होगी। निकासी के लिए अनुरोध अभिदाता द्वारा अपने नोडल कार्यालय के माध्यम से इस तरह के निकासी दावे को प्रक्रियारत करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, बशर्ते जहाँ कोई अभिदाता उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है, वहाँ निकासी का अनुरोध ऐसे अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

**तालिका सं. 3.11: 31 मार्च 2024 को सूचित
आंशिक निकासी और निपटान**

क्रम सं.	क्षेत्र	सूचित.*	निपटान**
1	केंद्र सरकार	1,59,155	1,58,613
2	राज्य सरकार	6,90,832	6,87,704
3	असंगठित	17,395	17,164
4	कॉर्पोरेट	49,633	49,430
5	एनपीएस लाइट	28	28
	कुल#	9,17,043	9,12,939

(आंकड़ा स्रोत: पर्यवेक्षण—सीआरए, टीबी, एएसपी और निकासी)

नोट:

*सूचित मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत और प्राधिकरण के लिए लंबित मामले शामिल हैं।

** निपटाए गए मामले वे हैं जहां अभिदाता के बैंक खाते में राशि अंतरित की गई है।

#अभिदाता द्वारा शुरू किए गए मामलों को नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए मामलों में भी जोड़ा जाता है।

(i) अभिदाताओं द्वारा चयनित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) और वार्षिकी योजनाओं का विवरण:

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, और इसके अधीन संशोधन, एनपीएस के तहत निकासी के विभिन्न प्रावधानों का विवरण और रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसने एएसपी के पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया और एएसपी की विस्तृत भूमिकाएं व दायित्व निर्धारित किए हैं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा पंजीकृत और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी के समय अभिदाताओं को विभिन्न प्रकार की तत्काल वार्षिकी प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के रूप में कार्य करती हैं। एएसपी पैनल पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 तथा उसके संशोधन के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

वार्षिकी, एकमुश्त राशि जमा करने पर पेंशन के मासिक भुगतान का प्रावधान करती है। अभिदाता को अनिवार्य रूप से एनपीएस के निकासी नियमों में निर्दिष्ट वार्षिकी को पीएफआरडीए के पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाता से खरीदना होगा।

वर्तमान में, एनपीएस अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 15 एएसपी, पीएफआरडीए में सूचीबद्ध हैं:

तालिका सं. 3.12: प्रत्येक एसपी द्वारा जारी वार्षिकी

क्रम सं.	एसपी का नाम.	31.03.2024 तक (जारी वार्षिकी)	वित्त वर्ष 23-24 (जारी वार्षिकी)
1	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	51,519	11,227
2	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	40,883	9,456
3	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	26,444	2,246
4	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	24,640	4,271
5	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10,604	5,191
6	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,629	4,746
7	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,286	2,249
8	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,591	1,790
9	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	938	928
10	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	363	133
11	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	203	202
12	इंडियाफस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	86	51
13	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	54	28
14	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29	2
15	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	9	-
16	एडेलवीस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3	-

* 31 मार्च, 2024 तक पीएफआरडीए में सूचीबद्ध नहीं हैं।

संपर्क विवरण

अभिदाताओं सहित सभी हितधारकों की व्यापक पहुंच और उनके लाभ के लिए पीएफआरडीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित एएसपी के संपर्क विवरण प्रदर्शित निम्नानुसार है:

नाम	आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पेनल कोड	एएसपी/13/012021
वैधता	16 मार्च 2021 _ से शाश्वत
वेबसाइट	https://lifeinsurance.adityabirlacapital.com/
संपर्क व्यक्ति	श्री गौरव शाह
ई-मेल	gaurav.shah@adityabirlacapital.com
दूरभाष	022 _ 6188 1005
कॉल सेंटर नं.	1800 270 7000
पता	16वीं मंजिल, वन वर्ल्ड सेंटर टॉवर 1, जुपिटर मिल परिसर, 841 सेनापति बापत मार्ग, एलफिन्सटोन मार्ग, मुंबई-400013

नाम	बजाज एलयांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पेनल कोड	एएसपी/07/022019
वैधता	22 मई 2019 _ से शाश्वत
वेबसाइट	https://www.bajajallianzlife.com/
संपर्क व्यक्ति	श्री अनिल वर्मा
ई-मेल	anil.verma@bajajallianz.co.in
दूरभाष	020 _ 6602 6777
कॉल सेंटर नं.	1800 209 7272
पता	बजाज एलयांज हाउस, एयरपोर्ट रोड, येरवाड़ा, पुणे-411006
नाम	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पेनल कोड	एएसपी/09/042019
वैधता	

वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. पता	01 अगस्त 2019 _ से शाश्वत www.canarahsbclife.com श्री सुमित भार्गव sumit.bhargav@canarahsbclife.in 1800 891 0003 / 1800 103 0003 / 1800 180 0003 139पी, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003
नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल कॉल सेंटर नं. पता	एडलवीस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी /06/012019 22 मई 2019 _ से शाश्वत www.edelweisstokio.in सुश्री प्राची शिरोफ products.support@edelweisstokio.in 1800 212 1212 6वीं मंजिल, टॉवर-3, विंग-बी, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला पश्चिम, मुंबई-400070
नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट / संपर्क व्यक्ति ई-मेल	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/02/032016 18 मार्च 2016 _ से शाश्वत https://www.hdfclife.com/ श्री ओंकार परब onkar.p@hdfclife.com / npsannuity@hdfclife.com
टेलीफोन पता	022 _ 6751 6666 13वीं मंजिल, लोधा एक्सीलस, अपोला मिल्स परिसर, एन.एम. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400011

नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. हेल्प डेस्क नं. पत्राचार पता	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/03/032016 18 मार्च 2016 _ से शाश्वत www.iciciprulife.com आईसीआईसीआई प्रूलाइफ टॉवर्स, 1089 अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025 श्री धर्मेन्द्र गुप्ता dharmendra.gupta@iciciprulife.com 022 - 62955609 (9 AM to 9 PM) 1860 266 7766 यूनिट 1ए, प्रथम तल, सीनर्जी आईटी पार्क, पेंशन और वार्षिक विभाग, अप्पा साहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025
नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. हेल्प डेस्क नं. फैक्स नं. पता	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/08/032019 22 मई 2019 _ से शाश्वत www.indiafirstlife.com श्री चिनमय कल्याणपुर chinmay.kallianpur@indiafirstlife.com 022 6857 0549 1800 209 8700 022 6165 8700 022 6857 0600 12वीं और 13वीं मंजिल, नार्थ (सी) विंग, टॉवर 4, नेस्को आईटी पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063

नाम	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पेनल कोड	एसपी/10/052019
वैधता	09 अगस्त 2019 _ से शाश्वत
वेबसाइट	www.kotaklife.com
पंजीकृत पता	
संपर्क व्यक्ति	8वीं मंजिल, प्लॉट # सी - 12, जी-ब्लॉक, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
ई-मेल	श्री दीपक गुप्ता
दूरभाष	gupta.deepak@kotak.com
कॉल सेंटर नं.	1800 209 8800
पंजीकृत पता	
क्षेत्रीय कार्यालय	7वीं मंजिल, कोटक इनफिनिटी, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, मलाड (पूर्व), मुंबई-400097

नाम	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
पेनल कोड	एसपी/04/032016
वैधता	18 मार्च 2016 _ से शाश्वत
वेबसाइट	www.licindia.in
पंजीकृत पता	
संपर्क व्यक्ति	एलआईसी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑफिस, योगाक्षमा बिल्डिंग, जीवन बीमा मार्ग, पी.ओ. बॉक्स सं. 19953, मुंबई-400021
ई-मेल	श्री भरत कुमार गुप्ता, मि. दीपक कुमार यादव
दूरभाष	licnps@licindia.com
कॉल सेंटर नं.	022-26545011 / 15
पंजीकृत पता	022 _ 6827 6827
	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एलआईसी-डिजिटल बिल्डिंग (6वीं मंजिल), प्लॉट सं. सी-1., 'जी' ब्लॉक, बांद्रा, मुंबई-400051, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)

नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष हेल्प डेस्क नं. पता	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/12/072019 04 नवंबर 2019 _ से शाश्वत www.maxlifeinsurance.com श्री पुष्कर सरन pushkar.saran1@maxlifeinsurance.com 0124 _ 412 1500 1860 120 5577 11वीं और 12वीं मंजिल, डीएलएफ स्कवॉयर, डीएलएफ सिटी, फेस-2, गुरुग्राम-122002
नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. हेल्प डेस्क नं. फैक्स नं. पत्राचार पता	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/14/022021 16 मार्च 2021 _ से शाश्वत www.pnbmetlife.com यूनिट सं. 701, 702 और 703, 7वीं मंजिल, वेस्ट विंग, रहेजा टॉवर्स, 26/27, एम.जी. रोड, बैंगलूरु-560001 श्री कृष्णेन्दु भूनिया kbhunia@pnbmetlife.com 022 _ 6663 0900 1800 425 6969 1800 270 7000 022 _ 4179 0203 यूनिट सं. 3, दूसरी मंजिल, पेनिनसुला टॉवर, लोवर परेल, निकट पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क, मुंबई-400013

नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. फैक्स नं. पत्राचार पता	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/01/032016 18 मार्च 2016 – से शाश्वत https://www.sbilife.co.in/ “नटराज” एम.वी. रोड एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व),-400069 श्री प्रणय रेनीवाल info@sbilife.co.in +91 22 6191 0000 1800 267 9090 +91 22 6191 0517 7वां लेवल (डी विंग) और 8वां लेवल, सीवुड्य ग्रांड सेंट्रल, टॉवर 2, प्लॉट सं. आर-1, सेक्टर-40, सीवुड्स, नवी मुंबई-400706
नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. हेल्प डेस्क नं. पता	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/15/012022 14 नवंबर 2022 _ से शाश्वत www.shriramlife.com श्री बिरेश्वर चटर्जी chatterjee.b@shriramlife.com 1800 103 2671 040 _ 23009400, एक्सटेंशन नं . - 400 प्लॉट सं. 31 और 32, 5वीं और 6वीं मंजिल, रेमकी सेलेनियम, आंध्रा बैंक प्रशिक्षण केंद्र के पास, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ग च्चीबावली, हैदराबाद-500032

नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. पता	स्टार यूनिजन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/05/04 2016 22 अप्रैल 2016 _ से शाश्वत www.sudlife.in श्री अमित फोपे amit.phope@sudlife.in 022 _ 7196 3372 1800 266 8833 11वीं मंजिल, विश्वरूप आईटी पार्क, प्लॉट सं . 34, 35 और 38, सेक्टर 30ए, आईआईपी, वाशी, नवी मुंबई-400703
नाम पेनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष पत्राचार पता	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/11/062019 04 नवंबर 2019 _ से शाश्वत www.tataaia.com 14वीं मंजिल, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 श्री आदिल हुसैन सिद्दीकी adilhusain.siddiqui@tataaia.com / NPS@tataaia.com 9वीं मंजिल, बी विंग, I-थिंक टेक्नो कैम्पस, टीसीएस के पीछे, पोखरन रोड नं. 2, थाणे वेस्ट-400607

विनियम और संशोधन

एएसपी को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित विनियामक ढांचे और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों आदि के अनुसार व्यापक रूप से परिभाषित गतिविधियों को निष्पादित करना आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, वर्तमान विनियमों में संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

मास्टर परिपत्र जारी करना:—

विनियमों की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत के साथ (अनुपालन की लागत को सरल, सहज और कम करने के उद्देश्य से) जारी किए गए परिपत्रों की समीक्षा भी की गई ताकि उन्हें मास्टर सर्कुलर से प्रतिस्थापित किया जा सके। जारी किए गए मास्टर परिपत्र आत्मनिर्भर, प्रासंगिक, अद्यतन, पूर्ण, स्व-व्याख्यात्मक और विषय वस्तु पर संदर्भ का एकल बिंदु हैं।

जारी मास्टर परिपत्रों की सूची निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:—

तालिका सं 3.13 : मास्टर परिपत्र

क्रम सं.	मास्टर परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	पीएफआरडीए/मास्टरसर्कुलर/2024/01/सीआरए-01	12 जनवरी, 2024	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत संचित पेंशन धनराशि की आंशिक निकासी

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अभिदाता के पास वार्षिकी और एएसपी के प्रकार को चुनने का विकल्प होता है। अभिदाता संबंधित एएसपी द्वारा दी जाने वाली उपलब्ध योजनाओं में से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिकी प्रकार/योजना का चयन कर सकता है।

तालिका सं. 3.14 : 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान संसाधित ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध

क्रम सं.	वार्षिकी सेवाप्रदाता / वार्षिकी योजनाएं	मामलों की संख्या	अंतरित राशि (करोड़ रुपये में)
1	आजीवन वार्षिकी	3,943	182
2	मृत्यु होने पर खरीद मूल्य की वापसी सहित आजीवन वार्षिकी	1,09,451	5,402
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर पति-पत्नी को देय 100 प्रतिशत वार्षिकी सहित आजीवन वार्षिकी	5,278	347
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर पति-पत्नी को आजीवन देय 100 प्रतिशत वार्षिकी और वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न	23,329	3,090
5	प्रीमियम/खरीद मूल्य के आंशिक रिटर्न सहित आजीवन वार्षिकी	71	4
6	गंभीर बीमारी के निदान पर प्रीमियम/खरीद मूल्य पर रिटर्न सहित आजीवन वार्षिकी	2,483	123
7	एनपीएस – परिवार आय विकल्प	12,460	862
8	अन्य *	42	2
	कुल	1,57,057	10,012

*वार्षिकी योजना विकल्प “अन्य” में मानक वार्षिकी योजनाओं को छोड़कर एएसपी द्वारा प्रदान की गई वार्षिकी योजनाएं। (आंकड़ा स्रोत: एनएसडीएल- सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज-सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

(ii) पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल है जिसका उपयोग अभिदाता मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है।

क. ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर

पेंशन कैलकुलेटर नियमित मासिक अंशदान के आधार पर परिपक्वता या 60 वर्ष की आयु पर अस्थायी पेंशन और एकमुश्त राशि, वार्षिकी खरीदने के लिए पुनर्निवेशित कॉर्पस का प्रतिशत और निवेश तथा वार्षिकी पर रिटर्न के संबंध में अनुमानित दर को दर्शाता है। यह एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट और 3 केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

पेंशन कैलकुलेटर के लिए लिंक :

https://www.camsnps.com/nps_calculator

<http://www.npstrust.org.in/content/pensioncalculator>

<https://cra-nsdl.com/CRAOnline/aspQuote.html>

<https://nps.kfintech.com/npc/>

तालिका सं. 3.15 : 2023-24 में पीएफआरडीए द्वारा जारी कार्यप्रणालियों का समग्र सारांश

कार्यप्रणाली का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 में संसाधित अनुरोधों की संख्या
स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया *	16,516
कोविड-19 चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक निकासी के मामलों को अनुमति (कुल राशि सहित) **	1,498 (11.30 करोड़ रुपये)
ऑनलाइन ई-एनपीएस निकासी	6,450
आंशिक निकासी (संपूर्ण) ***	42,187
पीओपी (कॉर्पोरेट) से जुड़े एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया	8,688
पीओपी (यूओएस) से जुड़े एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया	20,707

(आंकड़ा स्रोत: एनएसडीएल- सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज-सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

नोट: प्रदान की गई संख्या वित्त वर्ष 23-24 के दौरान जारी प्रासंगिक कार्यप्रणालियों के लिए हैं।

*बिंदु संख्या 1 के लिए, सरकारी कागज रहित संसाधित मामलों पर विचार किया गया है।

**बिंदु संख्या 2 के लिए, ऑनलाइन ई-एनपीएस संख्या में स्व-प्राधिकृत और बैंक पीओपी प्राधिकृत मामले को शामिल किया गया था।

***बिंदु संख्या 4 के लिए, अभिदाता और स्व-प्राधिकृत प्रक्रिया द्वारा शुरू आंशिक निकासी अनुरोध पर विचार किया गया है।

(iii) डिजिटल पहल – पीएफआरडीए में कार्य प्रगति पर है और रोल आउट प्रक्रिया में

1. **संतुलित जीवन चक्र निधि:-** प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र (कॉर्पोरेट और सभी नागरिक) के तहत अभिदाताओं के लिए निवेश विकल्प के रूप में संतुलित जीवन चक्र (बीएलसी) निधि शुरू करने का निर्णय लिया है। बीएलसी निधि का उपयोग अतिरिक्त निवेश के लिए किया जाएगा, जिसमें ऑटो-विकल्प के तहत 35 वर्ष के बजाय इक्विटी टेपरिंग 45 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी।

2. **पीएफआरडीए-ट्रेस (ट्रेकिंग रिपोर्टिंग एनालिटिक्स एंड कम्प्लायंस ई-प्लेटफॉर्म) :-** इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य अनुपालन प्रबंधन ढांचे के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली से बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) सहित व्यापक कार्यप्रवाह प्रबंधन, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, डैशबोर्ड सुरक्षा स्थापित करना है। यह डेटा सबमिशन, डेटा पुनर्प्राप्ति, भंडारण, सत्यापन और विभिन्न डेटा विश्लेषण प्रक्रियाओं के निष्पादन के समय पर अनुपालन का प्रबंधन करने के लिए एप्लिकेशन है। इसके अतिरिक्त, परियोजना का उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों और विनियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार हितधारकों/मध्यवर्तियों की बातचीत को सुव्यवस्थित और स्वचालित करना है।

3. **पीएफआरडीए इंटरनेट पोर्टल (पिन्ट्रा) –** एचआरएमएस के लिए मोबाइल ऐप के साथ आंतरिक डिजिटलीकरण (एचआरएमएस और वित्त):- इस परियोजना का उद्देश्य एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रबंधन समाधान लागू कर मानव संसाधन, प्रशासन आईटी, वित्त एवं लेखा और विधि सहित प्राधिकरण के भीतर विभिन्न विभागों के आंतरिक संचालन को सुव्यवस्थित करना है। यह समाधान मौजूदा पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुरूप होगा। परिकल्पित परिणाम में इस स्वचालित प्रणाली में दस्तावेज़ प्रवाह, डेटा प्रविष्टि, प्रोसेसिंग तथा भंडारण जैसे अधिकांश मैनुअल कार्यों का स्थानांतरण शामिल है। इसके अपेक्षित लाभों में स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से डेटा और सूचना की बेहतर प्रोसेसिंग, विश्लेषण, रिपोर्टिंग, पुनर्प्राप्ति और प्रबंधन शामिल हैं।

3.4 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई गतिविधियां

1. **क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान:** अभिदाताओं के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड-आधारित यूपीआई भुगतान के एक अन्य मोड शामिल किया गया है। अपने खाते में लॉगिन करने के बाद, अभिदाता उपलब्ध अद्वितीय क्यूआर कोड (डी-परमिट खाते के लिए) स्कैन कर सकते हैं और किसी

भी यूपीआई ऐप के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकते हैं। भुगतान मोड/भुगतान गेटवे चरणों का चयन करने के लिए किसी अतिरिक्त कदम की आवश्यकता नहीं होगी और अभिदाता उसी दिन एनएवी का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अभिदाता अपना कोड ऑफ़लाइन भी सेव कर सकते हैं और किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से इसके उपयोग से भुगतान कर सकते हैं। यह अभिदाताओं के लिए उपलब्ध भुगतान के मौजूदा तरीकों के अतिरिक्त होगा।

2. **एस एल डब्ल्यू-प्रान में निवेश करके वृद्धावस्था आय बढ़ाने के उद्देश्य से व्यवस्थित एकमुश्त निकासी:-** अभिदाताओं के हित में और एकमुश्त निकासी की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, अभिदाता की पसंद के अनुसार 75 वर्ष तक की अवधि के लिए मासिक, त्रैमासिक और छमाही या वार्षिक आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एकमुश्त अनुरोध के आधार पर प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है जिसे ऑनलाइन/ऑफ़लाइन किया जाता है। एसएलडब्ल्यू वृद्धावस्था आय लाभों को अनुकूलित करने और व्यवस्थित एकमुश्त निकासी के माध्यम से वार्षिक आय बढ़ाने में मदद करता है।

3. **अनिवार्य 2 घटक आधार प्रमाणीकरण-सी आर ए प्रणाली की पहुंच के लिए :-** वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों के तहत नोडल कार्यालय अपने स्वायत्त निकायों सहित, एनपीएस लेनदेन के लिए सीआरए की पहुंच हेतु पासवर्ड-आधारित लॉगिन का उपयोग करते हैं। सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत करने और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए, सीआरए प्रणाली में लॉगिन करने के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया से एकीकृत किया जाएगा, जिससे सीआरए प्रणाली के लिए द्विस्तरीय प्रमाणीकरण सक्षम होगा। प्रमाणीकरण के लाभ:

सुरक्षा में वृद्धि: द्विस्तरीय दृष्टिकोण सीआरए प्रणाली की अनधिकृत पहुंच के जोखिम को काफी कम कर देता है। संवर्धित सुरक्षा: यह अतिरिक्त परत एनपीएस लेनदेन की रक्षा करती है और अभिदाता तथा हितधारकों दोनों के हितों की रक्षा करती है।

4. **प्रान में लौटाई गई और असफल धनराशि का पुनःनिवेश –** न्यासी बैंक में जमा लौटाई गई राशि का दावा करने के लिए माई विदद्वावल मॉड्यूल (एमडब्ल्यूएम) का निर्माण:- एनपीएस के अंतर्गत, निकासी के समय अभिदाता नोडल अधिकारी/पीओपी/एपीवाई एसपी / एनपीएसटी / सीआरए को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। निकासी पर

आय को प्रेषित करते समय यह निम्नलिखित कारण सहित अभिदाता के संबद्ध बचत खाते (एसए) में राशि जमा की जाती है, एसीटीसी बंद है, एसीटीसी मौजूद नहीं है, अमान्य आईएफएससी कोड, खाता अवरुद्ध और बैंक विलय। इससे इतर होने पर लेनदेन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तथा प्रेषण को ट्रस्टी बैंक द्वारा बनाए गए सीआरए (डब्ल्यूएसी) के निकासी खाते में गैर-निष्पादित/विफल प्रेषण के रूप में वापस कर दिया जाता है। असफल लेनदेन के 1 महीने के बाद उसी प्रान में असफल लेनदेन की राशि को निवेश की उसी विकल्प में पुनः निवेश करने का निर्णय लिया गया है। इस 1 महीने की अवधि के दौरान सीआरए अभिदाताओं और संबंधित मध्यवर्तियों को वापस की गई राशि के बारे में सूचित करने के अतिरिक्त, अभिदाता को पुनर्निवेश पर सीआरए द्वारा सूचित किया जाता है।

5. पेनी ड्रॉप के माध्यम से यूपी आई आधारित तत्काल बैंक खाता सत्यापन — पैन और वीपीए (यूपीआई) का उपयोग करके बैंक खाते का प्रमाणीकरण — अभिदाताओं के लाभ के लिए नई सुविधा की शुरुआत और समुचित सावधानी में वृद्धि : पैन और वीपीए (यूपीआई) का उपयोग करके प्रान खाते के प्रमाणीकरण की यह प्रक्रिया एनपीसीआई नेटवर्क पर कार्य करती है और बैंक खातों से पैन को जोड़ती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अधिकांश बैंक खातों में पैन और आधार अनिवार्य विवरण होने के कारण यह प्रक्रिया अन्य मौजूदा प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक तार्किक है।

6. सीडीएसएल और एनएसडीएल द्वारा जारी सीएसएस के साथ एनपीएस एसओटी का एकीकरण: - समेकित खाता विवरण (सीएसएस) प्रतिभूति बाजार में बाजार मूल्यों के लिए अद्यतन चिह्न के साथ किसी के व्यक्तिगत निवेश का एक समेकित विवरण है जिसे सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा नियुक्त डिपॉजिटरी है। यह निवेशक के डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में सभी निवेशों का एकल समेकित दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारतीय वित्तीय बाजारों को ठोस करने के लिए परिकल्पित कदमों में से एक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की सभी वित्तीय संपत्तियों के लिए अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए, पीएफआरडीए ने अब एनपीएस स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन (एसओटी) को सीएसएस में शामिल किया है। एनपीएस अभिदाताओं को यह सुविधा केवल सहमति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

7. नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एनपीएस का डिजिलॉकर के साथ एकीकरण — डिजिलॉकर के माध्यम से एसओटी और प्रान कार्ड देखें: — डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी नागरिक केंद्रित

सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की राय लेने के लिए पीएफआरडीए ने सीआरए के एनपीएस खाता खोलने को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया है ताकि ई-प्रान कार्ड अभिदाताओं को उनके डिजिलॉकर खातों में अन्य दस्तावेजों सहित उपलब्ध हो सके। आधार का उपयोग करके एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाकर डिजिलॉकर निर्बाध डिजिटल यात्रा को सक्षम बनाता है। डिजिलॉकर एकीकरण से यूआईडीएआई की साइट से एक्सएमएल फ़ाइल को देखने और डाउनलोड करने तथा उसके बाद उसे ई-एनपीएस पृष्ठ पर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। डिजिलॉकर में संग्रहीत दस्तावेजों के उपयोग द्वारा इसे सरल प्रक्रिया से बदल दिया जाता है।

8. निकासी के दौरान एकमुश्त राशि और वार्षिकी की समांतर प्रोसेसिंग — निर्बाध निकासी— पीएफआरडीए ने आईआरडीएआई के समन्वय में एनपीएस निकासी प्रपत्र को वार्षिकी प्रस्ताव के रूप में मानते हुए वार्षिकी जारी करने की प्रक्रिया सरल बना दी है।

9. सहमति आधारित सूचना साझा करने के लिए एए फ्रेमवर्क के साथ एनपीएस एकीकरण: — अकाउंट एग्रीगेटर (एए) प्रौद्योगिकी संरचना एनपीएस अभिदाताओं को केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग अभिकरणों (सीआरए) के पास उपलब्ध एनपीएस की जानकारी के लिए निर्बाध और सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने का अधिकार देता है और अभिदाताओं को लाभान्वित करने के लिए हितधारकों के बीच गुप्त रूप में इसकी पोर्टेबिलिटी सक्षम बनाता है। एग्रीगेटर्स (एए) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयाँ हैं जिनके पास गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी)— एए लाइसेंस होता है। वे अभिदाता की स्पष्ट सहमति के आधार पर वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) को अभिदाता से संबंधित एफआईपी से वित्तीय जानकारी देने के लिए सेतु की तरह काम करते हैं। हालांकि, एए के माध्यम से साझा की गई अभिदाता की वित्तीय जानकारी न तो संपत्ति होगी और न ही उनके द्वारा संग्रहीत की जाएगी। सभी 3 सीआरए, एनपीएस के तहत शेष राशि के लिए वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय हैं।

10. निपटान समय में टी + 4 दिन से टी+2 दिन की कमी और निकासी की स्वीकृति:- निकासी के समय अभिदाताओं के निकासी अनुरोधों को टी+4 कार्य निपटान दिनों में निष्पादित किया जाता था (टी नोडल कार्यालय/पीओपी/ अभिदाता द्वारा निकासी अनुरोध को प्राधिकृत करने का दिन है), अब समयसीमा को टी+2 में घटा दिया गया है।

11. आधार पेपररहित मोड के माध्यम से ई-एनपीएस

सरकार — कम टीएटी और तत्काल एनपीएस वाले सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन खाता खोलने और इसे तत्काल सक्रिय करने की प्रक्रिया में आसानी हुई है जिससे सरकारी क्षेत्र के नोडल अधिकारियों का कार्यभार कम हो गया है।

12. **वार्षिकी गणक : अभिदाताओं को सही एएसपी का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए पारदर्शिता** — एएसपी का चयन करने के लिए अभिदाताओं के लाभ हेतु वार्षिकी दरों के प्रदर्शन के लिए पारदर्शी वार्षिकी कैलकुलेटर उनकी जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। वार्षिकी चार्ट विभिन्न प्रकार की वार्षिकी योजनाओं के तहत पीएफआरडीए में सूचीबद्ध 15 एएसपी की दरें निर्धारित करता है।

13. **भारत बिल भुगतान प्रणाली द्वारा स्वैच्छिक अंशदान का स्वचालन** — अंशदान के आवर्ती संग्रह को निर्बाध रूप से सक्षम करना: पीएफआरडीए ने एनपीसीआई के समन्वय में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से एनपीएस में अंशदान की अनुमति दी है। यह विभिन्न यूपीआई ऐप के माध्यम से एनपीएस अंशदान को और भी आसान बनाने में मदद करेगा।

14. **एनपीएस समृद्धि योजनाकार (एनपीपी) —** उपकरण अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति के लिए अधिक बचत करने और सेवानिवृत्ति आय में पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है:— एनपीएस समृद्धि योजनाकार (एनपीपी) की अवधारणा अभिदाताओं के अंशदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह एनपीएस को कर बचत साधन के अपेक्षा वृद्धावस्था आय नियोजन साधन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए अभिदाताओं के सीआरए लॉगिन में बनाया जाने वाला एक अनुकूलित मॉड्यूल है। एनपीपी के माध्यम से अभिदाता एनपीएस के तहत अपने मौजूदा अंशदान के आधार पर वार्षिकी विकल्पों के अनुसार अनुमानित सेवानिवृत्ति आय (वार्षिकी) का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। एनपीपी मुद्रास्फीति और जीवनयापन की अनुमानित लागत को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति तक की शेष अवधि में त्वरित अंशदान योजना के माध्यम से उच्च सेवानिवृत्ति आय के लिए उपकरण प्रदान करता है। एनपीएस समृद्धि योजनाकार भविष्यवादी है और अपने पिछले अंशदान, भविष्य में अपेक्षित आय वृद्धि और जीवनयापन की लागत के आधार पर व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करता है। इस प्रकार यह कैलकुलेटर अर्थात् गणक अभिदाता को उचित अनुमानों के साथ प्रदान कर सकता है जो पर्याप्त और स्थायी वृद्धावस्था आय प्राप्त करने के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति योजना में सहायता करते हैं।

3.5 अभिदाताओं हेतु शिकायत निवारण तंत्र तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु संचालित

गतिविधियाँ

1. **परिचय:** पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार, प्रत्येक मध्यस्थ को विनियमों के तहत निर्धारित शिकायत निवारण नीति का पालन करना होगा। शिकायत शब्द को विनियमन 2 (छ) के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है: शिकायत या शंका में कोई भी सम्प्रेषण शामिल है जो अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित मध्यस्थ अथवा संस्था अथवा व्यक्ति के आचरण या किसी चूक या कृताकृत्य अथवा सेवा की कमी के संबंध में असंतोष व्यक्त करता है जिसकी उपचारात्मक कार्यवाई की मांग की प्रकृति में निम्नलिखित शामिल नहीं है:

- i. ऐसी शिकायतें जो अधूरी हैं या विशिष्ट प्रकृति की नहीं हैं,
- ii. सुझाव देने की प्रकृति में संचार
- iii. मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण के लिए संचार,
- iv. पीएफआरडीए की शक्तियों और कार्यक्षेत्र से बाहर शिकायतें अथवा जो पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों एवं विनियमों से परे हैं।
- v. मध्यवर्तियों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद।
- vi. अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों को छोड़कर ऐसी शिकायतें जो उप-न्यायिक हैं; ऐसे मामले जो अदालत या अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा विचाराधीन हैं।

2. शिकायत निवारण से संबंधित प्रक्रिया प्रवाह

(i) अभिदाता शिकायत का निवारण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाता है। शिकायतों के सुचारु और समय पर निपटान हेतु अभिदाताओं से निम्नलिखित वृद्धि मैट्रिक्स का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:

स्तर 1: पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, अभिदाता केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से समाधान हेतु अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभिदाता की शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाई हेतु शिकायतों को संबंधित मध्यस्थ/कार्यालय को भेजा जाएगा। संबंधित संस्था द्वारा प्रदान की गई समाधान टिप्पणियों से अभिदाता को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा जिसका ऑनलाइन अवलोकन किया जा सकता है।

शिकायत करने के लिए, अभिदाता संबंधित सीआरए पर क्लिक कर सकता है जिसके तहत उसका प्रान सृजित होता है। शिकायत दर्ज करने और समाधान की स्थिति देखने के लिए विवरण और प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं:

तालिका सं. 3.16 : शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाएं

प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) 1. शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस: क) इंटरनेट व्यक्तिगत पहचान संख्या (आईपीआईएन) के उपयोग से केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में शिकायत दर्ज करना। (https://cransdl.com/CRA/). सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को शिकायत टैब के तहत लॉग शिकायत अनुरोध पर क्लिक करना होगा। आई-पिन का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन करें। सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को पूछताछ/शिकायत विकल्प पर क्लिक करना होगा। ख) अभिदाता निगमित वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in/Log-yourgrievance.php) पर अपनी शिकायत/पूछताछ विकल्प लॉग के अंतर्गत दर्ज करा सकता है।	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 1. शिकायत/शंका दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस: क) अभिदाता अपनी वेबसाइट https://enps.kfintech.com/login/login/ पर जाकर आई-पिन के उपयोग से केफिनटेक सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब आधारित इंटरफेस के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। इकाई को वेब-आधारित प्रारूप में आवश्यकतानुसार आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरांत संदर्भ के उद्देश्य से स्क्रीन पर एक टोकन संख्या प्रदर्शित की जाएगी। ख) अभिदाता संबंधित विवरण प्रदान करके सीआरए प्रणाली में लॉग इन किए बिना भी शिकायत दर्ज कर सकता है। https://enps.kfintech.com/registergrievanceenquiry/registergrievanceenquiry/	कंप्यूटर एज मैनेजमेंट लिमिटेड 1. शिकायत/शंका दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफेस: क) अभिदाता वेबसाइट https://www.camsnp.com/subscribers/queries/ पर जाकर सीएएमएस सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब आधारित इंटरफेस के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। ख) अभिदाता अपने ईएनपीएस खाते में लॉग इन करें और शीर्ष मेनू में शिकायत टैब पर जाकर नई शिकायत के तहत 'क्वेरीज़' चुनें। उपयुक्त शिकायत श्रेणी का चयन करें और बाद के चरणों को पूरा करें। भावी संदर्भ के लिए पोर्टल द्वारा सृजित टिकट संख्या दर्ज करें। जवाबी ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
2. शिकायत/शंका दर्ज करने की अन्य विधियां: क) कॉल सेंटर/चर्चात्मक व्हाइस प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआर) टोलफ्री नंबर 1800 222 080 पर कॉल करके और टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या के साथ खुद को प्रमाणित करके ऐसा किया जा सकता है। (टीपीआईएन)	2. शिकायत/शंका दर्ज करने की अन्य विधियां: क) कॉल सेंटर/चर्चात्मक व्हाइस प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआर) अभिदाता हमारे टोलफ्री नंबर 1800 208 1516 पर अपने कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। अभिदाता टीपीआईएन का उपयोग करके प्रमाणीकरण के बाद शिकायत दर्ज करा सकता है। कॉल सेंटर कार्यकारी द्वारा शिकायत दर्ज की जाएगी और संदर्भ के लिए यूनिट को एक टोकन नंबर दिया जाएगा।	2. शिकायत/शंका दर्ज करने की अन्य विधियां: क) कॉल सेंटर/चर्चात्मक व्हाइस प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआर) टोलफ्री नंबर 1800 572 6557 पर कॉल करके टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या (टीपीआईएन) सहित स्वयं को प्रमाणित कर दर्ज की जा सकती है। यदि किसी शिकायत या शंका (धारा 2 में यथा परिभाषित के अनुसार) का तुरंत निवारण नहीं किया जाता है, तो इसे सीजीएमएस में दर्ज किया जाता है। यदि किसी शंका अथवा शिकायत (धारा 2 में परिभाषित) का तुरंत

ख) भौतिक रूप : निर्दिष्ट प्रपत्र (प्रपत्र जी1) में लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है अथवा पत्र के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजकर की जा सकती है: प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) पहली मंजिल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल , मुम्बई – 400 013	ख) भौतिक रूप : कोई भी अभिदाता सीआरए की केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ को भौतिक रूप में विवरण प्रदान करते हुए शिकायत दर्ज कर सकता है। अभिदाता को शिकायत प्रपत्र (प्रपत्र जी1) सीआरए में जमा करना होता है। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर, सीआरए यूजर उसे डिजिटाइज़ कर सीआरए प्रणाली में अनुरोध दर्ज करेगा जिसकी सूचना एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अभिदाता को दी जाएगी। इसे निम्नलिखित पते पर भी भेजा जा सकता है: केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमि., सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31 और 32, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032	समाधान नहीं किया जाता है, तो इसे ग्राहक सेवा अधिकारी सीजीएमएस में रिकॉर्ड किया जाता है और अभिदाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक विशेष शिकायत नंबर उपलब्ध कराया जाता है। ख) भौतिक रूप : निर्दिष्ट प्रपत्र (प्रपत्र जी1) में लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है अथवा पत्र के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजकर की जा सकती है: शिकायत निवारण अधिकारी, केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, सीआरए, 159, रायला टॉवर्स, अन्ना सलाई, चैन्नई-600002
3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें? अभिदाता सीआरए की वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php) पर अपनी 'शिकायत/पूछताछ विकल्प) की स्थिति' की जांच टेब के अंतर्गत अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से अपने टोकन नंबर का उल्लेख करते हुए कर सकते हैं।	3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें? अभिदाता सीआरए की वेबसाइट (https://enps.kfintech.com/login/login/) से अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से अपने टोकन नंबर का उल्लेख करते हुए शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं।	3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें? अभिदाता अपनी शिकायत की स्थिति की जांच 'शिकायत' टेब के अंतर्गत 'शिकायत की स्थिति' पर क्लिक करके अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से अपने टोकन नंबर का उल्लेख करते हुए कर सकते हैं।

स्तर 2: यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है अथवा शिकायत दर्ज करने के तीस दिन तक मध्यस्थ द्वारा समाधान नहीं किया जाए, तो वह निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) को शिकायत भेज सकता है।

1. वेबसाइट: www.npstrust.org.in / <https://www.npstrust.org.in/content/contact-us>

पत्र: अभिदाता एनपीएस ट्रस्ट को निम्नलिखित पते पर पत्र भेजकर शिकायत कर सकते हैं:

शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, टॉवर बी, बी-302,

तीसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

फोन: 91+11-35655222

तालिका सं. 3.17 : सीआरए के विरुद्ध प्रश्न/शिकायत (रेफरल)

के विरुद्ध शिकायत	वित्त वर्ष 2023-24 में मास के लिए रेफरल की स्थिति			
	मार्च 2023 के अंत में लंबित	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त	वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान बंद/सुलझाई गई	मार्च 2024 के अंत तक लंबित
सीआरए	548	1,19,311	1,18,354	1,505

(आंकड़ा का स्रोत : प्रोटियन सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

तालिका सं. 3.18 : सीआरए के विरुद्ध प्रश्न/शिकायत (रेफरल) की श्रेणीवार स्थिति

रेफरल श्रेणी	मार्च 2023 के अंत तक लंबित मामले	वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान प्राप्त मामले	वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान निपटाए गए मामले	मार्च 2024 के अंत तक निपटान हेतु लंबित मामले
सामान्य प्रश्न	136	27,540	27,322	354
प्रान कार्ड से संबंधित	25	8,911	8,833	103
एसओटी से संबंधित	20	5,603	5,567	56
टियर 2 से संबंधित	16	3,751	3,751	16
अभिदाता विवरण का गलत संसाधन	21	4,707	4,686	42
आई-पिन, टी-पिन से संबंधित	8	3,074	3,049	33
निकासी से संबंधित	33	5,404	5,347	90

ईमेल/एसएमएस अलर्ट नहीं मिलने से संबंधित	6	688	693	1
निकासी संसाधित नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं है/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	6	2,021	1,998	29
आंशिक निकासी संसाधित नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं है/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	8	1,692	1,685	15
अन्य शिकायतें	241	50,260	49,793	708
मृत्यु पर निकासी संसाधित नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं की गई/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	1	0	1	0
प्रान कार्ड जारी करने में विलंब	2	2	4	0
समय पूर्व निकासी शुरू नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं की गई/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	2	189	188	3
अंशदान खाते में राशि परिलक्षित नहीं हो रही है।	23	5,469	5,437	55
कुल	548	1,19,311	1,18,354	1,505

(आंकड़ा का स्रोत : प्रोटियन सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

तालिका सं. 3.19: 31 मार्च, 2024 को समाप्त माह के लिए लंबित रेफरल की अवधि

क्षेत्र	7 दिन से कम	8-14 दिन	15-30 दिन	31-60 दिन	60 दिन से अधिक	कुल
केंद्रीय सरकार	208	7	0	0	0	115
राज्य सरकार	159	5	1	0	0	165
कॉर्पोरेट	108	3	4	0	0	215
असंगठित क्षेत्र	854	8	2	1	0	865
एनपीएस लाइट	17	0	0	0	0	17
एपीवाई	127	1	0	0	0	128
कुल	1473	24	7	1	0	1505

(आंकड़ों का स्रोत: प्रोटियन सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

स्तर 3: यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या स्तर 2 पर 21 दिनों में कोई जवाब नहीं मिला है, तो पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त लोकपाल से अभिदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हुए संपर्क किया जा सकता है। पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार विनियमों के तहत लोकपाल को निम्नानुसार अपील दायर की जा सकती है:—

(क) अपील ऐसे शिकायतकर्ता द्वारा अपील की जा सकती है, जिसकी शिकायत एनपीएस ट्रस्ट को शिकायत भेजने के बीस दिनों के भीतर हल नहीं की गई है।

(ख) शिकायतकर्ता द्वारा जहाँ एनपीएस ट्रस्ट और किसी अन्य मध्यस्थ के खिलाफ सीधे शिकायत की गई है और वह इक्कीस दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनसुलझी रहती है। लोकपाल को अपील राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की प्रतिक्रिया प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अथवा यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, तो अभ्यावेदन या शिकायत दर्ज करने की तारीख से इक्कीस दिनों की समाप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर की जानी चाहिए। यह अपील शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (कानूनी व्यवसायी नहीं होने के नाते) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र में, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है और लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और दस्तावेजों द्वारा समर्थित होगी, यदि कोई हो।

वर्तमान में पीएफआरडीए द्वारा केवल एक लोकपाल नियुक्त किया गया है। विवरण निम्नलिखित है:—

श्री नरेंद्र कुमार भोला

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई.500, टॉवर ई, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

ईमेल आईडी: ombudsman@pfrda.org.in

लैंडलाइन नं. : 011 . 40717900 Extn.-188

स्तर 4 :— यदि अभिदाता लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो अभिदाता आदेश के खिलाफ पीएफआरडीए के नामित सदस्य को निम्नलिखित पते पर अपील दायर कर सकता है:—

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई.500, टॉवर ई, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

स्तर 5 :— प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता के पास पीएफआरडीए के नामित सदस्य से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.5.1 वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या

तालिका सं. 3.20 : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या

क्रम सं.	क्षेत्र *				
	सीजी/सीएबी	एसजी/एसएबी	यूओएस.	एनपीएस लाइट	कुल
प्राप्त शिकायतों की संख्या	3	3	5	-	11
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2	2	5		9
लंबित शिकायतों की संख्या	1	1	-	-	2

नोट: * अन्य क्षेत्रों के लिए स्वावलम्बन और एपीवाईए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोई अपील प्राप्त नहीं हुई थी।

3.5.2 वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में राज्यवार प्राप्त शिकायतें

तालिका सं. 3.21: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त राज्यवार शिकायतें

क्रम सं.	राज्य का नाम	राज्यवार शिकायतों की संख्या
1.	हरियाणा	2
2.	कर्नाटक	1
3.	केरल	2
4.	महाराष्ट्र	1
5.	पंजाब	1
6.	राजस्थान	1
7.	दिल्ली	3

3.5.3 : लोक शिकायत निस्तारण

शिकायत समाधान की प्रक्रिया:

लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएम) के तहत पीएफआरडीए को सौंपी गई शिकायतों के समाधान के लिए पर्यवेक्षण विभाग-पीजीपी (सीपीजीआरएएम) द्वारा निगरानी की जाती है। अन्य सरकारी विभागों/मंत्रालयों (जैसे डीईए, पीएमओ, डीओपी एंड पीडब्ल्यू, डीएआरपीजी आदि) से प्राप्त शिकायतों को केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के तहत समाधान के लिए संबंधित मध्यवर्तियों को भेजने के लिए सीआरए को भेज दिया जाता है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीजीएमएस, पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के समन्वय से, विकसित एक मंच है (अभिदाताओं

की शिकायतों के निवारण के लिए नियमों के तहत एक तंत्र स्थापित करने के संबंध में धारा 14 की उप-धारा (2) (च) का संदर्भ लिया जा सकता है। इसके अलावा, समाधान के बाद, शिकायतों को समाधान के रूप में चिह्नित किया जाता है और सीपीजीआरएएम पोर्टल में समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि, यदि प्रदान किया गया समाधान प्रशासनिक निकाय (डीएफएस) को संतोषजनक नहीं प्रतीत होता है तो शिकायतकर्ता शिकायत को आगे बढ़ाने का अधिकार रखता है। ऐसे मामलों में पीएफआरडीए द्वारा दिए गए समाधान के आधार पर डीएफएस के पास शिकायतों को समाप्त कर दिया जाता है।

सीपीजीआरएएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका सं. 3.22 : डीएफएस में पेंशन सुधार अनुभाग के माध्यम से शिकायत

स्रोतवार शिकायत:

शिकायत का स्रोत	आगे ले जाई गई	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्त	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	अंतः शेष	जिनका मूल्यांकन किया जाना है	हमारे कार्यालय में	अधीनस्थों के पास
डीएआरपीजी	0	24	24	22	2	0	0	0
लोकल/इंटरनेट	10	448	458	435	23	9	0	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	3	3	3	0	0	0	0
पेंशन	0	33	33	32	1	1	0	0
पीएमओ	1	79	80	78	2	2	0	0
कुल	11	587	598	570	28	12	0	0

श्रेणीवार निगरानी

निगरानी की श्रेणी	आगे ले जाई गई	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्त	कुल निपटाई गई	कुल लंबित
कृषि	0	0	0	0	0
भ्रष्टाचार/कदाचार के आरोप	0	4	4	4	0
कोविड-19 संबंधित	0	20	20	20	0
शिक्षा	0	0	0	0	0
कर्मचारी संबंधित	2	85	87	84	3
वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0
वित्तीय सेवाएं	0	17	17	17	0
उत्पीड़न/अत्याचार	0	0	0	0	0
योजनाओं का कार्यान्वयन	6	309	315	314	1
श्रमिक मुद्दे	0	2	2	2	0
केंद्रीय सरकार की अन्य शिकायतें	3	124	127	103	24
पुलिस	0	0	0	0	0
सेवा/जनसुविधाओं की गुणवत्ता	0	6	6	6	0
राज्य सरकार संबंधी	0	1	1	1	0
सुझाव	0	19	19	19	0
कुल	11	587	598	570	28

3.23 : डीएफएस की बैंकिंग प्रचालन शाखा-3 के माध्यम से की गई शिकायतें

स्रोतवार शिकायत:

शिकायत का स्रोत	आगे ले जाई गई	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्त	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	अंतः शेष	जिनका मूल्यांकन किया जाना है	हमारे कार्यालय में	अधीनस्थों के पास
डीपीजी	0	1	1	1	0	0	0	0
डीएआरपीजी	0	4	4	4	0	0	0	0
स्थानीय/इंटरनेट	0	37	37	37	0	0	0	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	1	1	1	0	0	0	0
पेंशन	0	4	4	4	0	0	0	0
पीएमओ	1	8	9	9	0	0	0	0
कुल	1	55	56	56	0	0	0	0

श्रेणीवार निगरानी

निगरानी की श्रेणी	आगे ले जाई गई	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्त	कुल निपटाई गई	कुल लंबित
कृषि	0	0	0	0	0
भ्रष्टाचार/कदाचार के आरोप	0	1	1	1	0
कोविड-19 से संबंधित	0	0	0	0	0
शिक्षा	0	0	0	0	0
कर्मचारी संबंधित	0	8	8	8	0
वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0
वित्तीय सेवाएं	0	26	26	26	0
उत्पीड़न/अत्याचार	0	0	0	0	0
योजनाओं का कार्यान्वयन	0	1	1	1	0
श्रमिक मुद्दे	0	0	0	0	0
भूमि संबंधी समस्याएं	0	0	0	0	0
केंद्र सरकार से संबंधित अन्य	1	16	17	17	0
पुलिस	0	0	0	0	0
सेवा /जनसुविधाओं की गुणवत्ता	0	2	2	2	0
रेलवे	0	0	0	0	0
राज्य सरकार संबंधी	0	1	1	1	0
सुझाव	0	0	0	0	0
कुल	1	55	56	56	0

निपटाए गए मामलों का सकल योग 626 (570+56)

31 मार्च, 2024 को सीजीएमएस में वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका सं. 3.24 : 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक सीजीएमएस में लंबित, प्राप्त और समाप्त शिकायतें

क्रम सं.	क्षेत्र	31 मार्च 2023 तक लंबित	31 मार्च 2023 तक निपटाई गई	31 मार्च 2024 तक निपटाई गई	31 मार्च 2024 तक लंबित
1	एनपीएस रेगुलर #	2,552	1,77,433	1,75,428	4,557
2	एनपीएस लाइट	61	1,960	1,934	87
3	एपीवाई	481	72,762	71,411	1,832
	कुल	3,094	2,52,155	2,48,773	6,476

स्रोत : सीआरए

नोट: #एनपीएस रेगुलर में सीजी/एसजी/एसएबी/सीएबी/कॉर्पोरेट और सभी नागरिक क्षेत्र शामिल हैं।

तालिका सं. 3.25 : 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान सीजीएमएस में विभिन्न क्षेत्रों में लंबित, प्राप्त और बंद शिकायतें

क्रम सं.	के विरुद्ध रेफरल	31 मार्च 2023 तक लंबित	31 मार्च 2024 तक प्राप्त	31 मार्च 2024 तक निपटान	31 मार्च 2024 तक लंबित
1	केंद्र सरकार	302	5,298	5,076	524
2	राज्य सरकार	917	7,266	6,991	1,192
3	पीओपी	531	36,810	36,578	763
4	कॉरपोरेट	2	151	145	8
5	ट्रस्टी बैंक	40	69	69	40
6	एनपीएस लाइट	52	751	736	67
7	एपीवाई (एपीवाई-एसपी)	457	61,749	60,571	1,635
8	ईएनपीएस	240	23,922	23,645	517
9	सीआरए	535	1,14,700	1,13,733	1,502
10	एनपीएस ट्रस्ट	18	1,439	1,229	228
	कुल	3,094	2,52,155	2,48,773	6,476

स्रोत : सीआरए

प्राप्त प्रमुख शिकायतें लेन-देन विवरण, अंशदान राशि को खाते में प्रदर्शित न किए जाने, प्रान कार्ड, अभिदाता विवरणों की गलत प्रक्रिया, अंशदान राशि अपलोड करने में विलंब आदि से संबंधित हैं। शिकायतें अभिदाता द्वारा सीजीएमएस में दर्ज की जाती हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित मध्यवर्तियों को भेजी जाती हैं। इस प्रकार, यह संबंधित मध्यवर्ती इकाईयों पर निर्भर करता है कि वे सीजीएमएस में उनके खिलाफ उठाई गई शिकायतों को सुलझाएं और समाप्त करें। सीजीएमएस में शिकायतों को हल करने और बंद करने के लिए संबंधित मध्यवर्ती को आवधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

3.6 सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए प्रमाणन प्रोग्राम

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके बाद के संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस स्थापत्यके तहत 15 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन मंच उपलब्ध है जहां आवेदक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

तालिका सं. 3.26 : सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन

एनआईएसएम शृंखला-17 सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन

मास	प्राप्त	प्रवेश	उत्तीर्ण
अप्रैल-जून 2023	98	93	65
जुलाई-सितंबर 2023	113	74	56
अक्टूबर-दिसंबर 2023	119	118	85
जनवरी-मार्च 2024	127	127	93
कुल	457	412	299

3.7 प्राधिकरण तथा मध्यवर्तियों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसन्धान और परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है

जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति बचत और निवेश, अंतर्निहित अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा जारी विभिन्न वित्तीय उत्पादों/योजनाओं, इन पर सृजित आय, अभिदाताओं को प्रदान किए गए प्रकटीकरण और सुरक्षा आदि के आधार पर व्यापक डेटा संग्रह व संकलन विभिन्न योजनाओं के तहत पीएफआरडीए की वर्तमान गतिविधियाँ हैं।

3.8 पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर आम जनता को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण के विवरण

3.8.1 : पेंशन से संबंधित वित्तीय साक्षरता

पीएफआरडीए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उपसमिति, कार्य समूहों और विभिन्न अंतर-विनियामक मंचों का सदस्य है जैसे वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर अंतर विनियामक तकनीकी समूह और तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) वित्तीय समूहों की निगरानी के लिए अंतर विनियामक मंच (आईआरएफ-एफसी)। पीएफआरडीए इन समितियों/समूहों/फोरम के उद्देश्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में योगदान देता है।

3.8.2 सेवानिवृत्ति नियोजक योजना

हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इनमें से कई लोगों के पास अपने बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए धन का कोई स्थायी और निरंतर

स्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त, देखा गया है कि पेंशन सेवानिवृत्ति योजना और सेवानिवृत्ति के बाद के व्यापक स्तर पर ऐसी जनसंख्या में जीवन के लिए बचत की आदत के बारे में कार्यात्मक जागरूकता बहुत कम है।

इस मुद्दे का समाधान करने के लिए पीएफआरडीए ने भारत के नागरिकों के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति योजना और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचत करने की आदत के बारे में जानकारी फैलाने के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में सेवानिवृत्ति योजनाकार योजना शुरू की है। सेवानिवृत्ति योजनाकार योजना के तहत, हमारे पास निम्नलिखित हैं :

सेवानिवृत्ति योजनाकार (आरपी) : इस योजना के तहत ऐसे आवेदकों को सूचीबद्ध कर सेवानिवृत्ति जागरूकता तथा शिक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अभिकरण: सेवानिवृत्ति योजनाकार के चयन में प्राधिकरण की सहायता करने, उनके प्रशिक्षण और सभी परिचालन मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अभिकरण, जिसमें सेवानिवृत्ति योजनाकार (आरपी) द्वारा प्रस्तावित कार्यशालाओं को मंजूरी देना, कार्यशालाओं की निगरानी, जांच करना, प्रोसेसिंग और आरपी द्वारा उठाए गए पारिश्रमिक के दावों के भुगतान के साथ-साथ निर्धारित प्रारूपों के अनुसार प्राधिकरण को इनसे संबंधित एमआईएस/डेटा प्रस्तुत करना शामिल है।

पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 23-24) के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका सं. 3.27 : वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का विवरण

पैनलबद्ध आरपी की संख्या	आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	कार्यशाला में प्रतिभागियों की संख्या
79	1,808	47,500

3.8.3 वित्तीय तथा अन्य अभिकरणों के समन्वय के लिए कार्यक्रम

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित धारा 8 (लाभरहित) कंपनी है। पीएफआरडीए ने 100 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी से 10

करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए उचित और पारदर्शी तंत्र सहित विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के माध्यम से वित्तीय कल्याण प्राप्ति हेतु लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान चलाया जाएगा।

एनसीएफई का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय

भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसईई: 2020–25) भारतीयों के वित्तीय कल्याण प्राप्ति हेतु बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश करती है। एनएसईई 2020–25 की कार्य योजना के तहत कार्यनीतिक लक्ष्य के अनुसार 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा सामग्री का मसौदा सभी क्षेत्र के विनियामकों के समन्वय से तैयार किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में एनपीएस और एपीवाई को बढ़ावा देने के लिए कुल 18 अखिल भारतीय प्रिंट अभियान चलाए गए। समाचार पत्रों के विज्ञापन हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए जिसमें प्रत्येक प्रिंट अभियान में 100 से अधिक समाचार पत्र संस्करण शामिल थे।




Give Your Family "FINDEPENDENCE"



Why Invest?

- Any child of 18 has choosing right to 100% control and complete ownership in the name of his/her "Future".
- One can invest through NPS with as little as Rs. 500.
- One can invest through NPS with as little as Rs. 500.
- At the age of 18 or whenever age matured, the child can choose to invest in various funds as per his/her requirement.

Invest for a Secured Future

NPS **Zorai Hai**

Start your NPS account today

 [facebook.com/npsindia](#)
 [@npsindia](#)
 [in/npsindia](#)





Financial stability + Life with dignity



Get More with NPS Invest for a Secured Future

Why invest now?

- Any child of 18 has choosing right to 100% control and complete ownership in the name of his/her "Future".
- One can invest through NPS with as little as Rs. 500.
- At the age of 18 or whenever age matured, the child can choose to invest in various funds as per his/her requirement.

At the time of Maturity :

- At the age of 18 or whenever age matured, the child can choose to invest in various funds as per his/her requirement.
- At the age of 18 or whenever age matured, the child can choose to invest in various funds as per his/her requirement.




Start your NPS account today

 [facebook.com/npsindia](#)
 [@npsindia](#)
 [in/npsindia](#)



प्रत्येक विज्ञापन में क्यू आर कोड के साथ-साथ खाता खोलने के विकल्पों के बारे में जानकारी अंकित की गई थी। प्रिंट अभियान लेटमोटिफ्स में “एनपीएस जरूरी है” के व्यापक विषय के तहत सेवानिवृत्ति योजना और पेंशन के महत्व को रेखांकित किया गया।

- एनपीएस और अटल पेंशन के बारे में जागरूकता के लिए वीडियो निर्माण योजना

6 (छह) 30 सेकंड सेवानिवृत्ति कोष के निर्माण में शुरुआत, योजनाएं बचत, निवेश और धैर्य के महत्व को उजागर करने के विषय पर एनपीएस अभिदाता प्रशंसापत्र वीडियो की अवधारणा का निर्माण किया गया जो गरिमा, आत्मसम्मान, अनुशासित बचत, लचीलापन (तन्मयता), पारदर्शिता और समानता के लिए एनपीएस की महत्ता के व्यापक विषयों को रेखांकित करता है।



उक्त फिल्मों ने एनपीएस अभिदाताओं, एनपीएस के तहत पंजीकृत कॉर्पोरेट/नियोक्ता के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के फुटेज को एनपीएस से जुड़े लाभों और जनता में इसकी लोकप्रियता के कारणों की पैरवी करते हुए कैमरे में कैद किया।



पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के उप विषयों पर विशेष रूप से आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए लक्षित 4 (चार) 30 सेकंड के टीवी विज्ञापनों की अवधारणा तैयार कर इन्हें प्रसारित किया गया।



एलएंडटी लिमिटेड के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी डॉ. सी जयकुमार के साथ 1 (एक) 40 सेकंड के टीवी प्रशंसापत्र वीडियो की अवधारणा बनाकर शूट किया गया जिसमें उन्होंने एनपीएस की विशेषताओं, लाभ तथा संपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत यात्रा में इसके महत्व के बारे में बताया।



अटल पेंशन योजना की विशेषताओं और इसके तिहरे लाभों को उजागर करने वाले दो टीवी विज्ञापन तैयार किए गए। आम जनता के लाभ के लिए उक्त वीडियो हिंदी, अंग्रेजी और 10 स्थानीय भाषाओं में बनाया गया था।





टीवी और रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, टीवी विज्ञापनों और रेडियो विज्ञापनों के क्षेत्र में एनपीएस तथा एपीवाई के प्रचार के लिए कुल 19 (उन्नीस) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान चलाए गए। इन अभियानों को दूरदर्शन-डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी व्यापार चैनलों तथा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय हिंदी समाचार चैनलों और आकाशवाणी (एआईआर) के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय नेटवर्क और निजी एफएम चैनलों के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

एनपीएस को आकाशवाणी के कार्यक्रम 'बाज़ार मंत्र' के प्रायोजन के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था, जिसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार मेट्रो केंद्रों में एफएम गोल्ड स्टेशन पर प्रदर्शित किया गया था। एनपीएस को डीडी न्यूज प्रोग्राम "मनी मंत्रा" के प्रायोजन से भी प्रोन्नत किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनपीएस को प्रसार भारती नेटवर्क डीडी न्यूज के माध्यम से भी प्रोन्नत किया गया था।

उक्त प्रायोजन दिसंबर 2023 में शुरू किए गए थे और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम लला की मूर्ति के अभिषेक के राष्ट्रीय कवरेज कार्यक्रम के दौरान डीडी नेशनल और डीडी यूपी पर मार्च 2024 तक चले।

सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया अभियान

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यूट्यूब, फेसबुक/इंस्टाग्राम (मेटा) लिंकडइन, ट्विटर (रीक्राइस्टेड एक्स) और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क (जीडीएन) के प्लेटफार्मों पर पीएफआरडीए के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एनपीएस और एपीवाई को बढ़ावा देने के लिए कुल 9 (नौ) ऑनलाइन/डिजिटल अभियान चलाए गए हैं। डिजिटल अभियान वित्तीय सामग्री वेबसाइटों पर भी चलाए गए थे।

दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को आयोजित एनपीएस दिवस से संबंधित मीडिया गतिविधियां



एनपीएस दिवस दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था। एनपीएस दिवस 2023 को एनपीएस की रूपरेखा तैयार करने वाले पहलुओं जैसे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विश्वास, वित्तीय स्वतंत्रता, पारदर्शिता और समानता के लिए मनाया गया। विभिन्न मीडिया और प्रचार अभियानों में उक्त विषयों और रचनात्मकता का समान रूप से उपयोग किया गया था।

एनपीएस दिवस 2023 के दौरान निम्नलिखित मीडिया गतिविधियां आयोजित की गईं :-



"एनपीएस जरूरी है" अभिदाताओं के प्रशंसात्मक वीडियो वाले 30 सेकंड के टीवीसी को अंग्रेजी और हिंदी व्यापार चैनलों तथा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय हिंदी समाचार चैनलों पर प्रदर्शित किया गया।

अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह के दौरान : "प्रतिष्ठा के लिए एनपीएस, समानता के लिए एनपीएस और आत्म-सम्मान के लिए एनपीएस" विषयों पर 100 से अधिक समाचार पत्र संस्करणों को कवर करने वाले प्रत्येक प्रिंट अभियान में समाचार पत्र विज्ञापन दिए गए।



वित्तीय वेबसाइटों पर डिजिटल अभियान (रन-ऑन-साइट बैनर और फिक्स्ड बैनर)



3.8.5. सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए

पारंपरिक मीडिया में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिसे सामान्यतः जनता के लिए एकतरफा संचार के रूप में लेबल किया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लक्षित दर्शकों से प्राप्त प्रतिक्रिया से दर्शकों को लक्षित करने के लिए संचार और संदेश के वितरण का बहुआयामी चैनल प्रदान करता है।

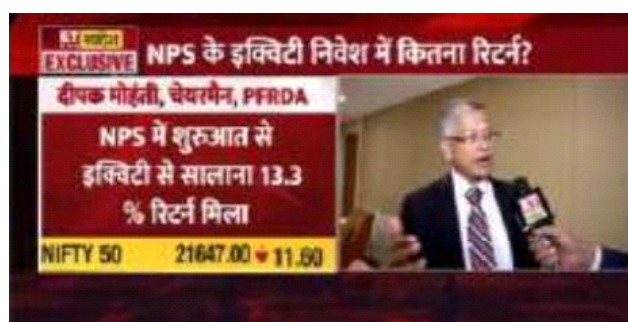
सोशल मीडिया जनता के साथ संपर्क और जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पीएफआरडीए अपनाने के अपने प्रयास में एनपीएस के लिए फेसबुक, ट्विटर, लिंकडइन, यूट्यूब और एपीवाई के लिए एपीवाई तथा इंस्टाग्राम से अपने खाते को सक्रिय रूप से बनाए रखा है।

पीएफआरडीए सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स हैं: एपीवाई फेसबुक पेज, एनपीएस फेसबुक, ट्विटर, लिंकडइन। संबंधित लक्षित समूह से चर्चा करने और योजना से संबंधित जानकारी व अपडेट का प्रसार करने के लिए एपीवाई इंस्टाग्राम (एपीवाई-आईजी) को भी सक्रिय किया गया था।

3.8.6 जनसंपर्क और संचार

पीएफआरडीए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अभिदाता के हितों की रक्षा हेतु अपनी नीतियों, गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों/संचार का संचालन करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रशासित योजनाओं में नीतिगत परिवर्तनों तथा विकास के बारे में जानकारी देते हुए 15 प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, नियमों के सरलीकरण का संचार करने वाली 7 प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई और इसके कवरेज को व्यापक रूप से साझा किया गया।



वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए के वरिष्ठ प्रबंधन/प्रवक्ता ने संपूर्ण भारत में दिल्ली, वाराणसी, गुवाहाटी, बंगलुरु और मुंबई जैसे विभिन्न स्थानों पर 6 प्रेस बैठकें/मीडिया गोलमेज बैठकें आयोजित कीं। नियमित प्रेस बैठकों और बातचीत के दौरान सेवानिवृत्ति योजनाएं पेंशन और वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं और उनके समाधानों का प्रसार किया गया।



3.8.7 प्रशिक्षण

एनपीएस/एपीवाई की मुख्य विशेषताओं, योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया, निधि प्रबंधक के चयन के लिए उपलब्ध विकल्प, आरिष्ठ आवंटन, वार्षिकी योजनाएं, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए ने अपने पैनल में शामिल प्रशिक्षण अभिकरण के माध्यम से कई वेबिनार आयोजित किए हैं।

वित्त वर्ष 23-24 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

तालिका संख्या 3.28 : एनपीएस के तहत प्रशिक्षण सत्रों और प्रतिभागियों की संख्या का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	आयोजित वेबिनार की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
एनपीएस	54	6,583
एपीवाई	57	6,641
कुल	111	13,224

3.8.8 एनपीएस और एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क

देश भर से एनपीएस और एपीवाई पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने और मौजूदा व संभावित अभिदाताओं को मानव संवादात्मक प्रणाली की सुविधा प्रदान करने की दिशा में पीएफआरडीए एक समर्पित एनपीएस/एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क का संचालन कर रहा है, जिसमें एनपीएस/एपीवाई पर प्रश्नों का व्यावसायिक तथा व्यवस्थित तरीके से उत्तर दिया जाता है। कॉल सेंटर का उपयोग अभिदाताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आउटबाउंड कॉल करने के लिए भी किया जाता है। एपीवाई अंशदान की निरंतरता, सेवानिवृत्ति योजनाकार कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए ऑडिट कॉल और एनपीएस स्थापत्यके भीतर प्रक्रियाओं व सेवाओं के वितरण में सुधार हेतु सर्वेक्षण आयोजित करना (अर्थात् योजना की विशेषताओं, प्रशिक्षण सत्र की गुणवत्ता आदि के बारे में जागरूकता का आकलन करना) और एपीवाई से स्वैच्छिक निकास पर सर्वेक्षण। एनपीएस/एपीवाई सूचना हेल्पडेस्क को वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 0.90 लाख इनवर्ड कॉल प्राप्त हुए और 5.60 लाख आउटबाउंड कॉल, कॉल सेंटर के माध्यम से किए गए।

वर्तमान में सूचना हेल्पडेस्क के दो टोलफ्री नंबर चालू हैं अर्थात् एनपीएस के लिए 1800110708 और एपीवाई के लिए 1800110069 चालू हैं और कॉल बैक सेवाओं के लिए हेल्पडेस्क से एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध है। एनपीएस/एपीवाई सूचना डेस्क राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सप्ताह में 7 दिन (रविवार सहित) दिन में 8 घंटे (प्रातः 9.30 बजे से सां. 5.30 बजे) उपलब्ध रहती है।

3.9 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित सम्मेलन/बैठकें और अन्य पहल

3.9.1 केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन

सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जिसमें अधिकांश एनपीएस अभिदाता शामिल हैं, पीएफआरडीए सरकारी नोडल कार्यालयों को उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए विभिन्न मुद्दों/मामलों पर संवेदनशील बनाता है। इस संबंध में, पीएफआरडीए विभिन्न उपाय करता है और केंद्र/राज्य सरकार के क्षेत्र में सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करता है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन पर सम्मेलन का आयोजन पीएफआरडीए द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2023 और 28 फरवरी 2024 को इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नोडल कार्यालयों को मुद्दों और चिंताओं के क्षेत्रों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करना था ताकि उन्हें अपने अंतर्निहित कार्यालयों में एनपीएस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संकल्प प्रदान किया जा सके और प्रणाली को ठोस बनाने के लिए उन्हें नीति, विनियमों, सीआरए प्रणाली तथा प्रक्रियाओं में नवीनतम बदलावों के बारे में भी सूचित किया जा सके। पीएफआरडीए ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सीएबी के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नोडल कार्यालयों को 'प्रशंसा प्रमाणपत्र' प्रदान कर सम्मानित भी किया है। पीएफआरडीए ने 'नोडल कार्यालयों (डीडीओ / पीएओ / पीआरएओ) के लिए अद्यतन हैंडबुक' जारी कर वितरित की हैं।



पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र और राज्य स्वायत्त निकायों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिनका विवरण निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.29 : सीजी, सीएबी, एसजी और एसएबी के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस

क्षेत्र	समीक्षा बैठकें
सीजी	75
सीएबी	248
योग (सीजी + सीएबी)	323
एसजी	38
एसएबी	332
योग (एसजी + एसएबी)	370
कुल	693

केंद्र सरकार

क्रम सं.	केंद्र सरकार
1	मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली
2	विद्युत मंत्रालय
3	उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
5	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली
6	नौवहन मंत्रालय
7	पीआर नियंत्रक वायु सेना

8	ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड
9	ग्रामीण विकास मंत्रालय
10	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
11	सीडीए (पेंशन संवितरण), मेरठ
12	ग्रामीण विकास मंत्रालय
13	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
14	प्रमुख लेखा कार्यालय, सहयोग मंत्रालय, नई दिल्ली
15	पंचायती राज मंत्रालय
16	विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय
17	सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
18	संचार के संयुक्त नियंत्रक एनई-2 टेलीकॉम सर्कल, दीमापुर
19	रसायन विभाग और पेट्रोकेम, रसायन मंत्रालय और सीडीए, मेरठ
20	सीडीए (फंड), मेरठ
21	वित्तीय सेवाएं विभाग
22	आर्थिक कार्य विभाग
23	व्यय विभाग
24	राजस्व विभाग
25	सीडीए भाटिंडा के लिए कार्यशाला
26	रेल मंत्रालय (27 पीएओ के साथ बैठकें)
27	एनसीटी दिल्ली (23 पीएओ के साथ बैठकें)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अनूपपुर
3	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
5	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
6	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
7	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर
8	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
9	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया
10	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
11	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
12	केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर
13	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
14	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
15	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर

16	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा
17	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर
18	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर
19	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
20	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
21	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय), नई दिल्ली
22	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
23	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची
24	सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला, चंडीगढ़
25	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, कांगड़ा
26	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
27	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
28	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
29	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई
30	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
31	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
32	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
33	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर
34	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
35	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर
36	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
37	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
38	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल
39	मसाला बोर्ड, कोचीन
40	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई
41	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख
42	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
43	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
44	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर
45	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
46	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
47	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
48	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
49	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
50	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
51	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता
52	अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर
53	रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय), पुणे

54	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
55	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
56	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
57	तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर
58	अविनाशीलिंगम महिला विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
59	एल.जी.बी. क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर
60	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, नई दिल्ली
61	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड
62	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
63	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
64	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, रायपुर
65	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
66	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ
67	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
68	डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र, हैदराबाद
69	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
70	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम
71	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
72	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
73	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
74	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश
75	रामजस कॉलेज, दिल्ली
76	साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता
77	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल
78	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
79	डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वाराणसी
80	गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मालदा
81	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
82	मिरांडा हाउस, दिल्ली
83	रक्षा संपदा निदेशालय पूर्वी कमान, कोलकाता
84	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
85	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पाषाण, पुणे
86	किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली
87	मैक्स अघरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे
88	कॉयर बोर्ड, एर्नाकुलम
89	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली
90	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
91	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार

92	एनआईटी, श्रीनगर
93	आईआईएम, लखनऊ
94	एनआईटी, अगरतला
95	मैत्रेयी कॉलेज, नई दिल्ली
96	आईआईटी, पलक्कड़
97	आईआईआईटी, दिल्ली
98	आईआईएम, कोझिकोड
99	आईआईएम, जम्मू
100	आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, नई दिल्ली
101	डॉ. बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
102	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुडुचेरी
103	राजीव गांधी जैवप्रौद्योगिकी केंद्र
104	सत्यवती कॉलेज, दिल्ली
105	एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और अनुसंधान समिति
106	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
107	भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकता
108	भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान
109	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान
110	शहीद भगत सिंह कॉलेज
111	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
112	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
113	देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
114	भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर
115	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहामपुर
116	रामानुजन कॉलेज
117	उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान
118	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान
119	विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान
120	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान
121	लेडी इरविन कॉलेज
122	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम
123	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर
124	राष्ट्रीय जैविक संस्थान
125	वसंत कन्या महाविद्यालय
126	सैनिक स्कूल इंफाल
127	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
128	सैनिक स्कूल कलिकिरी
129	सैनिक स्कूल गोपालगंज

130	सेंट स्टीफंस कॉलेज
131	सैनिक स्कूल नालन्दा
132	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान
133	आर्यभट्ट कॉलेज
134	सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल
135	एनएएस
136	आईएचएमसीटीएन
137	एनेट इंडिया
138	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
139	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान असम
140	एनआईटी मणिपुर
141	जीबीपी-निहे, कोसी-कटरमल, अल्मोडा
142	आईआईआईटी, वडोदरा
143	दिल्ली विश्वविद्यालय
144	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज
145	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
146	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई), वर्धा
147	महाराष्ट्र
148	टीआईएफएसी प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद डीएसटी
149	भारत सरकार
150	विवेकानन्द कॉलेज
151	शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
152	आईआईआईटी, ऊना
153	श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज
154	राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली
155	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन
156	एनआईटीटीटीटीआर, चेन्नई
157	एनसीआर योजना बोर्ड
158	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (डब्ल्यूआर), मुंबई
159	नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान केंद्र
160	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग
161	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद
162	शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम
163	प्रमुख बंदरगाह टैरिफ प्राधिकरण (टीएमपी)
164	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा
165	श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय
166	भारतीय सड़क कांग्रेस
167	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, लखनऊ

168	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शिलांग
169	एनएबीआई
170	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी
171	शिक्षक शिक्षा इंटर विश्वविद्यालय केंद्र
172	आयुध निर्माणी खमरिया
173	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान
174	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान
175	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
176	तेल उद्योग विकास बोर्ड
177	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक निकाय
178	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय
179	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद
180	आईआईएम अमृतसर
181	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), धारवाड़
182	आईआईएम सिरमौर
183	आईएचएम कोलकाता
184	सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
185	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर
186	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
187	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर
188	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलुरु
189	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
190	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
191	गुरुकुल कांगड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय
192	भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान
193	अटल बिहारी वाजपेई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
194	डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया
195	सैनिक स्कूल कपूरथला
196	नाविक भविष्य निधि संगठन
197	अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र
198	आईआईएम बोधगया
199	संत लॉगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉगोवाल, संगरूर, पंजाब
200	सैनिक स्कूल साजनपुर टीरा
201	उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
202	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स
203	हरिश्चन्द्र शोध संस्थान, प्रयागराज, उ.प्र.
204	द्रव नियंत्रण अनुसंधान संस्थान
205	सैनिक स्कूल बीजापुर

206	इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान
207	भारतीय पैकेजिंग संस्थान
208	कैम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जयपुर
209	सरकारी ई बाज़ार
210	पीजीडीएवी कॉलेज
211	संयुक्त मणिपुर-मिजोरम विद्युत नियामक आयोग
212	राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
213	बोस संस्थान
214	वाडिया संस्थान
215	आईआईआईटी सूरत
216	आईआईटी गोवा
217	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान
218	गणितीय विज्ञान संस्थान
219	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र
220	सैनिक स्कूल झुंझुनू
221	भगिनी निवेदिता कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
222	गति शक्ति विश्वविद्यालय
223	सैनिक स्कूल, रेवाड़ी
224	आईआईआईटी, लखनऊ
225	स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय
226	भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी
227	आर्य महिला पी.जी. कॉलेज
228	राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान
229	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
230	मोतीलाल नेहरू कॉलेज (प्रातःकालीन)
231	भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुचिरापल्ली
232	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली
233	नव नालन्दा महाविहार

राज्य सरकार एवं राज्य स्वायत्त निकाय

पूर्व	उत्तर पूर्व	उत्तर	दक्षिण	केंद्रीय	पश्चिम
बिहार (2) झारखंड उड़ीसा (2)	असम (1) अरुणाचल प्रदेश (1) मणिपुर (1) मेघालय (1)	हिमाचल प्रदेश (1) जम्मू और कश्मीर (2) चंडीगढ़ (1) हरियाणा (2)	आंध्र प्रदेश (2) कर्नाटक (2) केरल (2) पुद्दुचेरी (1) तेलंगाना (2)	छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश (1) उत्तर प्रदेश (2)	गोवा (1) गुजरात (3) महाराष्ट्र (2) राजस्थान
	मिज़ोरम (1) नागालैंड (1) त्रिपुरा (1) सिक्किम (1)	उत्तराखंड (2) पंजाब (2) लद्दाख (1)			

*() संबंधित कार्यालयों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या दर्शाता है।

संबंधित राज्य सरकारों के राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी), जिनके साथ बैठकों की गई:

राज्य	राज्य स्वायत्त निकाय
बिहार	बिहार राज्य बिजली (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड
	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर
	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर
	पटना विश्वविद्यालय, राजपथ
	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बोधगया
	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
आंध्रप्रदेश	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरएयू), हैदराबाद
	डॉ. वाईएसआर बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटरमन्नागुडेम, पश्चिम गोदावरी
	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, चित्तूर
	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, चित्तूर
	इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड, हैदराबाद
	आंध्रप्रदेश खेल प्राधिकरण, हैदराबाद
	आंध्र प्रदेश सामाजिक कल्याण आवासीय शिक्षा संस्थान सोसायटी, हैदराबाद
	द्रविड़ विश्वविद्यालय, चित्तूर
	कृष्णा विश्वविद्यालयए मछलीपट्टनम, कृष्णा जिला
	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर
	योगी वेमन्ना विश्वविद्यालय, कड़प
	डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा
	दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापटनम

	श्री वेंकटेश्वर वेदिक विश्वविद्यालय, तिरुपति
	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालयम महिला वूमेन यूनिवर्सिटी, तिरुपति
	एपी सैकेंडरी एजुकेशन सोसायटी स्कूल ऑफ एजुकेशन एपी मॉडल स्कूल
	आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापटनम
	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज, गुंटूर जिला
	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय
महाराष्ट्र	सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायक विभाग
	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय
	जिला परिषद, लातूर
	तकनीकी शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र
	जिला परिषद, गोंदिया
	जिला परिषद, नगर
	जिला परिषद, नंदुरबार
	जिला परिषदए जलगांव
	उत्तर क्षेत्र मुंबई
	जिला परिषद, सांगली
	जिला परिषद, परभणी
	जिला परिषद, नासिक
	जिला परिषद, रायगढ़
	शिक्षा विभाग
	जिला परिषद, संभाजीनगर
	वेतन इकाई प्राथमिक, अलीबाग
	जिला परिषद, रत्नागिरी
	जिला परिषद, भंडारा
	जिला परिषद, रायगढ़
	जिला परिषद, नांदेड
	जिला परिषद, गढ़चिरौली
	जिला परिषद, चंद्रपुर
	जिला परिषद, वाशिम
	महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक
	जिला परिषद, जालना
	शिक्षा विभाग प्राथमिक
	कार्यालय अधीक्षक वेतन एवं जीपीएफ यूनिट, रायगढ़, अलीबाग
	कार्यालय अधीक्षकए वेतन एवं भविष्य निधि इकाई, पालघर
	जिला परिषद, अमरावती
	स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य सरकार, महाराष्ट्र
	पे यूनिट सैकेंडरी, ठाणे
	जिला परिषद सोलापुर

	जिला परिषद कोल्हापुर
	उप शिक्षा निदेशक, मुंबई प्रभाग, मुंबई
	जिला परिषद, सोलापुर
	जिला परिषद, हिंगोली
	जिला परिषद, यवतमाल
	जिला परिषद, पालघर
	जिला परिषद, नागपुर
	जिला परिषद, वर्धा
	भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम
	महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुणे
	उप शिक्षा निदेशक (प्राथमिक), पुणे
	उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), पुणे
	उप शिक्षा निदेशक (प्राथमिक), मुंबई
	उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), मुंबई
	जिला परिषद (शिक्षा), ठाणे
	जिला परिषद (शिक्षा), पालघर
	जिला परिषद (शिक्षा), गोंदिया
	जिला परिषद (शिक्षा), नगर
	जिला परिषद (शिक्षा), नंदुरबार
	जिला परिषद (शिक्षा), जलगांव
	जिला परिषद (शिक्षा), हिंगोली
	जिला परिषद (शिक्षा), भंडारा
	जिला परिषद (शिक्षा), सांगली
	जिला परिषद (शिक्षा), वाशिम
	जिला परिषद (शिक्षा), जालना
	जिला परिषद (शिक्षा), अमरावती
	जिला परिषद (शिक्षा), सोलापुर
	जिला परिषद (शिक्षा), कोल्हापुर
कर्नाटक	कर्नाटक सरकार
	संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स, बैंगलोर
	रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेजए रायचूर
	कर्नाटक राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
	कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली
	कर्नाटक वन विभाग
	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय
	विश्वेश्वरैया व्यापार संवर्धन केंद्र
	कर्नाटक उद्योग मित्र
	धारवाड़ मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान

	विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बल्लारी
	चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
	मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मांड्या
	कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
	चिक्कमगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
	प्रशासक एम एंड जी प्रोजेक्ट्स बेलगावी
	श्री अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर
	कर्नाटक राज्य वस्त्र अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
	कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोग्गा
	हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हसन
	अब्दुल नजीर सर्व राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान
	बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेलगावी
	कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर
	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान
	नगरपालिका प्रशासन निदेशालय
	नेफ्रो यूरोलॉजी संस्थान
	भद्रा कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालय, मालवगोप्पा
	कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसायटी
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन अभिकरण
गुजरात	म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड, भावनगर
	गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी, गांधी नगर
	म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड राजकोट
	सूरत नगर निगम
	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
	सवानी एसोसिएट्स
	गुजरात पर्यावरण प्रबंधन संस्थान, गांधीनगर
	पेंशन और भविष्य निधि निदेशालय (एनपीएस), गांधीनगर, गुजरात
	शेठ वाडीलाल साराभाई जनरल अस्पताल, अहमदाबाद
केरल	केरल कलामंडलम डीमड विश्वविद्यालय
	त्रावणकोर देवासम बोर्ड
	शहरी मामले
	थुंचथ एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय
	कालीकट विश्वविद्यालय
	केरल राज्य खेल परिषद
	केरल साहित्य अकादमी
	केरल एसजी
	पंचायत निदेशक
	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर

	केरल राज्य पुस्तकालय परिषद
	केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम
	केरल संगीत नाटक अकादमी, त्रिशूर
	केरल विश्वविद्यालय
	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
	तिरुवनंतपुरम विकास प्राधिकरण
	गुरुवयूर देवास्वोम
	केरल जल प्राधिकरण
	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी
	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम
	राज्य भाषा संस्थान
	केरल राज्य सड़क परिवहन निगम
	केरल राज्य आवास बोर्ड
	केरल टेलरिंग वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड पैटम
	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	केरल मतस्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय
	वास्तुविद्या गुरुकुलम्
	केरल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
	केरल कृषि विश्वविद्यालय
	ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण
	कन्नूर विश्वविद्यालय
मध्यप्रदेश	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
	एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
तेलंगाना	तेलंगाना समाज कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी
	सचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले तेलंगाना पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी, हैदराबाद
	तेलंगाना अल्पसंख्यक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी
	ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम
	कोष एवं लेखा विभाग
	जल, भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
	हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण
	तेलंगाना राज्य इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड
	पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
	आयुक्त तेलंगाना वैद्य विधान परिषद
	कुली कुतुब शाह शहरी विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
	तेलंगाना राज्य का खेल प्राधिकरण

	हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड
	प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय
	सचिव तेलंगाना जनजातीय कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसायटी
	कृषि विपणन विभाग
	निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
	श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, मुलुगु, सिद्धीपेट जिला
	एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर
उत्तर प्रदेश	स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद
	पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
	अयोध्या विकास प्राधिकरण, फैजाबाद
	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती
	माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर
	ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
हरियाणा	हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा
	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जीन्द
	डीएवी पीजी कॉलेज, करनाल
	सीडीएल सरकार पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसायटी, नाथूसरी चोपता
	नगर निगम, फरीदाबाद
	डॉ. गणेश दास डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, करनाल
	आईबी. पीजी कॉलेज, पानीपत
	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा
	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
	हरियाणा महिला विकास निगम
	महिला महाविद्यालय झोझू कलां चरखी दादरी
	आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैट हरियाणा (सरकारी सहायता प्राप्त)
	एफ. सी. कॉलेज
	के एल मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद
	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मोरनी, पंचकुला
	आरकेएसडी कॉलेज कैथल
	दयानंद कॉलेज, हिसार
	श्री एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक
	फतेह चंद महिला कॉलेज
	राव लाल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिधरावली, गुरुग्राम
	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन
	फतेह चंद महिला कॉलेज
	सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण
	छोटू राम पॉलिटेक्निक, रोहतक

	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
	वैश्य कॉलेज, भिवानी
	डीएवी कॉलेज, पूंडरी
	महाराजा अग्रसेन महिला कॉलेज, झज्जर
	हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण
	टीका राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन
	फतेह चंद महिला कॉलेज
	कुरुक्षेत्र करनाल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड
	श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
	आईबी (पीजी) कॉलेज, पानीपत
	पं. बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक
	आर्य कन्या महाविद्यालय शाहाबाद मारकंडा
	सीआरएम जाट, हिसार
	हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
	सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक
	बीपीएसएमवी, खानपुर कलां
	जीएमएन कॉलेज, अंबाला कैट
	एसडी कॉलेज, पानीपत
	सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक
	दादा लखमी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, रोहतक
	चौ. ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय, ढांड, दड़वना
	नगर पालिका, कुंडली
	जी एम एन कॉलेज, अम्बाला कैट
	स्कौ कुरुक्षेत्र
	हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सोनीपत
	गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर
	के एम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी
	नगर पालिका, पुन्हाना
	राजकीय पॉलिटेक्निक, लोहारू
	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
	एम एन कॉलेज शाहाबाद मारकंडा
	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, पंचकुला
	एसडीपीजी कॉलेज, पानीपत
	सीएमके नेशनल पीजी कॉलेज, सिरसा
	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
केंद्रशासित प्रदेश—चंडीगढ़	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण

गोवा	पणजी शहर निगम
मिजोरम	लाई स्वायत्त जिला परिषद
	चकमा स्वायत्त जिला परिषद
	मिलेनियम सेंटर अर्थोरिटी
असम	असम राजीव गांधी सहकारी प्रबंधन विश्वविद्यालय
मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड
	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
	जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल
ओडिशा	कालाहांडी विश्वविद्यालय
	आईटीटी चौद्वार
	महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय
	रमा देवी महिला विश्वविद्यालय
	अंगुल नगर पालिका
	सीएसई विभाग, परला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज, बेरहामपुर
	मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी, कटक
	ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन
	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ओयूएटी), भुवनेश्वर
	रेवेनशॉ विश्वविद्यालय, कटक
	वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बुर्ला
	वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चौद्वार, कटक
	गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, संबलपुर
	संबलपुर विश्वविद्यालय
	आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, कटक
	फकीर मोहन विश्वविद्यालय, व्यास विहार, बालासोर
	क्योंझरगढ़ नगर पालिका
	ओडिशा बीजू पटनायक फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कटक
उत्तराखंड	नगर पंचायत, ऊखीमठ
	नगर पंचायत, कालाढूंगी
	उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय
	नगर पंचायत, दिनेशपुर
	मुख्य शिक्षा अधिकारी
	नगर पालिका परिषद, किच्छा
	नगर पंचायत, सुल्तानपुर
	दून विश्वविद्यालय
	नगर पंचायत बद्रीनाथ
	उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
	डीबीएस (पीजी) कॉलेज, देहरादून
	नगर पंचायत स्वर्गाश्रम, जौक

	नगर पालिका परिषद, दुगड्डा
	नगर पंचायत, झबरेड़ा
	बीटीकेआईटी द्वाराहाट, अल्मोडा
	उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग
	शहरी विकास निदेशालय, देहरादून
	नगर पालिका परिषद, मसूरी
	कोषागार पेंशन एवं हकदारी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार
	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
	उत्तराखंड सभी के लिए शिशु परिषद समग्र शिक्षा
	एसजीआरआर पीजी कॉलेज, देहरादून
	नगर निगम, रुड़की
	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून
	नगर पंचायत, नन्दप्रयाग
	नगर पंचायत, कीर्तिनगर
	जीबीपीआईईटी, पौड़ी गढ़वाल
	नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर
	उत्तराखंड शिक्षा विभाग
	नगर पालिका परिषद, खटीमा
	नगर पंचायत, अगस्तमुनि
	नगर पंचाय, पुरोला
	उत्तराखंड जल संस्थानए देहरादून
	नगर पालिका परिषद बड़कोट
	हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान
	आरएमपी (पीजी) कॉलेज, गुरुकुल नारसन (हरिद्वार)
	नगर निगम, कोटद्वार
	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
	नगर पंचायत, सतपुली
	नगर निगम, अक्षीपुर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू विश्वविद्यालय
	जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय
	स्कूअस्ट, कश्मीर
	जम्मू और कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
	जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी
	जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान
	जम्मू और कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण
	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम, जम्मू
	जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन
	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी

	क्लस्टर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
असम	असम विद्युत विनियामक आयोग
	असम राजीव गांधी सहकारी प्रबंध विश्वविद्यालय
	असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
	न्यायिक अकादमी, असम
यूटी- लद्दाख	लद्दाख विश्वविद्यालय
यूटी- पुद्दुचेरी	स्थानीय प्रशासनिक विभाग

3.9.2 सरकारी क्षेत्र/गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

3.9.2.1 एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों को सुझाए गए उपाय

केंद्र सरकार क्षेत्र के तहत नोडल कार्यालयों को समीक्षा बैठकों/चर्चा के दौरान सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न प्रावधानों का पालन करने का परामर्श दिया गया था, ताकि एनपीएस के तहत गतिविधियों को समय पर पूरा किया जा सके।

क. सीजी और एसजी क्षेत्र के तहत नोडल कार्यालयों को एससीएफ के अपलोड और एनपीएस अंशदान के प्रेषण के संबंध में विभिन्न एनपीएस संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीओईए भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने की सलाह दी गई है।

ख. सीजी और एसजी क्षेत्र के तहत नोडल कार्यालयों को यह सलाह दी गई कि वे अपने अंतर्निहित नोडल कार्यालयों के लिए नियमित रूप से बैठकें सह कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि उन्हें चिंता के प्रमुख क्षेत्रों और परिचालन मामलों पर संवेदनशील बनाया जा सके।

ग. सीजी और एसजी क्षेत्र के तहत निरीक्षण कार्यालयों अर्थात् पीआरएओ/डीटीए को अपने अंतर्निहित पीएओ/डीटीओ के प्रदर्शन की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि एनपीएस से संबंधित गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।

घ. राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य में एनपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ नीतिगत स्तर के उपाय करने पर विचार करें जैसे कि:-

- समयसीमा निर्दिष्ट करते समय एनपीएस नियम तैयार करना।

- एनपीएस निगरानी और समीक्षा समिति का गठन।
- एनपीएस से संबंधित विभिन्न मामलों को सुचारु रूप से संभालने के लिए समर्पित एनपीएस प्रकोष्ठ की स्थापना।
- डीएफएस, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.01.2019 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुरूप एनपीएस के तहत सक्षम प्रावधानों पर विचार करना, नियोक्ता के अंशदान को बढ़ाना और कर्मचारी-अभिदाताओं के लिए निवेश पैटर्न और पेंशन फंड (पीएफ) विकल्प को सक्षम करना तथा एनपीएस अंशदान को जमा न करने या जमा करने में देरी के मामले में मुआवजे का प्रावधान।
- नियमित/आंतरिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में एनपीएस से संबंधित गतिविधियों को शामिल करना।
- एनपीएस गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) तथा सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन (एसटीएस) प्रक्रिया को अपनाना।

3.9.2.2 एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए जारी एडवाइज़री और परिपत्र

- पीएफआरडीए (एनपीएस स्थापत्य के तहत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना) दिशानिर्देश, 2023।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस स्थापत्य के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा पद्धतियां) एडवाइज़री, 2024।
- लंबित शिकायतों के समाधान के लिए नोडल कार्यालयों को मासिक पत्राचार।
- अंशदान के अपलोड/भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए सामान्य एडवाइज़री।
- निष्पादन मापदंडों में अपेक्षित सुधार हेतु पत्रों के माध्यम से सामान्य एडवाइज़री।

- पीएफआरडीए अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए सामान्य एडवाईज़री।
- सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस स्थापत्य के तहत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना हेतु नीति निर्माण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालयों से संवाद।
- एनपीएस के तहत अभिदाता के विवरण (केवाईसी, मोबाइल नं., नाम परिवर्तन आदि) जुटाने/अद्यतन करने के लिए उचित परिश्रम में वृद्धि हेतु नोडल कार्यालयों से बातचीत संवाद।
- प्रौद्योगिकी अद्यतन जैसे 'सरकारी क्षेत्र के अधीन सीआरए प्रणाली की आधार-आधारित पहुंच के माध्यम से एनपीएस लेनदेन सुनिश्चित करना' के लिए नोडल कार्यालयों से संवाद।

3.9.2.3 एनपीएस के सुचारु संचालन हेतु सीजी मंत्रालयों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य

स्वायत्त निकायों के साथ पीएफआरडीए द्वारा उठाए गए नीति संबंधी मामले।

क. डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा अधिसूचित सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के संदर्भ में उनके संबंधित कर्मचारियों के लिए एनपीएस नियम तैयार करने का मामला सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव (वित्त)/मुख्य अवर सचिव (वित्त) के समक्ष उठाया गया था।

ख. एआईएस कर्मचारियों और सीएबी के कर्मचारियों के लिए सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के प्रावधानों को अपनाने के संबंध में मामला क्रमशः डीओपीटी और

एफए/सीसीएस में उनके अंतर्निहित कर्मचारियों के लिए उठाया गया था।

ग. रेलवे कर्मचारियों के लिए सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के प्रावधानों को अपनाने के संबंध में मामला रेलवे में उठाया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार अब इन मामलों पर उपयुक्त निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया अग्रिम चरण में हैं।

3.9.2.4 तकनीकी पहलों का सर्वर से सर्वर (एसटीएस) तथा ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान सृजन मॉड्यूल) का एकीकरण

क. विभाग विभिन्न मंचों के माध्यम से नोडल कार्यालयों को ओपीजीएम और एसटीएस एकीकरण को अपनाने और लागू करने के लिए संवेदनशील बनाता है ताकि प्रान सृजन और एनपीएस अंशदान के प्रेषण में देरी को कम किया जा सके।

- **ओपीजीएम** : एनपीएस के तहत, अभिदाता का समययोचित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सीजी/एसजी के अधीन सरकारी नोडल कार्यालयों को प्रान सृजन में विलंब तथा अभिदाता पंजीकरण प्रपत्रों के निरस्तीकरण को दूर करना के लिए ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल) अपनाने के लिए परामर्श दिया गया था।

- **एसटीएस** : सीआरए प्रणाली के साथ नोडल कार्यालयों के वित्तीय सोफ्टवेयर पैकेज के एसटीएस (सर्वर टू सर्वर) एकीकरण को अपनाना।

ख. सीजी/एसजी नोडल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम और एसटीएस को अपनाने की संचयी स्थिति निम्नानुसार है :

31.03.2024 को सीजीए ने प्रान सृजन हेतु 66 नागरिक मंत्रालयों (सीजी क्षेत्र) के लिए एसटीएस सक्षम बनाया है।

तालिका सं 3.30 : प्रान सृजन के लिए नागरिक मंत्रालयों (सीजी क्षेत्र) की संख्या

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	सीबीईसी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
2.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन
4.	संस्कृति मंत्रालय
5.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
7.	वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली
8.	विद्युत मंत्रालय
9.	कृषि मंत्रालय

10.	वाणिज्य विभाग
11.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
12.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
13.	जल संसाधन मंत्रालय
14.	खनन मंत्रालय
15.	नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय
16.	योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
17.	पंचायती राज मंत्रालय
18.	विदेश मंत्रालय
19.	शहरी विकास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
20.	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
21.	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
22.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
23.	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
24.	उद्योग मंत्रालय
25.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली
26.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
27.	रसायन एवं पेट्रोकेम विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
28.	केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय
29.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
30.	कानून और न्याय मंत्रालय
31.	आईटी विभाग, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
32.	इस्पात मंत्रालय
33.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
34.	सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
35.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
36.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
37.	जहाजरानी मंत्रालय
38.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
39.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
40.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
41.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
42.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
43.	युवा मामले और खेल मंत्रालय
44.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
45.	कोयला मंत्रालय
46.	परमाणु ऊर्जा विभाग
47.	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय

48.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
49.	राष्ट्रपति सचिवालय
50.	वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली
51.	चुनाव आयोग
52.	विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय
53.	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
54.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
55.	उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
56.	अंतरिक्ष विभाग
57.	राज्य सभा, नई दिल्ली
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
59.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
60.	लोकसभा सचिवालय
61.	केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव
62.	केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप
63.	सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
64.	लेखा निदेशालय, दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र, सिलवासा
65.	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली
66.	प्रधान लेखा कार्यालय, सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली

इसके अलावा अभिदाता अंशदान के लिए दिनांक 31.03.2024 तक एसटीएस निम्नलिखित के लिए लागू किया गया है:

I. रेल मंत्रालय ने अंशदान के लिए एसटीएस लागू किया है और (206 पंजीकृत पीएओ में से) 156 पीएओ ने निर्दिष्ट अभिदाताओं के लिए अंशदान को सफलतापूर्वक सक्षम और अपलोड किया है (सूची संलग्न है)

II. सीजीए ने अंशदान के लिए एसटीएस भी शुरू किया है। व्यय विभाग के अधीन अब तक 3 पीएओ ने अंशदान

अपलोड करने से संबंधित गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है (सूची नीचे दी गई है):

- पीएओ, कार्यालय सीजीए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग,
- पीएओ, आईएनजीएफ, नई दिल्ली
- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, नई दिल्ली

दिनांक 31.03.2024 तक सीजी तथा सीएबी नोडल कार्यालयों द्वारा अपना गए ओपीजीएम की स्थिति निम्नानुसार है:-

तालिका सं 3.31 : ओपीजीएम अपनाने वाले सीजी तथा सीएबी नोडल कार्यालयों की सूची

लेखांकन संरचना	ओपीजीएम अपनाने वाले नोडल कार्यालयों की संख्या
सिविल	431
रक्षा	183
डाक	24
रेलवे	169
टेलीकॉम	31
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	0
सीएबी (CAB)	264
कुल	1102

i) दिनांक 31.03.2024 तक कुल 16 एसजी ने एसटीएस अपनाया है जिनकी सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.32 : एसटीएस अपनाने वाले एसजी की सूची

विवरण	राज्य सरकार	
दिनांक 31.03.2024 तक एसटीएस अपनाने वाली राज्य सरकारें	- आंध्र प्रदेश - असम - बिहार - छत्तीसगढ़ - झारखंड - हरियाणा - कर्नाटक - महाराष्ट्र	- ओडिशा - पंजाब - राजस्थान - हिमाचल प्रदेश - त्रिपुरा - उत्तर प्रदेश - उत्तराखंड - मणिपुर

ii. दिनांक 31.03.2024 तक कुल 55 एसएबी ने एसटीएस अपनाया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.33 : एसटीएस अपनाने वाले एसएबी नोडल कार्यालयों की सूची

एसजी	एसटीएस अपनाने वाले एसएबी नोडल कार्यालयों की संख्या
महाराष्ट्र	54
उत्तराखंड	1
कुल	55

iii. दिनांक 31.03.2024 तक कुल 32 एसजी/यूटी (SGs/UTs) ने ओपीजीएम अपनाया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.34 : ओपीजीएम अपनाने वाले एसजी की सूची

विवरण	राज्य सरकार		
दिनांक 31.03.2024 तक ओपीजीएम अपनाने वाली राज्य सरकारें	- आंध्र प्रदेश - अरुणाचल प्रदेश - असम - बिहार - यूटी चंडीगढ़ - गोवा - गुजरात - हरियाणा - जम्मू और कश्मीर - हिमाचल प्रदेश - कर्नाटक	- केरल - मध्यप्रदेश - महाराष्ट्र - मणिपुर - मेघालय - मिजोरम - नागालैंड - ओडिशा - पुद्दुचेरी - पंजाब - राजस्थान	- सिक्किम - तमिलनाडु (केवल एआईएस AIS के लिए) - त्रिपुरा - उत्तर प्रदेश - पश्चिम बंगाल (केवल एआईएस AIS के लिए) - छत्तीसगढ़ - उत्तराखंड - झारखंड - तेलंगाना - लद्दाख

iv. दिनांक 31.03.2024 तक कुल 1,515 एसएबी ने ओपीजीएम अपनाया है और एसएबी नोडल कार्यालयों की सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.35: ओपीजीएम अपनाने वाले एसएबी नोडल कार्यालयों की सूची

राज्य सरकार का नाम	ओपीजीएम अपनाने वाले एसएबी/एसएबी नोडल कार्यालयों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	7
आंध्र प्रदेश	17
असम	16
बिहार	11
चंडीगढ़	3
छत्तीसगढ़	19
गोवा	9
गुजरात	12
हरियाणा	354
हिमाचल प्रदेश	223
जम्मू और कश्मीर	25
कर्नाटक	118
केरल	22
लद्दाख	1
मध्य प्रदेश	15
महाराष्ट्र	103
मणिपुर	3
मेघालय	2
मिज़ोरम	4
ओडिशा	40
पुद्दुचेरी	1
पंजाब	206
राजस्थान	74
तेलंगाना	13
उत्तर प्रदेश	93
उत्तराखंड	124
कुल	1,515

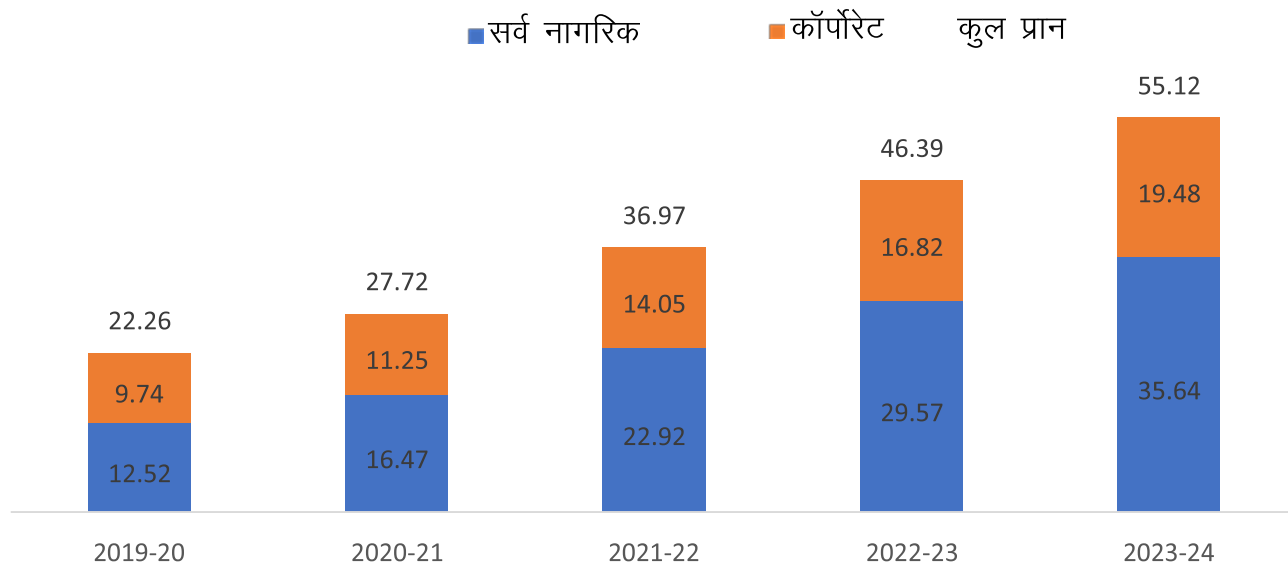
3.9.3 गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस

वित्त वर्ष 2023-24 में एनपीएस गैर-सरकारी क्षेत्र में 9.4 लाख का वार्षिक नामांकन हुआ। यह 87 उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) के प्रयासों के परिणामस्वरूप हासिल किया गया है, जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 16 निजी बैंक, 07 फिनटेक, 06 पेंशन फंड और 46 अन्य स्टॉक ब्रोकिंग फर्म/आरआरबी आदि शामिल हैं जिन्हें, एनपीएस वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि वे अभिदाता पंजीकरण, केवाईसी सत्यापन और अभिदाता अनुरोधों की सेवा की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान, एनपीएस वितरण के चैनलों के विस्तार के लिए 07 नए पीओपी को सक्रिय किया गया और एनपीएस कवरेज बढ़ाने के लिए एनपीएस स्थापत्य के तहत उनकी भागीदारी में तेजी लाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। देश के विभिन्न हिस्सों में एनपीएस के वितरण के लिए पीओपी को सहायता प्रदान की गई और समय-समय पर कार्यनीति-सह-समीक्षा बैठकों के माध्यम से उनके प्रदर्शन की निगरानी की गई, जिसमें पीओपी की व्यावसायिक योजनाओं/कार्यनीतियों और प्राधिकरण से उनके द्वारा

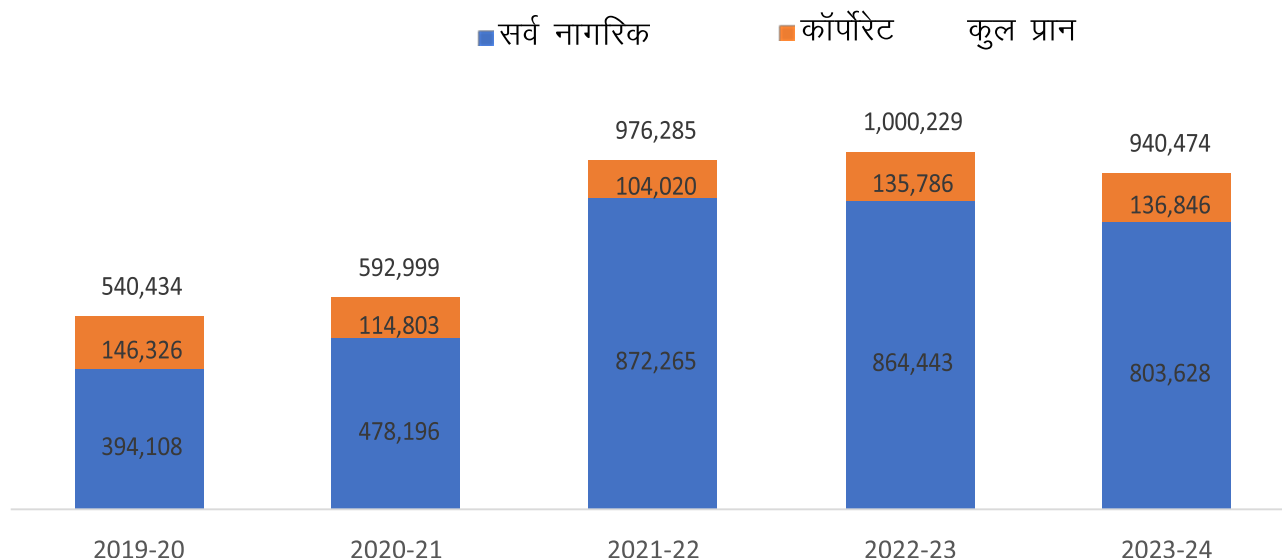
आवश्यक समर्थन पर भी चर्चा की गई। पीओपी और उनके कर्मचारियों के प्रयासों को प्रेरित करने और मान्यता देने के लिए विभिन्न पुरस्कार/मान्यता कार्यक्रम शुरू किए गए। शीर्ष प्रदर्शकों को सम्मानित करने के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

31 मार्च 2024 तक, एनपीएस गैर-सरकारी क्षेत्र (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के तहत सक्रिय प्रान की संख्या पिछले वित्त वर्ष में 46.39 लाख की तुलना में 55.12 लाख थी जो वर्ष-दर-वर्ष 18.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 3,112 नई कॉर्पोरेट/संस्थाएं पंजीकृत हुईं और 1,36,846 नए कर्मचारी एनपीएस में शामिल हुए। एनपीएस को अपनाने वाले कॉर्पोरेट्स की कुल संख्या 31 मार्च 2024 तक 15,902 तक पहुंच गई है। अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में से एक के रूप में एनपीएस को अपनाने और लागू करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) ने ध्यान केंद्रित करते हुए 14 सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीएस को अपनाया जिससे एनपीएस के तहत सीपीएसई की संख्या 78 हो गई।

चार्ट 3.9.1 : सक्रिय प्रान (लाख में)



चार्ट 3.9.2 : गैर सरकारी क्षेत्र में प्रान में संवर्धन



3.9.4 कॉर्पोरेट क्षेत्र में संगोष्ठियां

सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एनपीएस को कॉर्पोरेट्स के भीतर एक मूल्यवान उपकरण के रूप में बढ़ावा देने के लिए फिक्की, सीआईआई और आईसीसी सहित प्रमुख व्यापार निकायों के साथ साझेदारी की गई है। सहयोगी प्रयासों के माध्यम से देश भर में कार्यशालाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है जो उनके सदस्य आधार को लक्षित करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान मुंबई, गुड़गांव, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, वाराणसी, चैन्नई, गुवाहाटी, नई दिल्ली और बंगलौर जैसे टियर -1 और टियर - 2 शहरों में 10 कॉर्पोरेट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कॉर्पोरेट के लिए एनपीएस पर सम्मेलन, गुवाहाटी असम

